परिशिष्ट

॥ संस्कृत व्याकरण ॥

सन्धि

जब दो शब्द अत्यन्त समीप होते हैं, तो प्रथम शब्द का अन्तिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। इस क्रिया को सन्धि करना कहते हैं। सन्धि किये हुए पद को पुनः उनके मूल रूप में लिखने की क्रिया को **सन्धि-विच्छेद** करना कहते हैं। ज्ञातव्य हो कि प्रथम और द्वितीय शब्दों के अन्य शेष वर्ण यथावत् रहते हैं।

वर्ण या अक्षर स्वर, व्यञ्जन या विसर्ग होते हैं। प्रथम शब्द का अन्तिम वर्ण इन तीनों (स्वर, व्यञ्जन या विसर्ग) में जो भी होगा उसी के अनुसार स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि या विसर्ग सन्धि होती है।

संस्कृत वर्णमाला में अ, इ, उ, ऋ, लृ **मूल स्वर** होते हैं और ए, ओ, ऐ, औ **संयुक्त स्वर** होते हैं तथा व्यञ्जनों में **स्पर्श** व्यञ्जन—क वर्ग (क्, ख्, ग्, घ्, ङ्), च वर्ग (च्, छ्, ज्, झ्, ञ्), ट वर्ग (ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्), त वर्ग (त्, थ्, द्, ध्, न्) और प वर्ग (प्, फ्, ब्, भ्, म्) ये 5 वर्ग अर्थात् 25 स्पर्श व्यञ्जन होते हैं। स्वर और व्यञ्जन के मध्य (ध्वनि के आधार पर) अन्तःस्थ (य्, व्, र्, ल्) चार वर्ण होते हैं और ऊष्म व्यञ्जन (श्, ष्, स्, ह्) होते हैं। विसर्ग का चिह्न (:) होता है और उच्चारण 'ह्' ध्वनि का होता है।

ध्यान रहे—जिन वर्णों में कोई मात्रा या हलन्त (्) का चिह्न नहीं होता है उन वर्णों में 'अ' स्वर जुड़ा होता है और हलन्तयुक्त वर्ण शुद्ध व्यञ्जन होता है। हलन्त वर्ण में कोई मात्रा या विसर्ग नहीं हो सकता है।

माहेश्वर के निम्नलिखित 14 सूत्रों में सम्पूर्ण संस्कृत वर्णमाला है। हलन्त वर्ण उच्चारण सुविधा हेतु हैं, वर्णमालान्तर्गत नहीं हैं।

अइउण्। ऋलृक्। एओङ्। ऐऔच्। (स्वर)

हयवरट्। लण्। (विसर्ग, अन्तःस्थ)

ञमङणनम्। झभञ्। घढधष्। जबगडदश्। खफछठथचटतव्। कपय्। (स्पर्श व्यंजन

शषसर्। हल्। (ऊष्म व्यञ्जन)

सूत्रों को समझने की विधि—सूत्र के प्रथम अक्षर से लेकर उस सूत्र के हलन्त अक्षर के मध्य आनेवाले सभी अक्षरों के समूह को जाना जाता है यथा—

अच् = अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ अर्थात् सभी स्वर

इक् = इ, उ, ऋ, लृ।

यण् = य्, व्, र्, ल्।

एच् = ए, ओ, ऐ, औ।

अक् = अ, इ, उ, ऋ, लृ (सभी मूल स्वर)

एङ् = ए, ओ।

एच् = ए, ओ, ऐ, औ (सभी संयुक्त स्वर), हल् (सभी व्यञ्जन अक्षर)।

स्वर सन्धि

दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण्, अयादि, पूर्व रूप, पररूप में मात्र **यण् और वृद्धि सन्धि** ही पाठ्यक्रम में हैं। अतः उनकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान यहाँ दिये जा रहे हैं—

1. वृद्धि सन्धि (वृद्धिरेचि)—जब अ या आ के बाद ए या ऐ, ओ या औ में से कोई स्वर आता है तो दोनों स्वरों को मिलाकर क्रमशः ऐ, औ हो जाता है, **उदाहरण** :

एक + एकः	=	(अ + ए = ऐ)	=	एकैकः	**(2019AF,20MA)**
महा + ऐश्वर्यम्	=	(आ + ऐ = ऐ)	=	महैश्वर्यम्	
देव + ऐश्वर्यम्	=	(अ + ऐ = ऐ)	=	देवैश्वर्यम्	**(2016CD,17AA,AC,19AG)**
तथा + एव	=	(आ + ए = ऐ)	=	तथैव	**(2016CA,CB,17AA,AD,AE,AG,18HA, 19AB,AC,AE)**
तव + ओजः	=	(अ + ओ = औ)	=	तवौजः	
मम + औत्सुक्यम्	=	(अ + औ = औ)	=	ममौत्सुक्यम्	
महा + ओजः	=	(आ + ओ = औ)	=	महौजः	
महा + औत्सुक्यम्	=	(आ + औ = औ)	=	महौत्सुक्यम्	
तदा + एव	=	(आ + ए = ऐ)	=	तदैव	**(2019AA,20MF)**
यदा + एव	=	(आ + ए = ऐ)	=	यदैव	
अस्य + एव	=	(अ + ए = ऐ)	=	अस्यैव	**(2020MB)**
बालिकाः + एषाः	=	(आ + ए = ऐ)	=	बालिकैषाः	
जल + ओघः	=	(अ + ओ = औ)	=	जलौघः	**(2016CA,CC,CD,CF,17AA,AC,AD, AE,AF,19AA,AB,AG)**
तव + औदार्यम्	=	(अ + औ = औ)	=	तवौदार्यम्	
महा + ओषधिः	=	(आ + ओ = औ)	=	महौषधिः	**(2020MC,MF)**
सदा + एव	=	(आ + ए = ऐ)	=	सदैव	**(2019AD,20MG)**
गोप + ऐश्वर्यम्	=	(अ + ऐ = ऐ)	=	गोपैश्वर्यम्	
गुण + ऐश्वर्यम्	=	(अ + ऐ = ऐ)	=	गुणैश्वर्यम्	
अद्य + एव	=	(अ + ए = ऐ)	=	अद्यैव	**(2020MA)**
तत्र + एव	=	(अ + ए = ऐ)	=	तत्रैव	
वन + औषधम्	=	(अ + औ = औ)	=	वनौषधम्	
ग्राम + औषधालय	=	(अ + औ = औ)	=	ग्रामौषधालय	**(2017AG,19AC)**
मा + एवम्	=	(आ + ए = ऐ)	=	मैवम्	
वन + ओकसः	=	(अ + ओ = औ)	=	वनौकसः	**(2020MD,ME)**
राज + ऐश्वर्यम्	=	(अ + ऐ = ऐ)	=	राजैश्वर्यम्	**(2020MC)**
मम + एव	=	(अ + ए = ऐ)	=	ममैव	**(2017AF)**
मत + ऐक्यम्	=	(अ + ऐ = ऐ)	=	मतैक्यम्	**(2016CG,20ME)**
रत्न + ओघः	=	(अ + ओ = औ)	=	रत्नौघः	**(2020MB)**
परम + ऐश्वर्यम्	=	(अ + ऐ = ऐ)	=	परमैश्वर्यम्	
समय + औचित्यम्	=	(अ +औ = औ)	=	समयौचित्यम्	
काल + औचित्यम्	=	(अ +औ = औ)	=	कालौचित्यम्	**(2017AA,19AE)**
अत्र + एव	=	(अ +ए = ऐ)	=	अत्रैवं	**(2020MG)**
महा + ओघः	=	(आ +ओ = औ)	=	महौघः	
महा + औदार्य	=	(आ +औ = औ)	=	महौदार्य	**(2020MD)**
दन्त + ओष्ठः	=	(अ +ओ = ओ)	=	दन्तोष्ठः	**(2017AF)**

2. यण् सन्धि (इकोयणचि)—यदि इ, उ, ऋ, ऌ ह्रस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः य्, व्, र्, ल् हो जाता है। यदि मूल स्वरों के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाय तो आगेवाले स्वर की मात्रा लग जाती है।

उदाहरण :

इत्यादि = इति + आदि (इ + आ = य् + आ = या) = इत्यादि **(2017AG,19AG,AD,20MF)**

स्वागतम् = सु + आगतम् = स् + उ + आगतम् = स्व + आ = स्वागतम् **(2016CB,CC,17AE,AF, 19AA,AG,20ME,AF)**

पित्रादेशः = पितृ + आदेशः (ऋ + आ = र् + आ = रा) = पित्रादेशः **(2016CF,17AC,18HF,20MB)**

लाकृतिः = लृ + आकृतिः = (ऌ + आ = ला) = लाकृतिः **(2016CA,CG)**

इत्यत्र = इति + अत्र = (इ + अ = य) = इत्यत्र

मन्वन्तर = मनु + अन्तर = (उ + अ = व) = मन्वन्तर **(2020MC,ME)**

मातृ + आज्ञा	=	(ऋ + आ = र् + आ = रा)	=	मात्राज्ञा	**(2016CE)**
मधु + अरिः	=	(उ + अ = व)	=	मध्वरिः	**(2020MB)**
दधि + आनय	=	(इ + आ = या)	=	दध्यानय	**(2018HF)**
इति + उक्त्वा	=	(इ + उ = यु)	=	इत्युक्त्वा	**(2016CE,19AF)**
पितृ + आकृतिः	=	(ऋ + आ = र् + आ = रा)	=	पित्राकृतिः	
प्रति + उत्तरम्	=	(इ + उ = यु)	=	प्रत्युत्तरम्	**(2017AA,AD,20MG,MA)**
अति + अत्याचार	=	(इ + आ = या)	=	अत्याचार	**(2018HA)**
अति + अन्त	=	(इ > य् + अ = य)	=	अत्यन्त	**(2020MG)**
प्रति + एकः	=	(इ > य् + ए = य)	=	प्रत्येकः	**(2016CB,17AC,AE,18HA,19AB,20MD)**
इति + अत्र	=	(इ > य् + अ = य)	=	इत्यत्र	
अति + अधिकम्	=	(इ > य् + अ = य)	=	अत्यधिकम्	
यदि + अपि	=	(इ > य् + अ = य)	=	यद्यपि	
इति + आदि	=	(इ > य् + आ = या)	=	इत्यादि	
देवी + आज्ञा	=	(इ > य् + आ = या)	=	देव्याग्या	**(2020MG)**
उपरि + उक्तम्	=	(इ > य् + उ = यु)	=	उपर्युक्तम्	
नारी + उपदेशः	=	(इ > य् + उ = यु)	=	नार्युपदेशः	
मनु + अन्तरः	=	(उ > व् + अ = व)	=	मन्वन्तरः	
गुरु + आदेशः	=	(उ > व् + आ = वा)	=	गुर्वादेशः	**(2016CA,CD,17AA,19AA,AB,AE,AF)**
वधू + आगमनम्	=	(ऊ > व् + आ = वा)	=	वध्वागमनम्	
अनु + एषणम्	=	(उ > व् + ए = वे)	=	अन्वेषणम्	
लघु + आकृतिः	=	(उ > व् + आ = वा)	=	लघ्वाकृतिः	
पितृ + आज्ञा	=	(ऋ > र् + आ = रा)	=	पित्राज्ञा	**(2016CB)**
भातृ + अंश	=	(ऋ > र् + अं = रं)	=	भात्रंश	
गुरु + आज्ञा	=	(उ > व् + आ = वा)	=	गुर्वाज्ञा	**(2017AA)**
अभि + उत्तरम्	=	(इ > उ = यु)	=	अभ्युत्तरम्	**(2020MA)**
धातृ + आज्ञां	=	(ऋ > र् + आ = रा)	=	धात्राज्ञा	**(2017AD,AF)**
मातृ + आकृति	=	(ऋ + आ = र् + आ = रा)	=	मात्राकृति	**(2017AG,19AC,20MD)**
लृ + आदेशः	=	(लृ > ल् + आ = ला)	=	लादेशः	
लघु + आदाय	=	(उ > व् + आ = वा)	=	लघ्वादाय	
इति + अलम्	=	(इ > य् + अ = य)	=	इत्यलम्	

प्रति + उपकार	=	(इ > य् + उ = यु)	=	प्रत्युपकार	
दधि + अत्र	=	(इ > य् + अ = य)	=	दध्यत्र	
सु + अच्छ	=	(उ > व् + अ = व)	=	स्वच्छ	
परि + उपासते	=	(इ > य् + उ = यु)	=	पर्युपासते	
इति + अत्र	=	(इ > य् + अ = य)	=	इत्यत्र	
भातृ + आदेशः	=	(ऋ > र + आ = रा)	=	भात्रादेशः	
अभि + उदयः	=	(इ > य् + उ = यु)	=	अभ्युदयः	**(2016CF,20MC,MA)**
सुधी + उपास्यः	=	(इ > य् + उ = यु)	=	सुध्युपास्यः	**(2016CG)**
प्रति + आगमनम्	=	(इ > य् + अ = य)	=	प्रत्यागमनम्	**(2017AA)**
अति + उक्ति	=	(इ > य् + उ = यु)	=	अत्युक्ति	**(2019AE)**
कवि + आदि	=	(इ > य् + अ = य)	=	काव्यादि	

॥ अभ्यास प्रश्न ॥

(1) किन्हीं दो शब्दों की सन्धि कीजिए–
तथा + एव, सु + उक्ति, मातृ + आज्ञा, तथा + इति।

(2) निम्नलिखित में से किन्हीं दो का सन्धि-विच्छेद कीजिए–
विद्यालयः, स्वागतम्, गणेशः, देवैश्वर्यम्।

(3) किन्हीं दो शब्दों का सन्धि-विच्छेद कीजिए–
सूक्ति, स्वागतम्, तदैव, तथेति।

(4) किसी एक का सन्धि-विच्छेद कीजिए और सन्धि का नाम लिखिए–
धनादेशः, स्वागतम्, समयौचित्यम्।

(5) किसी एक का सन्धि-विच्छेद कीजिए और सन्धि का नाम लिखिए–
कारागारः, देवेन्द्रः, अभ्युदयः, रत्नौघः।

(6) निम्नलिखित में से किसी एक का सन्धि-विच्छेद कीजिए और सन्धि का नाम लिखिए–
सूक्ति, स्वागतम्, देवर्षिः, तदैव।

(7) निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों में सन्धि-विच्छेद कीजिए–
दशाश्वमेध, उभावपि, बालिकैषा, समयोचितः।

(8) किन्हीं दो शब्दों का सन्धि-विच्छेद कीजिए–
ममाधीनः, तथैव, प्रत्युत्तरम्।

(9) निम्नलिखित में से किसी एक का सन्धि-विच्छेद कीजिए–
महौषधम्, धनागमः, प्रत्येकः।

●●

शब्द-रूप

(संज्ञा-शब्द)

1. फल (अकारान्त नपुंसकलिङ्ग)

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	फलम्	फले	फलानि
द्वितीया	फलम्	फले	फलानि
तृतीया	फलेन	फलाभ्याम्	फलैः **(2020MB,ME)**
चतुर्थी	फलाय	फलाभ्याम्	फलेभ्यः
पञ्चमी	फलात्	फलाभ्याम्	फलेभ्यः
षष्ठी	फलस्य **(2020MG)**	फलयोः	फलानाम् **(2020MF)**
सप्तमी	फले	फलयोः	फलेषु
सम्बोधन	हे फल!	हे फले!	हे फलानि!

टिप्पणी—इसी प्रकार सभी अकारान्त नपुंसकलिङ्ग के शब्दों, यथा—पुष्प, पत्र, जल, मित्र (सखा के अर्थ में), वन, कमल, कुसुम, पुस्तक, ज्ञान आदि के रूप चलते हैं। (नोट—मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है जो अकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्द है, अतः उसके रूप राम के रूपों की भाँति चलेंगे।)

ध्यान दें—(1) द्विवचन में प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति के रूप; तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी के रूप तथा षष्ठी एवं सप्तमी के रूप समान होते हैं।

(2) नपुंसकलिङ्ग के शब्दों के प्रथमा एवं द्वितीया के रूप एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रायः समान होते हैं।

2. मति शब्द (इकारान्त स्त्रीलिङ्ग)

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	मतिः	मती	मतयः
द्वितीया	मतिम्	मती	मतीः
तृतीया	मत्या	मतिभ्याम्	मतिभिः **(2020MB,ME)**
चतुर्थी	मत्यै, मतये	मतिभ्याम्	मतिभ्यः
पञ्चमी	मत्याः, मतेः	मतिभ्याम्	मतिभ्यः
षष्ठी	मत्याः, मतेः **(2020MG)**	मत्योः	मतीनाम् **(2020MF)**
सप्तमी	मत्याम्, मतौ	मत्योः	मतिषु
सम्बोधन	हे मते!	हे मती!	हे मतयः!

टिप्पणी—इसी प्रकार जाति, रात्रि, भक्ति, स्तुति, नीति, शक्ति आदि इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप चलेंगे।

3. मधु (उकारान्त नपुंसकलिङ्ग)

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	मधु	मधुनी	मधूनि
द्वितीया	मधु	मधुनी	मधूनि

तृतीया	मधुना	मधुभ्याम् **(2020MD)**	मधुभिः **(2020MB,ME)**
चतुर्थी	मधुने	मधुभ्याम्	मधुभ्यः **(2020MA)**
पञ्चमी	मधुनः	मधुभ्याम्	मधुभ्यः
षष्ठी	मधुनः **(2020MC)**	मधुनोः	मधूनाम्
सप्तमी	मधुनि	मधुनोः	मधुषु
सम्बोधन	हे मधो! हे मधु!	हे मधुनी!	हे मधूनि!

टिप्पणी—अश्रु, जानु, अम्बु, वसु, वस्तु, सानु, तालु आदि सभी उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार बनते हैं।

4. नदी शब्द (ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग)

विभक्ति	**एकवचन**	**द्विवचन**	**बहुवचन**
प्रथमा	नदी	नद्यौ	नद्यः
द्वितीया	नदीम्	नद्यौ	नदीः
तृतीया	नद्या	नदीभ्याम् **(2020MD)**	नदीभिः **(2020MB,ME)**
चतुर्थी	नद्यै	नदीभ्याम्	नदीभ्यः **(2020MA)**
पञ्चमी	नद्याः **(2020MC)**	नदीभ्याम्	नदीभ्यः
षष्ठी	नद्याः	नद्योः	नदीनाम्
सप्तमी	नद्याम्	नद्योः	नदीषु
सम्बोधन	हे नदि!	हे नद्यौ!	हे नद्यः!

टिप्पणी—इसी प्रकार स्त्री, पृथ्वी, गौरी, सावित्री, लक्ष्मी, जानकी आदि ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप होते हैं।

(सर्वनाम-शब्द)

1. तद्-वह (पुँल्लिङ्ग)

विभक्ति	**एकवचन**	**द्विवचन**	**बहुवचन**
प्रथमा	सः	तौ	ते
द्वितीया	तम्	तौ	तान्
तृतीया	तेन	ताभ्याम्	तैः
चतुर्थी	तस्मै	ताभ्याम्	तेभ्यः **(2020MA)**
पंचमी	तस्मात्	ताभ्याम्	तेभ्यः **(2020MF)**
षष्ठी	तस्य **(2020MC)**	तयोः	तेषाम्
सप्तमी	तस्मिन्	तयोः	तेषु

2. तद् (स्त्रीलिङ्ग)

विभक्ति	**एकवचन**	**द्विवचन**	**बहुवचन**
प्रथमा	सा	ते	ताः
द्वितीया	ताम्	ते	ताः
तृतीया	तया	ताभ्याम् **(2020MD)**	ताभिः
चतुर्थी	तस्यै	ताभ्याम्	ताभ्यः

पंचमी	तस्या:		ताभ्याम्	ताभ्य:
षष्ठी	तस्या:	**(2020MG)**	तयो:	तासाम्
सप्तमी	तस्याम्		तयो:	तासु

3. तद्-वह (नपुंसकलिङ्ग)

विभक्ति	**एकवचन**	**द्विवचन**	**बहुवचन**
प्रथमा	तत्	ते	तानि
द्वितीया	तत्	ते	तानि
तृतीया	तेन	ताभ्याम्	तैः
चतुर्थी	तस्मै	ताभ्याम्	तेभ्यः
पञ्चमी	तस्मात्	ताभ्याम्	तेभ्यः
षष्ठी	तस्य	तयोः	तेषाम्
सप्तमी	तस्मिन्	तयोः	तेषु

4. युष्मद् (मध्यम पुरुष–'तुम' आदि)

विभक्ति	**एकवचन**	**द्विवचन**	**बहुवचन**
प्रथमा	त्वम्	युवाम्	यूयम्
द्वितीया	त्वाम्, त्वा	युवाम्, वाम्	युष्मान्, वः
तृतीया	त्वया	युवाभ्याम् **(2020MD)**	युष्माभिः **(2020ME)**
चतुर्थी	तुभ्यम्, ते	युवाभ्याम्, वाम्	युष्मभ्यम्, वः **(2020MA)**
पञ्चमी	त्वत्	युवाभ्याम्	युष्मत्
षष्ठी	तव, ते **(2020MC,MG)**	युवयोः, वाम्	युष्माकम्, वः **(2020MF)**
सप्तमी	त्वयि	युवयोः	युष्मासु

टिप्पणी—'अस्मद्' और 'युष्मद्' शब्दों के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में दो-दो रूप होते हैं। प्रसंगानुसार उन शब्दों की विभक्ति निर्धारित होती है जिनके रूप समान होते हैं यथा—नमः **ते** (चतुर्थी विभक्ति), सः **वाम्** ताडयति (द्वितीया विभक्ति) वह तुम दोनों को मारता है। इसी प्रकार सः **मा** प्रहसति (द्वितीया) वह मुझ पर हँसता है आदि।

धातु क्रिया

वाक्य में क्रिया पद बहुत महत्त्वपूर्ण है, बिना उसके वाक्य का आशय अस्पष्ट रहता है। क्रियापद वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना मालूम पड़ता है। कर्त्ता के अनुसार मूलक्रिया के रूपों में अन्तर होता है।

पुरुष– पुरुष तीन होते हैं—

प्रथम या अन्य पुरुष– इसके कर्त्ता सभी संज्ञाएँ व सर्वनाम होते हैं।

मध्यम पुरुष– इसके कर्त्ता त्वम् (तुम), युवाम् (तुम दोनों), यूयं (तुम सब)।

उत्तम पुरुष– इसके कर्त्ता अहम् (मैं), आवाम् (हम दोनों), वयं (हम सब)।

वचन– कर्त्ता की संख्या के अनुसार एकवचन, द्विवचन व बहुवचन संस्कृत में होते हैं, अन्य भाषाओं में मात्र एकवचन व बहुवचन ही होते हैं।

काल– वर्तमान (लट् लकार), भविष्यत् (लृट् लकार), भूत (लङ् लकार) तीन कालों के अतिरिक्त भावों के अनुसार आज्ञा, आशीष, कामना के लिए (लोट् लकार) तथा उपदेश (चाहिए) के भाव में विधिलिङ्ग लकार होते हैं। चूँकि सभी काल

व भाव 'ल' वर्ण से होते हैं, अतः उन्हें 'लकार' कहते हैं।

हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :

(1) कर्त्ता के पुरुष, वचन और काल (लकार) के अनुसार क्रिया के रूप का प्रयोग करें।

(2) वाक्य यदि कर्मवाच्य में हैं, तो कर्म को प्रथमा विभक्ति में और कर्त्ता को तृतीया विभक्ति में लिखा जाता है। यदि रूप न जान पायें तो 'क्त' (त) आदि प्रत्ययों की सहायता लें।

(3) क्रियाएँ (परस्मैपदी) पाठ्यक्रम में हैं, परन्तु 'लभ्' (प्राप्त करना) आदि आत्मनेपदी धातुओं के रूपों (लभते, लभेते, लभन्ते...) आदि को भी अनुवाद में सुविधा के लिए समझिए।

धातु रूप

पठ् (पढ़ना)

लट् लकार (वर्तमान काल)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पठति	पठतः	पठन्ति
मध्यम पुरुष	पठसि	पठथः **(2020MG)**	पठथ **(2020MC)**
उत्तम पुरुष	पठामि	पठावः	पठामः

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पठिष्यति	पठिष्यतः	पठिष्यन्ति
मध्यम पुरुष	पठिष्यसि	पठिष्यथः	पठिष्यथ
उत्तम पुरुष	पठिष्यामि	पठिष्यावः	पठिष्यामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	अपठत्	अपठताम्	अपठन्
मध्यम पुरुष	अपठः	अपठतम्	अपठत **(2020MA)**
उत्तम पुरुष	अपठम् **(2020MF)**	अपठाव	अपठाम

लोट् लकार (आज्ञा, आशीर्वाद, कामना के अर्थ में)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पठतु **(2020MB)**	पठताम्	पठन्तु
मध्यम पुरुष	पठ, पठतात् **(2020ME)**	पठतम्	पठत
उत्तम पुरुष	पठानि	पठाव	पठाम

विधिलिङ् लकार (चाहिए, उपदेश के अर्थ में)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पठेत्	पठेताम्	पठेयुः
मध्यम पुरुष	पठेः	पठेतम्	पठेत
उत्तम पुरुष	पठेयम्	पठेव	पठेम

नोट—मूल धातु हलन्त या स्वरान्त होती है, किन्तु उनके क्रिया रूप हलन्त नहीं होते हैं, भले ही क्रिया समान्तर हलन्त हो जो लङ्, लोट्, विधिलिङ् लकारों में दिखायी दे रहे हैं। कुछ प्रमुख मूल धातुएँ व उनके क्रिया रूप नीचे दिये गये हैं :

मूल धातु :

गम् (जाना)	= गच्छ्+ अ	= गच्छ क्रिया रूप
पृच्छ् (पूछना)	= पृच्छ्+ अ	= पृच्छ क्रिया रूप
पठ् (पढ़ना)	= पठ्+ अ	= पठ क्रिया रूप
भू (होना)	= भू+ अ	= भव
दृश् (देखना)	= पश्य्+ अ	= पश्य
'पा' (पालन करना)	= पा + अ	= पा
'पा' (पीना)	= पिब्+ अ	= पिब
दा (देना)	= दद्+ अ	= दद

हस् (हँसना)

लट् लकार (वर्तमान काल)

पुरुष	एकवचन		द्विवचन	बहुवचन	
प्रथम पुरुष	हसति		हसतः	हसन्ति	
मध्यम पुरुष	हससि		हसथः	हसथ	
उत्तम पुरुष	हसामि	**(2020MF)**	हसावः	हसामः	**(2020MA)**

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	हसिष्यति	हसिष्यतः	हसिष्यन्ति
मध्यम पुरुष	हसिष्यसि	हसिष्यथः	हसिष्यथ
उत्तम पुरुष	हसिष्यामि	हसिष्यावः	हसिष्यामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पुरुष	एकवचन		द्विवचन		बहुवचन
प्रथम पुरुष	अहसत्		अहसताम्	**(2020MC)**	अहसन्
मध्यम पुरुष	अहसः		अहसतम्	**(2020MB)**	अहसत
उत्तम पुरुष	अहसम्	**(2020ME)**	अहसाव		अहसाम

लोट् लकार (आज्ञा, आशीष, कामना अर्थ में)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन	
प्रथम पुरुष	हसतु	हसताम्	हसन्तु	
मध्यम पुरुष	हस, हसतात्	हसतम्	हसत	
उत्तम पुरुष	हसानि	हसाव	हसाम	**(2020MD)**

विधिलिङ् लकार (चाहिए, उपदेश के अर्थ में)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन		बहुवचन
प्रथम पुरुष	हसेत्	हसेताम्		हसेयुः
मध्यम पुरुष	हसेः	हसेतम्	**(2020MF)**	हसेत
उत्तम पुरुष	हसेयम्	हसेव	**(2020MG)**	हसेम

दृश् (देखना) 'पश्य' क्रिया रूप
लट् लकार (वर्तमान काल)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पश्यति	पश्यतः	पश्यन्ति
मध्यम पुरुष	पश्यसि	पश्यथः	पश्यथ
उत्तम पुरुष	पश्यामि	पश्यावः	पश्यामः

लृट् लकार (भविष्यत् काल) द्रक्ष्य

पुरुष	एकवचन		द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	द्रक्ष्यति	**(2020MB)**	द्रक्ष्यतः	द्रक्ष्यन्ति
मध्यम पुरुष	द्रक्ष्यसि	**(2020MD,MG)**	द्रक्ष्यथः	द्रक्ष्यथ
उत्तम पुरुष	द्रक्ष्यामि	**(2020ME)**	द्रक्ष्यावः	द्रक्ष्यामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	अपश्यत्	अपश्यताम्	अपश्यन्
मध्यम पुरुष	अपश्यः	अपश्यतम्	अपश्यत
उत्तम पुरुष	अपश्यम्	अपश्याव	अपश्याम

लोट् लकार (आज्ञा, आशीष, कामना के अर्थ में)

पुरुष	एकवचन		द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पश्यतु	**(2020MC)**	पश्यताम्	पश्यन्तु
मध्यम पुरुष	पश्य, पश्यतात्		पश्यतम्	पश्यत
उत्तम पुरुष	पश्यानि		पश्याव	पश्याम

विधिलिङ् लकार (चाहिए, उपदेश के अर्थ में)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पश्येत् **(2020MA)**	पश्येताम्	पश्येयुः
मध्यम पुरुष	पश्येः	पश्येतम्	पश्येत
उत्तम पुरुष	पश्येयम्	पश्येव	पश्येम **(2020MD)**

पच् (पकाना)

लट् लकार (वर्तमान काल)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पचति	पचतः	पचन्ति
मध्यम पुरुष	पचसि	पचथः	पचथ **(2020ME)**
उत्तम पुरुष	पचामि **(2020MB)**	पचावः	पचामः **(2020MG)**

लृट् लकार (भविष्यत् काल) 'पक्ष्य' क्रिया रूप

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पक्ष्यति	पक्ष्यतः	पक्ष्यन्ति
मध्यम पुरुष	पक्ष्यसि	पक्ष्यथः **(2020MD)**	पक्ष्यथ
उत्तम पुरुष	पक्ष्यामि	पक्ष्यावः	पक्ष्यामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	अपचत्	अपचताम्	अपचन्
मध्यम पुरुष	अपचः	अपचतम्	अपचत
उत्तम पुरुष	अपचम्	अपचाव	अपचाम

लोट् लकार (आज्ञा, आशीष, कामना अर्थ में)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पचतु, पचतात्	पचताम्	पचन्तु **(2020MA)**
मध्यम पुरुष	पच, पचतात्	पचतम्	पचत
उत्तम पुरुष	पचानि **(2020MF)**	पचाव	पचाम

विधिलिङ् लकार (चाहिए, उपदेश के अर्थ में)

पुरुष	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पचेत्	पचेताम्	पचेयुः
मध्यम पुरुष	पचेः	पचेतम्	पचेत
उत्तम पुरुष	पचेयम्	पचेव **(2020MC)**	पचेम

नोट— लकार पहचानने के लिए प्रयुक्त धाराओं में आप देखते हैं कि विधिलिङ् लकार में क्रिया रूप में 'ए' की मात्रा (यथा—पठेत्, हसेत् आदि रूपों में) लगी है। लङ् (भूतकाल) के रूपों के प्रारम्भ में 'अ' वर्ण है यथा—अपठत् आदि। लोट् लकार के किसी भी रूप में विसर्ग (:) नहीं है।

लट् (वर्तमान काल) व भविष्यत् लृट् लकार के रूपों में क्रिया रूपों के अन्तिम अक्षर (प्रत्यय) समान हैं। ये प्रत्यय लट् में क्रियारूपों के साथ और लृट् भविष्यत् काल में मूल क्रिया + इ + ष्य या स्व के साथ है, यथा—

ति	तः	न्ति
सि	थः	थ
मि	वः	मः

हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद

संस्कृत हिन्दी की जननी है। इस नाते संस्कृत के अधिकांश शब्द हिन्दी में पाये जाते हैं। अतः हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद करने में संस्कृत शब्दों को लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार रखा जाता है और क्रिया धातु की दी जाती है, लेकिन यह सरल कार्य नहीं है। संस्कृत में विभक्तियाँ शब्द के साथ लगी रहती हैं, लेकिन उन्हें वाक्य में किसी प्रकार कहीं भी रखा जा सकता है। यह भी एक कला है और उसके कुछ नियम हैं।

अनुवाद करने के साधारण नियम

(1) अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्त्ता ढूँढ़ना चाहिए। क्रिया से पहले कौन के उत्तर में आनेवाली वस्तु कर्त्ता होती है।

(2) कर्त्ता यदि एकवचन में हो तो प्रथमा एकवचन का रूप और द्विवचन में हो तो प्रथमा का द्विवचन का रूप रखना चाहिए।

(3) इसके पश्चात् कर्त्ता के पुरुष पर ध्यान देना चाहिए कि कर्त्ता प्रथम पुरुष में है, कि मध्यम पुरुष में है, कि उत्तम पुरुष में है।

(4) कर्त्ता के पुरुष और वचन जान लेने के पश्चात् क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए फिर क्रिया के उस काल के रूपों में से कर्त्ता के पुरुष तथा वचन वाला एक रूप छाँटकर लिख देना चाहिए।

(5) तत्पश्चात् वाक्य के अन्य शब्दों के कारक तथा वचनों के रूप भी यथास्थान लिख देना चाहिए।

(6) शब्दों के स्थान के लिए संस्कृत में स्वतन्त्रता रहती है। आप चाहे कर्त्ता पहले रखिये या कर्म अथवा क्रिया, कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(7) कर्त्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में साम्य होता है अर्थात् जिस पुरुष और जिस वचन में कर्त्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी।

(8) विशेषण या विशेष्य के अनुसार ही लिंग, वचन और विभक्तियाँ होती हैं; जैसे-

	ज्येष्ठः = बड़ा भाई
लिंग	ज्येष्ठ भगिनी = बड़ी बहिन
	ज्येष्ठ कलत्रं = बड़ी पत्नी।
	हरितं पत्रं = हरा पत्ता
वचन	हरिते लते = दो हरी बेलें
	पक्वानि फलानि = पके फल
विभक्ति	तं बालकम्, तस्मिन् ग्रामे = उस गाँव में।

(9) वर्तमान काल की वचन क्रिया में 'स्म' जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया बन जाती है।

[1]

लट् लकार (वर्तमान काल) प्रथम पुरुष, कर्तृवाच्य

क्रिया शब्द	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
पठ = पढ़ना	पठति	पठतः	पठन्ति
गम = जाना	गच्छति	गच्छतः	गच्छन्ति

संक्षिप्त धातु प्रत्यय

एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
अति	अतः	अन्ति

(1) बालक पुस्तक पढ़ता है। (2) वे दोनों विद्यालय को जाते हैं। (3) आप वहाँ पढ़ते हैं। (4) वे सब कहाँ जाते हैं। (5) आदमी यहाँ आते हैं। (6) वे दोनों जाते हैं। (7) वह जोर से हँसता है। (8) आप सब यहाँ आते हैं। (9) राजा राज्य की रक्षा करता है। (10) घोड़ा वहाँ दौड़ता है।

अनुवाद–(1) बालकः पुस्तकं पठति। (2) तौ विद्यालयं गच्छतः। (3) भवान् तत्र पठति। (4) ते सर्वे कुत्र गच्छन्ति। (5) पुरुषाः अत्र गच्छन्ति। (6) ते गच्छतः। (7) सः उच्चै हँसति। (8) भवन्तः अत्र गच्छन्ति। (9) राजा राज्यं रक्षति। (10) घोटकः तत्र धावति।

रक्ष् = रक्षा करना (रक्षति), लिख् = लिखना (लिखति), गम् = जाना (गच्छति), धाव् (दौड़ना) धावति आदि के रूप भी पठ् के समान हैं।

[2]

लट् लकार (वर्तमान काल) मध्यम पुरुष, कर्तृवाच्य

क्रिया शब्द	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
पठ् = पढ़ना	पठसि	पठथः	पठथ
दृश् = देखना	पश्यसि	पश्यथः	पश्यथ
पृच्छ् = पूछना	पृच्छसि	पृच्छथः	पृच्छथ
याच् = माँगना	याचसि	याचथः	याचथ

संक्षिप्त धातु प्रत्यय

असि	अथः	अथ

(1) तुम जल पीते हो। (2) तुम सब पुस्तकें पढ़ते हो। (3) तुम दोनों माँगते हो। (4) तुम दोनों पूछते हो। (5) तुम यह पुस्तक पढ़ते हो। (6) बन्दर वहाँ कूदते हैं। (7) सूर्य सवेरे निकलता है। (8) पशु जल पीते हैं। (9) वे दोनों तेज दौड़ते हैं। (10) तुम दोनों नमस्कार करते हो।

अनुवाद–(1) त्वं जलं पिबसि। (2) यूयं सर्वे पुस्तकानि पठथ। (3) युवां याचथः। (4) युवां पृच्छथः। (5) त्वम् इदं पुस्तकम् पठसि। (6) वानराः तत्र कूदन्ति। (7) सूर्यः प्रातः उदेति। (8) पशवः जलं पिबन्ति। (9) तौ तीव्र धावतः। (10) युवां नमस्कारं कुरुथः।

पा = पीना (पिबसि, पिबथः, पिबथ), नी = ले जाना (नयसि, नयथः, नयथ), हृ = हरना, चुकाना (हरसि, हरथः, हरथ), पच् = पकाना (पचसि, पचथः, पचथ)।

[3]

लट् लकार (वर्तमान काल) उत्तम पुरुष, कर्तृवाच्य

क्रिया शब्द	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
पठ् = पढ़ना	पठामि	पठावः	पठामः
पृच्छ् (पृच्छ) = पूछना	पृच्छामि	पृच्छावः	पृच्छामः
दृश् (पश्य) = देखना	पश्यामि	पश्यावः	पश्यामः
पा (पिब) = पीना	पिबामि	पिबावः	पिबामः

‖ पाठ्य-पुस्तक में दिये गये वाक्यों का अनुवाद ‖

(संस्कृत)

प्रथमः पाठः (वाराणसी)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) अगणित पर्यटक दूर देशों से वाराणसी आते हैं। - अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः वाराणसी नगरीम् आगच्छन्ति।
(ख) वे यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। - ते अत्र निःशुल्कं विद्यां गृह्णन्ति।
(ग) यह नगरी विविध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। - इयं नगरी विविधानां कलानां कृते प्रसिद्धा अस्ति।
(घ) वाराणसी की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। - वाराणस्याः प्रस्तरमूर्त्तयः प्रसिद्धाः।
(ङ) वाराणसी में मरना मंगलमय होता है। - वाराणस्यां मरणं मंगलमयं भवति।

द्वितीयः पाठः (अन्योक्ति विलासः)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) कुआँ सोचता है कि मैं अत्यन्त नीच हूँ। - कूपः चिन्तयति नितरां नीचोऽस्मीति।
(ख) हंस नीर-क्षीर विवेक में प्रख्यात है। - हंसः नीर-क्षीर विवेके प्रसिद्ध अस्ति।
(ग) कोकिल! दुर्दिन सदैव नहीं रहते हैं। - कोकिला! दुर्दिनानि सदैव न सन्ति।
(घ) भिक्षुक! प्रत्येक व्यक्ति के सामने दीन वचन मत कहो। - भिक्षुक! प्रत्येकं प्रति दीन वचः न वदतु।
(ङ) सूर्य उदित होगा और कमल खिलेंगे। - सूर्यः उदेष्यति कमलानि च हसिष्यन्ति।
(च) ताड़ना से सोना दुःखी नहीं है। - ताड्नात् स्वर्णः न क्लिश्यति।
(छ) रात बीतेगी और सवेरा होगा। - रात्रिः गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम्।

तृतीयः पाठः (वीरः वीरेण पूज्यते)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) यवन सेनापति बन्दी पुरुराज को लाता है। - यवन सेनापतिः वन्दिनं पुरुराजम् आनयति।

(ख) वीरभाव ही वीरता होती है। - वीरभावः एव वीरता भवति।
(ग) वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। - वीरः वीरेण पूज्यते।
(घ) तुम भारत को जीतना चाहते हो। - त्वम् भारतं जेतुम् इच्छसि।
(ङ) यह हमारा आन्तरिक विषय है। - एषः अस्माकं आन्तरिकः विषयः।
(च) सागर के उत्तर में भारतवर्ष है। - समुद्रस्य उत्तरे भारतवर्षः अस्ति।
(छ) भारत-विजय क्या मेरे लिए दुष्कर है? - किम् मे भारत-विजयः दुष्करः?

चतुर्थः पाठः (प्रबुद्धो ग्रामीणः)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) ग्रामीण आज भी अशिक्षित हैं। – ग्रामीणः अद्यापि अशिक्षिताः सन्ति।
(ख) ऐसा सुनकर वृद्ध बोला। – एतत् श्रुत्वा वृद्धः अवदत्।
(ग) आप दस रुपये देंगे। – भवान् दस रुप्यकाणि दास्यति।
(घ) मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। – अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि।
(ङ) क्या आप उत्तर दे सकते हैं? – किम् भवान् उत्तरं दातुं समर्थः।
(च) अब आप प्रश्न पूछिये? – सम्प्रति भवान् प्रश्नं प्रच्छतु?
(छ) ग्रामीण चतुर नहीं होते हैं। – ग्रामीणाः चतुराः न भवन्ति।

पंचमः पाठः (देशभक्तः चन्द्रशेखरः)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) हमें देशभक्त होना चाहिए। – वयम् देशभक्ताः भवेयुः।
(ख) देशभक्त निर्भीक होते हैं। – देशभक्ताः निर्भीकाः भवन्ति।
(ग) भगतसिंह भी चतुर व निर्भीक राष्ट्रभक्त थे। – भगतसिंह अपि चतुरः निर्भीकः राष्ट्रभक्तः च आसीत्।
(घ) देशभक्तों का बलिदान प्रेरणाप्रद होता है। – देशभक्तानां बलिदानः प्रेरणाप्रदः भवति।
(ङ) आजाद को बच्चों ने घेर लिया। – सर्वे बालकाः आजादं परितः वेष्ठयन्ति।
(च) हमें अपना कर्त्तव्य करना चाहिए। – वयं स्वकर्त्तव्यं कुर्याम।
(छ) सदा सत्य की जीत होती है। – सर्वदा सत्यमेव जयते।

षष्ठः पाठः (केन किं वर्धते?)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। – अशौचेन दारिद्र्यं वर्धते।
(ख) अभ्यास से निपुणता बढ़ती है। – अभ्यासेन निपुणता वर्धते।
(ग) सत्य से आत्मशक्ति बढ़ती है। – सत्येन आत्मशक्तिः वर्धते।
(घ) उपेक्षा से शत्रुता बढ़ती है। – उपेक्षया शत्रुता वर्धते।
(ङ) उदारता से अधिकार बढ़ते हैं। – औदार्येण प्रभुत्वं वर्धते।

सप्तमः पाठः (आरुणि श्वेतकेतु संवाद)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) ऋग्वेद प्राचीन ग्रन्थ है। – ऋग्वेद प्राचीन ग्रन्थः अस्ति।
(ख) उपनिषद् ज्ञान के लिए महत्त्वपूर्ण है – उपनिषद् ज्ञानाय महत्त्वपूर्णं अस्ति।
(ग) आरुणि ने श्वेतकेतु को आत्मतत्त्व का उपदेश दिया। – आरुणि श्वेकेतुं आत्मतत्त्वस्य उपदेशं अददात्।
(घ) औपनिषद् दर्शन ही सम्यग्दर्शन है। – औपनिषद् दर्शनेव सम्यग्दर्शनं अस्ति।

अष्टमः पाठः (भारतीयाः संस्कृतिः)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) मानव जीवन को संस्कारित करना ही संस्कृति है। – मानव जीवनस्य संस्करणाम् एव संस्कृतिः अस्ति।
(ख) हमारे पूर्वज धन्य थे। – अस्माकं पूर्वजाः धन्याः आसन्।
(ग) भारतीय संस्कृति उदार एवं गतिशील है। – भारतीय संस्कृतिः उदार गतिशील च अस्ति।
(घ) हम सब एक ही संस्कृति के उपासक हैं। – वयम् सर्वेऽपि एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः सन्ति।
(ङ) भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। – भारतीयाः संस्कृतिः सर्वश्रेष्ठः अस्ति।
(च) काम करके ही फल मिलता है। – कर्म कृत्वा एव फलं प्राप्यति।
(छ) सभी निरोग रहें और कल्याण प्राप्त करें। – सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु च।

नवमः पाठः (जीवन सूत्राणि)

निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए–

(क) मरनेवाले के साथ दान ही जाता है। – मृतकेन सह दानम् एव गच्छति।
(ख) विद्या सब धनों में प्रधान है। – विद्या सर्व धनं प्रधानम्।
(ग) इच्छारहित व्यक्ति ही धनी होता है। – कामनारहितः जनः एव धनिकः भवति।
(घ) मनुष्य को निर्लोभी होना चाहिए। – मनुष्यः लोभहीनः भवेत्।
(ङ) वैद्यराज! तुमको नमस्कार है। – वैद्यराज! तुभ्यं नमः।
(च) तुम यमराज के सहोदर हो। – त्वम् यमराजस्य सहोदरः अस्ति।
(छ) जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। – जन्मभूमिः स्वर्गादपि गरीयसी।
(ज) विदेश में धन मित्र होता है। – विदेशेषु धनं मित्रं भवति।
(झ) घर में पत्नी ही मित्र होती है। – गृहे भार्या एव मित्रं भवति।

॥ हिन्दी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद ॥

1. तुम घर जाओ। त्वं गृहं गच्छ।
2. सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सुखिनः भवन्तु।
3. विवेक पुस्तक पढ़ता है। विवेकः पुस्तकं पठति।

4. वह कान से बहरा है। सः कर्णेन बधिरः।
5. बच्चे मैदान में खेलते हैं। बालकाः क्षेत्रे क्रीडन्ति।
6. गंगा के तट पर अनेक तीर्थ हैं। गंगायाः तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति।
7. छात्र पुस्तक पढ़ेंगे। छात्राः पुस्तकं पठिष्यन्ति।
8. सदाचार से यश प्राप्त होता है। सदाचारेण यशः प्राप्नोति।
9. तुम कहाँ जा रहे हो? त्वं कुत्र गच्छसि।
10. सीता वाराणसी जायेगी। सीता वाराणसी नगरीं गमिष्यति।
11. गुरुओं का सम्मान करो। गुरुणां सम्मानं कुरु।
12. सरोवर में कमल खिलते हैं। सरोवरे कमलानि विकसन्ति।
13. मैं राधाकृष्ण को प्रणाम करता हूँ। अहं राधाकृष्णाभ्यां नमामि।
14. मैं आज घर जाऊँगा। अहं अद्य गृहं गमिष्यामि।
15. तुम दोनों क्या करते हो? युवां किं कुरुथः।
16. दिव्या विद्यालय गयी। दिव्या विद्यालयं अगच्छत्।
17. मोहन अच्छा लड़का है। मोहनः सद् बालकः अस्ति।
18. तुम्हें प्रातःकाल नहाना चाहिए। त्वं प्रातः काले स्नानं कुर्याः।
19. उठो, जागो और पढ़ो। उतिष्ठ, जाग्रत पठ च।
20. छात्र विद्यालय जाते हैं। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति।
21. अभ्यास से विद्या बढ़ती है। अभ्यासेन विद्या वर्धते।
22. मैं आज वाराणसी नगरी जाऊँगा। अहम् अद्य वाराणसी नगरीं गमिष्यामि।
23. रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः आसीत्।
24. सदाचार की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः।
25. तुम दोनों चलचित्र देखो और घर जाओ। युवां चलचित्रं पश्यतं गृहं च गच्छतम्।
26. मेरा मित्र आज घर गया। मम मित्रः अद्य गृहम् अगच्छत्।
27. तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? तव विद्यालयः कुत्र अस्ति?
28. राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रामः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति।
29. आज मेरे विद्यालय में उत्सव होगा। अद्य मम विद्यालये उत्सवः भविष्यति।
30. बच्चे विद्यालय जाते हैं। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति।
31. बड़ों का आदर करो। गुरुजनानां आदरं कुरु।
32. गोपी भोजन बना रही है। गोपी भोजनं पचति।
33. मैंने तुम्हारे मित्र को नहीं देखा। अहं तव मित्रं न अपश्यम्।
34. सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। सूर्यः पश्चिमदिशायाम् अस्तं भवति।
35. प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। प्रयागः गंगातटे स्थितः अस्ति।
36. उन्होंने गृहकार्य किये। ते गृहकार्यं अकुर्वन।
37. हम दोनों बाजार जायेंगे। आवाम् आपणं गमिष्यावः।
38. हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। वयम् सदा सत्यं वदेत।
39. क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे? किम् त्वम् अद्य विद्यालयं न गमिष्यसि?
40. आज भी अनेक ग्रामीण अशिक्षित हैं? अद्यापि अनेके ग्रामीणाः अशिक्षिताः सन्ति।
41. ताजमहल यमुना किनारे पर स्थित है। ताजमहलः यमुना तटे स्थितः अस्ति।
42. सीता घर जा रही है। सीता गृहं गच्छति।
43. छात्राएँ पत्र लिखेंगी। छात्राः पत्रं लेखिष्यन्ति।

44. हमें नित्य भ्रमण करना चाहिए। वयम् नित्यं भ्रमेम।
45. वे सभी विद्यालय गये। ते विद्यालयं अगच्छन्।
46. मैं प्रतिदिन विद्यालय को जाता हूँ। अहम् प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि।
47. वे दोनों मिठाई खाते हैं। तौ मिष्ठान्नम् खादतः।
48. राम ने मुझे पत्र लिखा। रामः माम पत्रं अलिखत्।
49. संस्कृत संस्कार की भाषा है। संस्कृतः संस्कारस्य भाषा अस्ति।
50. विद्या विनय से बढ़ती है। विद्या विनयात् वर्धते।
51. तुम पुस्तक ले आओ। त्वम् पुस्तकं नय।
52. हम सब भारतीय नागरिक हैं। वयं भारतीय नागरिकाः सन्ति।
53. वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा तटे स्थितः अस्ति।
54. सूर्य पूरब में उदित होता है। सूर्यः पूर्वदिशायाम् उदयति।
55. वह कल विद्यालय गया था। सः ह्यः विद्यालयं अगच्छत्।
56. तुम दोनों घर जाओ। युवाम् गृहं गच्छतम्।
57. छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए। छात्राः परिश्रमेण पठेयुः।
58. लड़कियाँ भोजन पकायेंगी। बालाः भोजनं पक्ष्यन्ति।
59. मोहन का गाँव कहाँ है? मोहनस्य ग्रामः कुत्रास्ति?
60. वे दोनों शीघ्र वाराणसी जायेंगे। तौ शीघ्रं वाराणसी गमिष्यतः।
61. मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अहं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि।
62. तुम अपने घर जाओ। त्वं स्व गृहं गच्छ।
63. गाय का दूध गुणकारी होता है। धेनोः दुग्धं गुणकारी भवति।
64. क्या सब लड़कियाँ चली गयीं? किं सर्वाः बालिकाः अगच्छन्?
65. बच्चों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बालकाः श्रेष्ठ जनानां सम्मानं कुर्युः।
66. जंगल में मोर नाच रहे हैं। वने मयूराः नृत्यन्ति।
67. वह विद्यालय गया। सः विद्यालयम् अगच्छत्।
68. क्या सभी लोग चले गये? किं सर्वे जनाः अगच्छत्?
69. हमें माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। वयं पित्रोः सेवां कुर्याम।
70. लड़कियाँ सरोवर में स्नान कर रही हैं। बालिकाः सरोवरे स्नानं कुर्वन्ति।
71. मानव सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है। मानव सेवामेव श्रेष्ठः धर्मः अस्ति।
72. स्वर्णिमा कल वाराणसी नगर जायेगी। स्वर्णिमा श्वः वाराणसी नगरं गमिष्यति।
73. वे दोनों कहाँ गये? तौ कुत्र अगच्छतम्।
74. गंगा भारत की पवित्र नदी है। गङ्गा भारतवर्षस्य पावना नदी अस्ति।
75. शिक्षा से कल्याण होता है। शिक्षया कल्याणं भवति।
76. राम ने पत्र लिखा। रामः पत्रम् अलिखत्।
77. तुम दोनों घर जाओ। युवां गृहं गच्छतम्।
78. सदा माता-पिता की सेवा करो। सर्वदा पित्रोः सेवां कुरु।
79. हमें बड़ों का सदैव आदर करना चाहिए। वयं गुरुणां सर्वदा आदरं कुर्याम।
80. वह पढ़ी। सा अपठत्।
81. जवाहरलाल का जन्म प्रयाग में हुआ था। जवाहरलालस्य जन्म प्रयागे अभवत्।
82. तुम कब पढ़ोगे? त्वम् कदा पठिष्यसि?
83. वह घर गया। सः गृहम् अगच्छत्।

॥ परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण वाक्यों का हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद ॥

1. राम शहर में रहता है।	रामः नगरेः निवसति।
2. राम विद्यालय जाता है।	रामः विद्यालयं गच्छति।
3. मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी।	मम मित्रं पुस्तकम् अपठत्।
4. तुम दोनों घर जाओगे।	युवां गृहं गमिष्यथः।
5. मैं गाय का दूध पीता हूँ।	अहम् गोदुग्धं पिबामि।
6. वे खेत में खेल रहे हैं।	ते क्षेत्रे क्रीडन्ति।
7. हम लोग विद्यालय जाते हैं।	वयं विद्यालयं गच्छामः।
8. हरि ने कार्य किया।	हरिः कार्यम् अकरोत्।
9. उन्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए।	ते पुस्तकं पठेयुः।
10. तुम लोग जाओ।	यूयं गच्छत।
11. छात्र हँसते हैं।	छात्राः हसन्ति।
12. गुरु को देखो।	गुरुं पश्यतु।
13. तुम नदी को देखो।	त्वम् नदीं पश्य।
14. मैं आज वाराणसी जाऊँगा।	अहम् अद्य वाराणसी गमिष्यामि।
15. दोनों बालकों ने क्या किया?	बालकौ किं अकुरुताम्?
16. हमें घर जाना चाहिए।	वयम् गृहम् गच्छेम।
17. उन सबको पढ़ना चाहिए।	ते सर्वे पठेयुः।
18. तुम दोनों गये।	युवाम् अगच्छतम्।
19. खेलने के बाद बालक मिठाई खाते हैं।	क्रीडित्वा बालकाः मिष्ठान्नं खादन्ति।
20. वह क्या करता है?	सः किं करोति?
21. हमें पढ़ना चाहिए।	वयं पठेम।
22. वे दोनों प्रयाग गये।	तौ प्रयागं अगच्छताम्।
23. तुम सब वहाँ क्या करोगे?	यूयं तत्र किम् करिष्यथ?
24. रामकृष्ण एक महापुरुष थे।	रामकृष्णः एकः महापुरुषः आसीत्?
25. सीता ने भोजन पकाया।	सीता भोजनम् अपचयत्।
26. मैं विद्यालय जाऊँगा।	अहं विद्यालयं गमिष्यामि।
27. बुरे वचनों से कलह होती है।	दुर्वचनेः कलहः भवति।
28. तुम अपना कार्य शीघ्र करो।	त्वम् स्वकार्यं शीघ्रं कुरु।
29. मेरा भाई प्रातः जायेगा।	मम भ्राता प्रातः गमिष्यति।
30. राम समुद्र के समान गंभीर थे।	रामः समुद्रेण समः गम्भीरः आसीत्।
31. छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए।	छात्राः परिश्रमेण पठेयुः।
32. परिश्रम से सफलता अवश्य मिलती है।	परिश्रमेण सफलता अवश्यं लभते।
33. तुमने लिखा।	त्वम् अलिखत्।
34. उन्होंने कल चलचित्र देखा।	ते ह्यः चलचित्रं अपश्यन्।

35. वे आज पुस्तकालय में पढ़ेंगे। ते अद्य पुस्तकालये पठिष्यन्ति।
36. स्वराष्ट्र प्रेम प्रत्येक भारतीय का कर्त्तव्य है। स्वराष्ट्र प्रेमः प्रत्येक भारतीयस्य कर्त्तव्यः अस्ति।
37. तुम दोनों अपना कार्य शीघ्र करो। युवाम् स्वकार्यं शीघ्रं कुरुतम्।
38. विनय मनुष्य का भूषण है। विनय मनुष्याणाम् आभूषणमस्ति।
39. प्रयाग एक तीर्थस्थान है। प्रयागः एकं तीर्थ-स्थानम् अस्ति।
40. मीरा विद्यालय जाती है। मीरा विद्यालयम् गच्छति।
41. तुम कहाँ जाओगे? त्वम् कुत्र गमिष्यसि।
42. शिष्यों ने गुरु से प्रश्न पूछा है। शिष्याः गुरुन् प्रश्नं पृच्छेयुः।
43. वे कहाँ पढ़ते हैं? ते कुत्र पठन्ति।
44. हमें घर जाना चाहिए। वयं गृहं गच्छेम।
45. वाराणसी बड़ी नगरी है। वाराणसी एका विशालः नगरी अस्ति।
46. विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या विनयं ददाति।
47. भ्रमर गुंजार करते हैं। भ्रमराः गुंजारं कुर्वन्ति।
48. वे दोनों विद्यालय जायेंगे। तौ विद्यालयं गमिष्यतः।
49. तुम्हें प्रतिदिन भ्रमण करना चाहिए। त्वम् प्रतिदिनं भ्रमणं कुर्याः।
50. सुन्दर प्रभात होगा। सुन्दरं प्रभातं भविष्यति।
51. राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रामः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति।
52. आज मेरे विद्यालय में उत्सव होगा। अद्य मम विद्यालये उत्सवः भविष्यति।
53. बड़ों का आदर करो। गुरुजनान् प्रति आदरं कुरु।
54. रमा क्यों हँस रही है? रमा किं विहसति।
55. गोपी भोजन बना रही है। गोपी भोजनं पचति।
56. मैंने तुम्हारे मित्र को नहीं देखा। अहं तव मित्रं न अपश्यम्।
57. वह प्रतिदिन दूध पकाता है। सः प्रतिदिनं दुग्धं पचति।
58. विद्या परिश्रम से आती है। विद्या परिश्रमेण लभते।
59. फूल वसन्त में खिलते हैं। वसन्ते कुसुमानि विकसन्ति।
60. वह गया। सः अगच्छत्।
61. मैं कल घर जाऊँगा। अहं श्वः गृहं गमिष्यामि।
62. हम दोनों रात में पढ़ते हैं। आवां रात्रौ पठावः।
63. घर जाओ और पढ़ो। गृहं गच्छ पठ च।
64. ये फल हैं। एतानि फलानि सन्ति।
65. रोजाना पढ़ना चाहिए। नित्यम् पठितव्यम्।
66. हम आज गेंद से खेलेंगे। वयम् अद्य कन्दुकेन क्रीडस्यामः।
67. तुम्हारा नाम क्या है? तव किम् नाम अस्ति।
68. वे दोनों पाठशाला गये। तौ पाठशालां अगच्छताम्।
69. मैं आज घर जाऊँगा। अहम् अद्य गृहं गमिष्यामि।
70. हम लोग विद्यालय में पढ़ेंगे। वयं विद्यालये पठिष्यामः।

71. वे घर गये। ते गृहम् अगच्छन्।
72. वे दोनों विद्यालय कब गये थे? तौ विद्यालयं कदा अगच्छताम्?
73. बालिकायें घर कब जायेंगी? बालिकाः गृहं कदा गमिष्यन्ति?
74. बालिकायें खेल रही हैं। बालिकाः क्रीडन्ति।
75. वह वाराणसी कब गया था? सः वाराणसी कदा अगच्छत्?
76. सन्तोष उत्तम धन है। सन्तोषः उत्तमः धनम् अस्ति।
77. मैंने पुस्तक पढ़ी। अहम् पुस्तकं अपठम्।
78. वह कल वाराणसी जायेगा। सः श्वः वाराणसी गमिष्यति।
79. अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। स्वराष्ट्रस्यरक्षां अस्माकं धर्मः अस्ति।
80. दिलीप कुएँ से पानी लाता है। दिलीपः कूपात् जलम् आनयति।
81. हम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए। आवां विद्यालयं गच्छेव।
82. सच और मीठा बोलो। सत्यं च मधुरं वद।
83. वे वहाँ नहीं पढ़ेंगे। ते तत्र न पठिष्यन्ति।
84. मैंने आज भोजन पकाया। अहम् अद्य भोजनम् अपचम्।
85. बालिकाएँ पुस्तक पढ़ती हैं। बालिकाः पुस्तकं पठन्ति।
86. परिश्रमपूर्वक विद्याध्ययन करो। परिश्रमेण विद्याध्ययनं कुरु।
87. निर्धन को दान देना चाहिए। निर्धनाय दानं दद्युः।
88. हम लोग मैदान में खेलेंगे। वयं क्षेत्रे क्रीडष्यामः।
89. हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। हिन्दी अस्माकं राष्ट्रभाषा अस्ति।
90. वह कल घर जायेगा। सः श्वः गृहं गमिष्यति।
91. तुम दोनों पुस्तकालय जाओ। युवां पुस्तकालयं गच्छतम्।
92. गुरु ने शिष्य को देखा। गुरुः शिष्यं अपश्यत्।
93. उसे पढ़ना चाहिए। सः पठेत्।
94. सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
95. हमारा राष्ट्र विशाल है। अस्माकं राष्ट्रः विशालः अस्ति।
96. विद्या सब धर्मों में प्रधान है। विद्या सर्वेषु धनेषु प्रधानम् अस्ति।
97. हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला अस्ति।
98. वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति।
99. हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात् गंगा निर्गच्छति।
100. मैं आज कानपुर जाऊँगा। अहम् अद्य कानपुरं गमिष्यामि।
101. तुम प्रतिदिन विद्यालय जाओ। त्वं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छ।
102. हमें प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए। वयं प्रातःकाले भ्रमेम।
103. तुम विद्यालय जाओ। त्वं विद्यालयं गच्छ।
104. तुम दोनों घर जाओ। युवां गृहं गच्छतम्।
105. श्यामा पुस्तक पढ़ती है। श्यामा पुस्तकं पठति।
106. वे विद्यालय गये। ते विद्यालयं अगच्छन्।

107. महेन्द्र मैदान में खेलेगा।	महेन्द्र क्षेत्रे क्रीडष्यति।
108. गंगा हिमालय से निकलती है।	गंगा हिमालयात् प्रभवति।
109. राम बालक को मिठाई देता है।	रामः बालकं मिष्ठानं ददाति।
110. सदा सच बोलो।	सदा सत्यं वद।
111. मैं विद्यालय पढ़ने जाऊँगा।	अहं विद्यालयं अध्ययनाय गमिष्यामि।
112. रमा भोजन पकायेगी।	रमा भोजनं पक्ष्यति।
113. मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं।	मार्गं उभयतः वृक्षाः सन्ति।
114. हमें अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए।	वयं स्व पुस्तकं पठेम।
115. तुम दोनों ने मानचित्र देखा।	युवां मानचित्रं अपश्यतम्।
116. काशी संस्कृत भाषा का केन्द्र है।	काशी संस्कृत भाषायाः केन्द्रः अस्ति।
117. मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ।	अहं नित्यं स्नानं करोमि।
118. सुभाषचन्द्र बोस देशभक्त थे।	सुभाषचन्द्र बोसः देशभक्तः आसीत्।
119. राम बालक को मिठाई देता है।	रामः बालकं मिष्ठानं ददाति।
120. मैं विद्यालय पढ़ने जाऊँगा।	अहं विद्यालयं अध्ययनाय गमिष्यामि।
121. वह घर गयी।	सा गृहम् अगच्छत्।
122. वह विद्यालय जाती है।	सा विद्यालयं गच्छति।
123. यह राम की किताब है।	इदम् रामस्य पुस्तकं अस्ति।
124. मैं विद्यालय जाऊँगा।	अहम् विद्यालयम् गमिष्यामि।
125. मार्ग के दोनों ओर भवन थे।	मार्गम् उभयतः भवनानि स्तः।
126. मुझे घर जाना चाहिए।	अहम् गृहं गच्छेयम्।
127. सन्तोष उत्तम सुख है।	सन्तोषः उत्तमः सुखः अस्ति।
128. मैं वाराणसी जाऊँगा।	अहं वाराणसी गमिष्यामि।
129. अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है।	स्वराष्ट्रस्य रक्षां कुरु अस्माकं धर्मः।
130. सभी छात्र पत्र लिखेंगे।	छात्राः पत्रं लिखस्यन्ति।
131. दान से कीर्ति बढ़ती है।	दानेन कीर्तिः वर्धयति।
132. सोहन के साथ मोहन घर गया।	सोहनेन सह मोहनः गृहम् अगच्छत्।
133. हम सब पढ़ते हैं।	वयं पठामः।
134. वह घर से निकल गया।	सः गृहात् निर्गच्छत्।
135. प्रयाग में गंगा-यमुना का संगम है।	प्रयागे गंगा-यमुनायाः संगमः अस्ति।
136. मैं कल दिल्ली जाऊँगा।	अहं श्वः दिल्ली गमिष्यामि।
137. वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है।	वाराणसी गंगायाः पावन तटे स्थिता।
138. मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ।	अहं प्रतिदिनं स्नानं करोमि।
139. देशभक्त निर्भीक होते हैं।	देशभक्ताः निर्भीकः भवन्ति।
140. हम सब भारत के नागरिक हैं।	वयम् भारतस्य नागरिकाः सन्ति।
141. तुम पुस्तक पढ़ो।	त्वम् पुस्तकं पठ।
142. राम स्वभाव से दयालु है।	रामः स्वभावेन दयालुः अस्ति।

143. वह किसका घोड़ा है? सः कस्य अश्वः अस्ति?
144. वह गया। सः अगच्छत्।
145. वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षात् फलानि पतन्ति।
146. सिकन्दर कौन था? सिकन्तरः कः आसीत्।
147. शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। शिष्यः गुरुं प्रश्नं अपृच्छत्।
148. मेरा मित्र विद्यालय जाता है। मम मित्रः विद्यालयं गच्छति।
149. छात्रों को सत्य बोलना चाहिए। छात्राः सत्यं वदेयुः।
150. वह सदा परिश्रम करेगा। सः सदा परिश्रमं करिष्यति।
151. तुम आज्ञा का पालन करो। त्वं आज्ञापालनं कुरु।
152. मुझे घर जाना चाहिए। माम् गृहं गच्छेयम।
153. वह पैर से लंगड़ा है। सः पादेन खञ्जः।
154. काशी संस्कृत भाषा का केन्द्र है। काशी संस्कृत भाषायाः केन्द्रः अस्ति।
155. मैं कल लखनऊ जाऊँगा। अहं श्वः लखनऊ गमिष्यामि।
156. सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्यं वदेत्।
157. मैं बाजार जाता हूँ। अहं आपणं गच्छामि।
158. अभ्यास से विद्याधन बढ़ता है। अभ्यासेन विद्याधनं वर्धते।
159. वह घर जायेगी। सा गृहं गमिष्यति।
160. वह किताब पढ़ती है। सा पुस्तकं पठति।
161. अपना कर्त्तव्य शीघ्र करो। स्वकर्त्तव्यं शीघ्रं कुरु।
162. वे लड़के दिन में कहाँ पढ़ेंगे? ते बालकाः दिवसे कुत्र पठिष्यन्ति।
163. शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। शिष्यः गुरुन् प्रश्नं अपृच्छत्।
164. बच्चे मैदान में खेलते हैं। बालकाः क्षेत्रे क्रीडन्ति।
165. तुम्हें पढ़ना चाहिए। त्वां पठेः।
166. वाराणसी गंगा के किनारे पर स्थित है। वाराणसी गंगा तटे स्थितः अस्ति।
167. यमुना के तट पर एक गाँव था। यमुना तटे एकः ग्रामः आसीत्।
168. छात्र विद्यालय जाते हैं। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति।
169. आकाश में बादल गरजते हैं। आकाशे घनाः गर्जन्ति।
170. राम को पुस्तक दो। रामं पुस्तकं देहि।
171. वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है। वाराणसी एका प्रसिद्धः धार्मिक नगरी अस्ति।
172. तुम अपना पाठ पढ़ो। त्वम् स्वपाठं पठ।
173. क्या आज सोमवार है? किम् अद्य सोमवारः अस्ति।
174. मोहन फुटबाल खेलता है। मोहनः पादकन्दुकं क्रीडति।
175. हम दोनों जाते हैं। आवाम् गच्छावः।
176. छात्र ने लेख लिखा। छात्रः लेखं अलिखत्।
177. राम को पुस्तक दो। रामाय पुस्तकं ददतु।
178. कल मैं विद्यालय जाऊँगा। अहं श्वः विद्यालयं गमिष्यामि।

179. ये फल हैं।	इमानि फलानि सन्ति।	
180. वे दोनों क्या करते हैं?	तौ के कुरुतः।	
181. राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है।	रामः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति।	
182. वाराणसी धर्मों की संगम-स्थली है।	वाराणसी धर्माणां संगमस्थली अस्ति।	**(2016CD)**
183. वे पुस्तक पढ़ते हैं।	ते पुस्तकं पठन्ति।	**(2016CG)**
184. राधा ने एक चित्र देखा।	राधा एकं चित्रम् अपश्यत्।	**(2017AA)**
185. देवदत्त अपने घर जाएगा।	देवदत्तः स्वगृहं गमिष्यति।	**(2017AA)**
186. विद्या विनय देती है।	विद्या विनयं ददाति।	**(2017AA)**
187. सदा सत्य बोलना चाहिए।	सदा सत्यं वदेत्।	**(2018HA)**
188. वह दिल्ली गया।	सः देलहीनगरं अगच्छत्।	**(2018HA)**
189. छात्र मैदान में खेलते हैं।	छात्राः क्षेत्रे क्रीडन्ति।	**(2018HA)**
190. वाराणसी गंगा तट पर स्थित है।	वाराणसी गंगायाः तटे स्थितः अस्ति।	**(2018HA)**
191. बालिकाएँ घर जाती हैं।	बालिकाः गृहं गच्छन्ति।	**(2019AA)**
192. भारत हमारा देश है।	भारतः अस्माकं देशः अस्ति।	**(2019AA)**
193. छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए	छात्राः ध्यानेन पठेयुः।	**(2019AA)**
194. तुम अपना कर्त्तव्य करो।	त्वम् स्वकर्त्तव्यं कुरु।	**(2019AA)**
195. दान से कीर्ति बढ़ती है।	दानेन कीर्तिः वर्धयति।	**(2020MC)**
196. सदा सत्य बोलो।	सदा सत्यं वद।	**(2020MC)**
197. राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए।	रामः स्वपुस्तकं पठेत्।	**(2020MC)**
198. प्रयाग गंगा के तट पर स्थित है।	प्रयागः गंगातटे स्थितः।	**(2020MD)**
199. मैं आज घर जाऊँगा।	अहं अद्य गृहं गमिष्यामि।	**(2020MB)**
200. वह उद्यान गया।	सः उद्यानं अगच्छत्।	**(2020MG)**
201. वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।	वृक्षात् पत्राणि पतन्ति।	**(2020ME)**
202. काशी संस्कृत भाषा का केन्द्र है।	काशी संस्कृत भाषायाः केन्द्रः अस्ति।	**(2020MF)**

●●

|| निबन्ध ||

1. विज्ञान के चमत्कार

अन्य शीर्षक– विज्ञान : वरदान या अभिशाप (2016CA) • विज्ञान से विकास और विनाश • विज्ञान की प्रगति • मानव जीवन में विज्ञान का योगदान • विज्ञान की देन • विज्ञान और मानव जीवन • विज्ञान का महत्त्व • विज्ञान के बढ़ते चरण • विज्ञान से लाभ व हानि, • विज्ञान ही विकास की आधारशिला है

रूपरेखा–1. प्रस्तावना। 2. व्यापकता। 3. विभिन्न आविष्कार तथा लाभ। 4. हानि। 5. उपसंहार।

1. प्रस्तावना–देश की दूरी नापनेवाली रेलगाड़ी, व्योम के वक्षस्थल पर विहार करनेवाला वायुयान, शब्द के समुद्र को विद्युत-सरिता के प्रवाह में सीमित करनेवाला रेडियो, टेलीविजन और कोलकाता में व्यवसाय में बँधे मारवाड़ी नवयुवक को जयपुर स्थित उसकी प्रियतमा से प्यार की दो बातें करानेवाला टेलीफोन आदि विज्ञान के ही आधुनिक आविष्कार हैं।

2. व्यापकता–आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं और तो और विचार की कोई गति नहीं जहाँ विज्ञान न हो। यदि प्राचीन भक्त कवि भगवान् के लिए 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना' कह सकते थे जो आज हम भी विज्ञान के लिए अधिकारपूर्वक कह सकते हैं-

'जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है।'

3. विभिन्न आविष्कार तथा लाभ–विज्ञान के प्रताप से आज दूर से दूर का स्थान भी समीप से समीपतर है। रेल, मोटर, जलयान, वायुयान तथा हैलीकॉप्टर आदि साधनों द्वारा कोई भी स्थान दूर नहीं रह गया है। इस संसार की तो बात ही क्या है? आज का वैज्ञानिक चन्द्रलोक की भी यात्रा कर आया है तथा मंगललोक पर जाने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान हमें केवल दूर से दूर स्थान तक अल्प समय और अल्प व्यय में पहुँचाता ही नहीं है, अपितु हजारों मील दूर के दृश्यों को टेलीविजन पर दिखा भी देता है।

विभिन्न क्षेत्रों में–विज्ञान ने समय को भी अपने चंगुल से नहीं छोड़ा है। ऐसी-ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है जो प्रकृति तथा मनुष्य के द्वारा एक लम्बे समय में किये जानेवाले कार्यों को थोड़े समय में कर देती है। रेडियो, टेलीविजन, तार, बेतार का तार और टेलीप्रिन्टर द्वारा पलक मारते ही संसार के एक छोर के समाचार दूसरे छोर तक पहुँच जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 'एक्स-रे', सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, 'इंजेक्शन' आदि के द्वारा एक नवीन कायाकल्प हो गया है। शिक्षा कार्य में भी विज्ञान ने बहुत कुछ सहायता प्रदान की है। भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र आदि विषयों का अच्छा ज्ञान वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से सरलता से हो जाता है। अणुवीक्षण यन्त्र तथा दूरदर्शन यन्त्रों की सहायता से मानव-ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ चुकी है। रेडियो, टेलीविजन तथा चलचित्रों की सहायता से विद्यार्थियों को मनोरंजक ढंग से प्रायः सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। 'प्रेस' के जीवन से पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों की प्राप्ति सरल से सरलतम हो गयी है।

हमारे दैनिक जीवन में भी विज्ञान ने अपूर्व सहायता की है। कपड़ा, फर्नीचर, सुई, कागज, पेंसिल, फाउण्टेन पेन, समाचार-पत्र, प्रसाधन दृश्य आदि सभी जीवनोपयोगी वस्तुएँ विज्ञान की दी हुई हैं। प्रियजनों के रूप तथा स्वर को सुरक्षित रखने के लिए कैमरा, टेपरिकार्डर का आविष्कार हो चुका है। हमारे नित्य-प्रति के जीवन में विज्ञान की पैठ से सभी विस्मित हैं। विज्ञान के आविष्कारों से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है।

4. हानि–उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि विज्ञान के आविष्कार मानव के जीवन की गहराई से घुल-मिलकर उसके हाथ-पाँव के समान ही उसके अभिन्न अंग बन गये हैं। इसका तात्पर्य है कि विज्ञान ने मानव का कल्याण ही किया है पर नहीं, चित्र

का एक पार्श्व यदि रंगीन होता है और मानव मन को लुभानेवाला होता है तो दूसरा अनाकर्षक होता है। विज्ञान का भी आज यही हाल है।

आज विज्ञान ने असंख्य मशीनों को जन्म दिया है। प्रत्येक छोटे-छोटे कार्य (रुई धुनना, कपड़ा सीना, कपड़ा धोना आदि) के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। एक-एक मशीन सैकड़ों और हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य करती है, जिससे बेकारी की एक नयी भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है। इन मशीनों ने ग्रामीण उद्योग-धन्धों और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है। मशीनों से बना माल देखने में अच्छा होता है और मूल्य में सस्ता पड़ता है। इसकी प्रतियोगिता में हाथ का बना माल भला कैसे टिक सकता है? इस मशीनीकरण ने कलात्मकता को भी पर्याप्त हानि पहुँचायी है।

जीवन में विलासिता और भौतिकता को प्रवेश कराने का सर्वाधिक उत्तरदायित्व विज्ञान पर ही है। उसने आज जीवन को आनन्द देने वाली तथा विलासिता की वस्तुएँ प्रदान की हैं कि मनुष्य चाहते हुए भी उनसे नहीं बच पाता है।

विज्ञान ने प्रत्यक्ष रूप से प्राणिजगत् को नष्ट करने के कुछ कम साधन उत्पन्न नहीं किये हैं। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट, बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम आदि ऐसे शस्त्र हैं, जो पलक मारते ही लाखों मनुष्यों को भस्म कर डालते हैं। अस्त्र-शस्त्र वायुमण्डल को भी इतना दूषित कर देते हैं कि मानव-जगत् में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आज विज्ञान से मानव को ही नहीं मानवता को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

5. उपसंहार—अब विश्वास हुआ है कि ये वैज्ञानिक आविष्कार मानव जाति के लिए अभिशाप अधिक हैं वरदान कम। सत्य भी यह है कि जब से वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को सुविधा दी है और उसकी भोग की भूख को तीव्र किया है, तब से विश्व में शान्ति की समस्याएँ पेचीदा होती जा रही हैं और उनका कोई समाधान नहीं दिखाई देता।

2. राष्ट्रप्रेम, स्वदेश-प्रेम या देशभक्ति (2016CG,17AA,20ME)

अन्य शीर्षक—• जननी-जन्मभूमि प्रिय अपनी • हमारा प्यारा भारतवर्ष • विद्यार्थी और देशप्रेम • देशभक्ति की महत्ता • स्वदेश प्रेम • देशप्रेम (2017AA,19AA,AD,AF,20MF)

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) स्वदेश-प्रेम का तात्पर्य और उसकी उपयोगिता, (3) स्वदेश-प्रेम का वास्तविक स्वरूप, (4) स्वदेश-प्रेम के कुछ उदाहरण, (5) उपसंहार।

जो भरा नहीं है भावों से,
जिसमें बहती रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं है पत्थर है,
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं॥ **—मैथिलीशरण गुप्त**

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात् माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है।" जिस धरती की गोद में हम जन्मे हैं, जहाँ की धूल-मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, जहाँ के अन्न-जल और हवा से हमारे शरीर का पालन-पोषण हुआ है उसके प्रति हमारा लगाव होना स्वाभाविक ही है। एक पशु भी जिस स्थान पर रहता है उसके प्रति वफादार हो जाता है, फिर हम तो मनुष्य हैं। अपने देश और जाति के प्रति हममें प्रेम क्यों न हो। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जिसके हृदय में स्वदेश-प्रेम का सागर लहराया करता है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने में जो सुख मिलता है, देश की बलिवेदी पर हँस-हँस कर अपने प्राणों को न्योछावर करने में जो आनन्द मिलता है उसे सच्चे शहीद की आत्मा ही जानती है।

जिनमें देश-प्रेम नहीं होता और जो अपने क्षुद्र स्वार्थों की सिद्धि के लिए देश का बड़ा से बड़ा अहित करने की ताक में रहते हैं उन्हें 'देशद्रोही' कहते हैं। ये शत्रुओं से मिलकर अपने देश का भेद बतलाते हैं। तस्करी और चोरबाजारी द्वारा अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा देते हैं। जयचन्द और मानसिंह प्रत्येक युग में होते आये हैं और होते रहेंगे, किन्तु इससे निराश होने की कोई बात नहीं है। स्वदेश-प्रेम की लहरें बराबर अबाध गति से बहती चली आ रही है। जिसमें स्वाभिमान और स्वदेश-प्रेम नहीं होता वह बिल्कुल ही पशु के समान है, वह जीवित होकर भी मृतक के समान है—

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, नर पशु निरा है, और मृतक समान है॥

–मैथिलीशरण गुप्त

स्वदेश-प्रेम से तात्पर्य देश के लिए केवल मर-मिटना ही नहीं है बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का भी विकास करना स्वदेश-प्रेम का ही द्योतक है। आज देश स्वतन्त्र है। हमें आज सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी से करना है। यदि हम आत्मनिर्भर होने के लिए जी-जान से प्रयत्नशील हैं तो यह हमारा सबसे बड़ा स्वदेश-प्रेम होगा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि देश पर अपने प्राणों की बलि देकर ही स्वदेश-प्रेम का प्रदर्शन किया जाय। ऐसा प्रत्येक काम जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वदेश का हित होता है, स्वदेश प्रेम का द्योतक है। खेतों में काम करनेवाले किसान, मिलों में कठोर परिश्रम करनेवाले मजदूर, सीमा पर शत्रु से संघर्ष करनेवाले सैनिकों की अपेक्षा कम स्वदेश-प्रेम नहीं रखते। हाँ, दोनों के कार्य-क्षेत्र भिन्न-भिन्न अवश्य हैं किन्तु उद्देश्य सबका एक ही है। एक साहित्यकार अपनी साहित्य-सर्जना से स्वदेश-प्रेम की वही लहर पैदा करना है जिसे एक सैनिक सीमा पर अपने त्याग और बलिदान को मूर्त रूप देकर।

स्वदेश-प्रेम हमें अपने 'स्व' के सीमित क्षेत्र से ऊपर उठाता है तथा जनहित एवं लोकहित का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। वह हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाता है। मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है। देश की सुरक्षा के साथ-साथ वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान देता है। परस्पर प्रेम, सद्भावना एवं सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक एवं साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना भरता है।

आज हमारा देश स्वतन्त्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात् हमें स्वतन्त्रता मिली है। इस स्वतन्त्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतन्त्रता को केवल अक्षुण्ण ही नहीं रखना है बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतन्त्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश-प्रेम की भावना भरी जाय। जो जिस क्षेत्र में हों, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश-हित चिन्तन में लग जाय तो देश का सर्वतोमुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी सम्भव है जब हम देश-प्रेम के महत्त्व को स्वीकार करें।

3. समाचार-पत्र और उनसे लाभ

अन्य शीर्षक–• समाचार पत्रों का महत्त्व • मेरा प्रिय समाचार-पत्र । (2017AG,19AC)

रूपरेखा–(1) प्रस्तावना, (2) समाचार-पत्रों का प्राचीन स्वरूप, (3) समाचार-पत्रों की आवश्यकता और उनके प्रकार, (4) समाचार-पत्रों का विकास, (5) भारतीय समाचार-पत्रों के भेद, (6) समाचार-पत्रों की उपयोगिता, (7) समाचार-पत्रों के अनुचित प्रयोग से हानियाँ, (8) समाचार-पत्रों का उत्तरदायित्व और भविष्य, (9) उपसंहार।

1. प्रस्तावना–जिज्ञासा मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव में चिन्तनशक्ति अधिक है। उसकी ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती। जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, उससे ज्ञान की प्यास बढ़ती ही जाती है। साहित्य ही उसके मस्तिष्क की प्यास को बुझा सकता है। इस दृष्टि से देश-विदेश की सम्पूर्ण खबरों को जानने का एक ही साधन है–समाचार-पत्र।

2. समाचार-पत्रों का प्राचीन स्वरूप–प्राचीन समाज में भी समाचारों का आदान-प्रदान होता था। पहले यह कार्य संदेशवाहकों के माध्यम से किया जाता था। प्रथम समाचार-पत्र का जन्म इटली में हुआ था। इससे प्रभावित होकर इंग्लैण्ड में भी समाचार-पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया। भारत में इसका जन्म मुगलकाल में ही हुआ। इसी काल में 'अखबारात-ई-मुअतले' नामक समाचार-पत्र का उल्लेख मिलता है। हिन्दी में 'उदन्त मार्तण्ड' पहला समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ।

3. समाचार-पत्रों की आवश्यकता और उनके प्रकार–मानव की जिज्ञासा वृत्ति को शान्त करने के लिए समाचार-पत्रों का आविष्कार हुआ। विज्ञान ने आज सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार में बदल दिया है। देश-विदेश की घटनाओं का प्रभाव उस पर पड़ता है। अतः समाचार-पत्र ही इन घटनाओं को जानने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज की परिस्थितियों में समाचार-पत्र को युग की अनिवार्य आवश्यकता कहा जा सकता है।

आधुनिक समाचार-पत्र अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद

सम्बन्धी विविध प्रकार के समाचार-पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं।

4. समाचार-पत्रों का विकास—समाचार-पत्र सोलहवीं शताब्दी की देन हैं। मुद्रण-कला के विकास के साथ-साथ समाचार-पत्रों का प्रयोग और प्रचार बढ़ा। आज 'हिन्दुस्तान', 'नवभारत टाइम्स', 'नवजीवन', 'स्वतन्त्र भारत', 'आज', 'जनसत्ता', 'अमर उजाला', 'दैनिक जागरण' आदि उच्चकोटि के अनेक समाचार-पत्रों का प्रकाशन हिन्दी समाचार-पत्रों के विकास की चरम परिणति की सूचना दे रहा है।

5. भारतीय समाचार-पत्रों के भेद—प्रकाशन की समयावधि के आधार पर ही समाचार-पत्रों को विभिन्न नाम दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक दिये गये हैं। ये समाचार-पत्र विषय के अनुसार अनेक उपखण्डों में बाँटे जा सकते हैं जैसे– राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि। किन्तु आजकल एक ही समाचार-पत्र में पृथक्-पृथक् स्तम्भ देकर उपर्युक्त सभी सामग्री को एक साथ संकलित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाचार-पत्रों की उपयोगिता में और अधिक वृद्धि हो रही है।

6. समाचार-पत्रों की उपयोगिता—प्रत्येक व्यक्ति समाचार-पत्रों के माध्यम से अपनी अभिरुचि के अनुसार सामग्री प्राप्त करता है। हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने का श्रेय समाचार-पत्रों को ही है। व्यापारिक क्षेत्र में भी समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए 'आवश्यकता' के कॉलम दिये जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षाफल भी इनके माध्यम से जनसाधारण तक पहुँचाये जाते हैं। कुछ समाचार-पत्रों में मनोरंजन के साथ-साथ खेल-कूद का विस्तृत विवरण भी दिया जाता है। समाचार-पत्र मनुष्यों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख माध्यम है।

7. समाचार-पत्रों के अनुचित प्रयोग से हानियाँ—जब प्रकाशक एवं सम्पादक अपने पत्र के प्रचार व प्रसार के लिए दूषित साधन अपनाते हैं, पीत-पत्रकारिता पर आधारित भ्रामक एवं राष्ट्र-विरोधी खबरें छाप देते हैं, धार्मिक उन्माद भरते हैं तो इससे राष्ट्रीय एवं साम्प्रदायिक एकता को आघात पहुँचता है। वस्तुतः समाचार-पत्रों का मूल उद्देश्य मानव-कल्याण है किन्तु जब हम स्वार्थवश इस उद्देश्य को भूलकर इनके द्वारा अपने संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उनसे लाभ के स्थान पर हानि ही होती है।

8. समाचार-पत्रों का उत्तरदायित्व और भविष्य—समाचार-पत्रों का उत्तरदायित्व है कि मानवता एवं समाज तथा राष्ट्रविरोधी किसी भी समाचार को कभी प्रकाशित न करें। कभी ऐसे समाचार प्रकाशित न करें जिससे जनता दिग्भ्रमित हो और उसका नैतिक और चारित्रिक पतन हो। यदि समाचार-पत्र अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वाह करें तो निश्चय ही इनका भविष्य उज्ज्वल है।

9. उपसंहार—हमारे देश में समाचार-पत्रों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमारा देश अभी विकास के बाल्यकाल से ही गुजर रहा है, अतः हमारे समाचार-पत्रों में जनहित की सामग्री का होना नितान्त आवश्यक है। स्वस्थ समाचार-पत्र सरकार की नीतियों को सही रूप में जनता के सामने रखेंगे तो इसमें सन्देह नहीं कि देश का चरमोत्कर्ष सम्भव हो सकेगा।

4. देशाटन और उससे लाभ

अन्य शीर्षक– • देशाटन से लाभ (2016CA,CE,19AB) • देशाटन का महत्त्व

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) देशाटन की प्राचीनता, (3) आधुनिक काल में देशाटन की सुविधा, (4) देशाटन के लाभ– (अ) मनोरंजन की प्राप्ति, (ब) स्वास्थ्य-लाभ, (स) भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि, (द) व्यापारिक लाभ, (य) व्यावहारिकता तथा अनुभवों में वृद्धि, (5) देशाटन का महत्त्व, (6) कठिनाइयाँ, (7) उपसंहार।

सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ।
जिन्दगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ।

(1) प्रस्तावना—देशाटन का अभिप्राय है–'देश-विदेश का भ्रमण'। मानव-मन परिवर्तन चाहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। मनुष्य प्रतिदिन कुछ-न-कुछ नया चाहता है। इसी कारण वह विभिन्न देशों एवं स्थानों का भ्रमण करता है। देशाटन से केवल मनोरंजन ही नहीं होता, वरन् यह हमारे लिए अन्य कई दृष्टियों से एक वरदान भी है।

(2) देशाटन की प्राचीनता—मनुष्य अति प्राचीनकाल से ही भ्रमणशील रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी महत्ता

स्वीकार की गयी है। पहले मनुष्य तीर्थों के बहाने देशाटन करता था। कभी व्यापार के कारण व कभी ज्ञानार्जन के लिए वे अन्य देशों की यात्रा करते हैं। कई विदेशी यात्रियों का भारत-भ्रमण इसी दृष्टि से प्रसिद्ध है।

(3) आधुनिक काल में देशाटन की सुविधा—प्राचीन काल में देशाटन करना असुविधाजनक था, क्योंकि उस समय यातायात व आवागमन के साधन इतने सुलभ न थे। आधुनिक काल में वैज्ञानिक आविष्कारों ने विश्व की दूरी कम कर दी है और पूरा विश्व एक ही परिवार बन गया है। पहले की तरह अब यात्रा में अधिक भय भी नहीं रहता, मनुष्य बड़े आनन्द व सुख के साथ सारे संसार की यात्रा कर सकता है।

(4) देशाटन के लाभ-बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के पश्चात् भी साहसी यात्री देशाटन से विमुख नहीं हुए। भ्रमण के शौकीन कोलम्बस ने नये महाद्वीप का मार्ग खोज ही लिया था। आज जब मनुष्य के पास सभी साधन उपलब्ध हैं तो उसे देशाटन का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। देशाटन से प्राप्त लाभ इस प्रकार हैं–

(अ) मनोरंजन की प्राप्ति—मनोरंजन मानव-जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है। एकरसता से ऊबकर मानव-मन परिवर्तन चाहता है। इसी परिवर्तन के लिए वह देशाटन करता है। देशाटन से उसे मनोरंजन की प्राप्ति होती है।

(ब) स्वास्थ्य-लाभ—देशाटन से मनोरंजन होता है और मनोरंजन से चित्त प्रसन्न रहता है। प्राकृतिक वातावरण, स्वच्छ व शुद्ध जलवायु से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। यही कारण है कि डॉक्टर रोगियों को देशाटन की सलाह देते हैं।

(स) भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि—किसी भी स्थान की भौगोलिक जानकारी हेतु वहाँ का भ्रमण आवश्यक है। जो ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकता, वह प्रत्यक्ष दर्शन से अधिक प्रभावशाली रूप में प्राप्त हो जाता है।

(द) व्यापारिक लाभ—देशाटन से व्यक्ति को वस्तु के उत्पादन, उसकी माँग एवं उसके मूल्य का पता लग जाता है। विभिन्न देशों में कम मूल्य पर सामान खरीदकर और अपने देश में अधिक मूल्य पर बेचकर व्यापारी लाभ प्राप्त करते हैं।

(य) व्यावहारिकता तथा अनुभवों में वृद्धि—देशाटन द्वारा पुस्तकीय ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक देश के व्यवहार व संस्कृति में अन्तर होता है। देशाटन के माध्यम से हम उन देशों की संस्कृति व व्यवहार का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देशाटन के द्वारा हमारे अनुभवों में वृद्धि होती है। हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं।

(5) देशाटन का महत्त्व—जीवन के यथार्थ को समझने एवं संसार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति तथा कला-कौशल का ज्ञान प्राप्त करने में देशाटन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही सद्भाव तथा मैत्री की वृद्धि के लिए भी अनेक देशों के राजनयिक विदेशों की यात्रा करते हैं।

(6) कठिनाइयाँ—एक सफल देशाटन के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। सभी व्यक्ति यात्रा के अत्यधिक व्यय को वहन नहीं कर सकते। किसी स्थान की जलवायु अनुकूल न हो पाने के कारण वहाँ जाकर लोग बीमार भी हो जाते हैं।

(7) उपसंहार—प्राचीन काल में यातायात की इतनी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। ये यात्राएँ कष्टकारक होती थीं। आज जबकि आधुनिक साधनों ने देश में यात्रा को सुलभ तथा मार्गों को सुगम्य बना दिया है तब भी लोगों में देशाटन के प्रति बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं है। इसका कारण आर्थिक भी हो सकता है। यदि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाये तो देशवासियों में देशाटन के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो सकती है।

5. अनुशासन की समस्या

अन्य शीर्षक—• छात्र जीवन में अनुशासन का महत्त्व (2020MB,MF)

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) अनुशासन की परिभाषा एवं अर्थ, (3) अनुशासन का महत्त्व, (4) अनुशासनहीनता के कारण, (5) अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय, (6) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना—राष्ट्र का निर्माण अनुशासन के ही माध्यम से सम्भव है। पूर्व समय में राजा-महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल शिक्षा दिलाने के लिए गुरुओं के आश्रम में इसलिए भेजते थे ताकि उनके बच्चे अनुशासन में रहकर अच्छे चरित्रवान बनें तथा कठोर परिश्रम कर सकें। विद्यार्थियों के शारीरिक एवं नैतिक विकास के लिए आश्रम के गुरुओं ने कठोर नियम बनाये थे ताकि उनके विद्यार्थी हमेशा अनुशासित रहें। विचारों के परिवर्तन एवं समाज के विकास के साथ-साथ इस पद्धति में भारी परिवर्तन हुआ

और अब डर-भय के स्थान पर प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्वक अनुशासन की शिक्षा दी जाने लगी।

(2) अनुशासन की परिभाषा एवं अर्थ–अनुशासन का अर्थ है सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर बड़ों के आदेश का अनुसरण करना। पूर्व समय में शक्ति और भय के द्वारा किये गये नियन्त्रण को अनुशासन समझा जाता था।

पाश्चात्य विद्वान् 'प्लेटो' का मानना था :

``Discipline Must be Based on Love and Controlled by Love"

(सच्चा अनुशासन वही है जिसे विद्यार्थी अपनी इच्छा से आदेशानुसार कार्य करे।)

(3) अनुशासन का महत्त्व–अनुशासन का हमारे जीवन में महत्त्व बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अभाव में प्रकृति-प्रदत्त क्षमताओं का विकास रुक जाता है। सूर्य, चन्द्रमा एवं सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल एक अनुशासन में बंधे हैं। यदि ये अपने अनुशासन को तोड़ दें तो प्रलय हो जाये। जब-जब प्रकृति ने अनुशासन तोड़ा है तो भूकम्प, सूखा, महामारी जैसे प्रकोप मानव को झेलने पड़े हैं। इसीलिए हमारे समाज को चाहिए कि वह अनुशासित होकर प्रत्येक कार्य को समय पर करे जिससे हमारे देश के विकास चक्र में कोई रुकावट न आये।

(4) अनुशासनहीनता के कारण–अनुशासनहीनता के अनेक कारण हो सकते हैं– (1) वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली, (2) शिक्षकों का पतन, (3) विद्यालयों में अनैतिक कार्य, (4) शिक्षा का व्यावसायिक न होना, (5) अशिक्षित तथा अज्ञानी अभिभावक, (6) धार्मिक व नैतिक शिक्षा का अभाव आदि।

(5) अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय–(1) शिक्षा का गुणात्मक विकास, (2) शिक्षा-व्यवस्था में सुधार, (3) परीक्षा-प्रणाली में सुधार, (4) शिक्षकों के आचरण में सुधार, (5) धार्मिक व नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, (6) सृजनात्मक क्रियाएँ, (7) राजनीतिक प्रतिबन्ध आदि।

(6) उपसंहार–जिस देश के नागरिक अनुशासित होंगे वह देश और उसका समाज निश्चय ही उन्नतिशील होगा। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें अनुशासनहीनता जैसे गम्भीर विषयों को लेकर काफी चिन्तित हैं तथा इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। जापान जैसा छोटा-सा देश 1944-45 ई० में एटम बम से पूर्णतः बरबाद हो गया था मगर कुछ ही वर्षों में अपने घोर अनुशासन के बल पर प्रगति कर संसार के सर्वशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका से हर क्षेत्र में टक्कर लेने की दम भर सकता है तो फिर समझ लीजिए अनुशासन का मानव-जीवन, राष्ट्र जीवन में कितना महत्त्व है।

6. पुस्तकालय का महत्त्व

अन्य शीर्षक–• पुस्तकालय से लाभ (2016CG) • आदर्श पुस्तकालय • पुस्तकालय • पुस्तकालय की उपयोगिता (2016AD,17AG)

रूपरेखा–(1) प्रस्तावना, (2) पुस्तकालय का अर्थ, (3) पुस्तकालयों के प्रकार, (4) पुस्तकालय का महत्त्व (लाभ), (5) कुछ प्रसिद्ध पुस्तकालय, (6) पुस्तकालयों के प्रति हमारा कर्त्तव्य, (7) सुझाव, (8) उपसंहार।

1. प्रस्तावना–ज्ञान-पिपासा मानव का स्वाभाविक गुण है। इसके लिए मनुष्य पुस्तकों का अध्ययन करता है। पुस्तकालय वह भवन है जहाँ अनेक पुस्तकों का विशाल भण्डार होता है। वहाँ बड़े-बड़े विचारकों, महापुरुषों एवं विद्वानों द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें होती हैं। वहाँ जाकर मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक लेकर अध्ययन करता है। पुस्तकालय से बढ़कर ज्ञान-पिपासा शान्त करने का कोई उत्तम साधन नहीं है। यही पुस्तकें हमें असत् से सत् की ओर तथा अन्धकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हमारी अन्तःप्रकृति से गूँज उठती है–**''असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।''**

2. पुस्तकालय का अर्थ–पुस्तकालय का अर्थ है–**पुस्तकों का घर**। इसमें विविध विषयों पर अनेक विद्वानों के द्वारा लिखित पुस्तकों का विशाल संग्रह होता है। निर्धन व्यक्ति भी पुस्तकालय में विविध विषयों की पुस्तकों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पुस्तकालय में उच्चकोटि के ग्रन्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

3. पुस्तकालयों के प्रकार–पुस्तकालय चार प्रकार के होते हैं–(i) व्यक्तिगत पुस्तकालय, (ii) विद्यालयों के पुस्तकालय, (iii) सार्वजनिक पुस्तकालय, (iv) सरकारी पुस्तकालय।

व्यक्तिगत पुस्तकालयों से अधिक व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकते, उनसे वही व्यक्ति लाभान्वित होते हैं जिनकी वे सम्पत्ति होते हैं। **विद्यालयों के पुस्तकालयों का** उपयोग विद्यालय के छात्र और अध्यापक ही कर पाते हैं। इनमें अधिकांशतः विद्यार्थियों के उपयोग की ही पुस्तकें होती हैं। विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में शोध के लिए उपयोगी एवं अन्य अप्राप्य ग्रन्थ भी होते हैं। **सरकारी पुस्तकालयों** का उपयोग भी राजकीय कर्मचारी या विधान मण्डलों के सदस्य ही कर पाते हैं। केवल **सार्वजनिक पुस्तकालयों** का ही उपयोग सभी व्यक्तियों के लिए होता है। इनमें घर पर पुस्तकें लाने के लिए इनका सदस्य बनना पड़ता है। कुछ जमानत राशि भी जमा की जाती है, जो पुस्तकें जमा करने पर लौटा दी जाती है। पुस्तकालय का एक महत्त्वपूर्ण अंग 'वाचनालय' होता है। वहाँ दैनिक समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ प्राप्त होती हैं।

अधिकांश पुस्तकालय अचल (निश्चित भवन) में होते हैं, लेकिन बड़े नगरों में ऐसे पुस्तकालय भी खुल गये हैं जो मोटर या अन्य वाहन में नगर में घूम-घूमकर पुस्तकें बाँटते हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई आदि कुछ बड़े नगरों में इस प्रकार के चल पुस्तकालय हैं।

4. पुस्तकालय का महत्त्व (लाभ)–पुस्तकालय मानव-जीवन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। ये ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति के प्रसार-केन्द्र होते हैं। पुस्तकालयों से अनेक लाभ हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(क) ज्ञान वृद्धि, (ख) सद्गुणों का विकास, (ग) समाज का कल्याण, (घ) श्रेष्ठ मनोरंजन एवं समय का सदुपयोग, (ङ) सत्संगति का लाभ आदि।

5. कुछ प्रसिद्ध पुस्तकालय–देश में पुस्तकालयों की परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है। नालन्दा और तक्षशिला में भारत के अति प्रसिद्ध पुस्तकालय थे। इस समय भारत में कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई, पटना, वाराणसी आदि स्थानों पर भव्य पुस्तकालय हैं। इंग्लैण्ड में 'ब्रिटिश म्यूजियम' में पचास लाख पुस्तकें तथा अमेरिका के पुस्तकालय में लगभग एक अरब पुस्तकें हैं।

6. पुस्तकालयों के प्रति हमारा कर्त्तव्य–जो पुस्तकें पुस्तकालय से ली जायँ, उन्हें निश्चित समय पर लौटाना चाहिए। उन पर नाम लिखना, स्याही के धब्बे डालना, पन्ने या कतरन फाड़ना, पुस्तकों की साज-सज्जा को नष्ट करना आदि पुस्तकालय की क्षति है। पुस्तकालयों के नियमों का विधिवत् पालन करना एवं आर्थिक सहायता देकर उन्हें विकसित करना हमारा परम कर्त्तव्य है।

7. सुझाव–प्रत्येक गाँव में जनसंख्या के आधार पर पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए। रुग्ण पुस्तकालयों की दशा सुधारने के लिए अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। पुस्तकालयों में अश्लील पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाकर उच्चकोटि की ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों का संग्रह करना चाहिए।

8. उपसंहार–पुस्तकालय ज्ञान-पिपासा की शान्ति का सर्वोत्तम साधन है। सुयोग्य नागरिकों के चरित्र-निर्माण एवं समाज के उत्थान हेतु पुस्तकालयों के विकास के लिए सतत प्रयत्न किया जाना चाहिए। पुस्तकालयों में संगृहीत पुस्तकों के माध्यम से ही हम अपने पूर्वजों की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरणा प्राप्त करते हैं इसलिए नियमित रूप से पुस्तकालयों में बैठकर अध्ययन करना हमारे आचरण का आवश्यक अंग होना चाहिए।

7. दूरदर्शन और उसका प्रभाव

अन्य शीर्षक–• दूरदर्शन का जीवन पर प्रभाव • दूरदर्शन का शैक्षिक महत्त्व • दूरदर्शन से लाभ और हानि

रूपरेखा–(1) प्रस्तावना, (2) दूरदर्शन का आविष्कार, (3) दूरदर्शन की तकनीक, (4) दूरदर्शन का उपयोग, (5) दूरदर्शन का प्रभाव, (6) दूरदर्शन से लाभ तथा हानियाँ, (7) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना–आधुनिक युग में दूरदर्शन ने हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि ज्ञानवर्द्धक वैज्ञानिक उपकरण है। दूरदर्शन का विस्तार आज बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। आज के आपा-धापी भरे जीवन में दिन भर का थका व्यक्ति कुछ मनोरंजन चाहता है जिसके लिए वह दूरदर्शन के मनोरंजक कार्यक्रम देखकर अपनी थकान दूर करता है।

(2) दूरदर्शन का आविष्कार—इंग्लैण्ड के एक इन्जीनियर **जान वेयर्ड** ने रायल इन्स्टीट्यूट के सदस्यों के सामने इसका आविष्कार 25 जनवरी, 1926 ई० को किया था। उसने कठपुतली के चेहरे का चित्र रेडियो-तरंगों की सहायता से दूसरे कमरे में ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया था। भारत में दूरदर्शन का प्रथम केन्द्र 15 सितम्बर, 1959 ई० को नयी दिल्ली में प्रारम्भ हुआ था।

(3) दूरदर्शन की तकनीक—दूरदर्शन बहुत कुछ रेडियो सिद्धान्त पर आधारित है। अन्तर केवल इतना है कि रेडियो किसी ध्वनि को विद्युत् तरंगों में बदलकर उन्हें दूर-दूर तक प्रसारित कर देता है और इस प्रकार प्रसारित की जा रही विद्युत्-तरंगों को फिर से ध्वनि में बदल देता है। दूरदर्शन प्रकाश को विद्युत्-तरंगों में बदल कर प्रसारित करता है जिससे ध्वनि के साथ-साथ इसके दृश्यों को हम लोग देख भी सकते हैं। दूरदर्शन का प्रसारण-स्तम्भ जितना ऊँचा होगा उतनी ही दूर तक उससे प्रसारित चित्र दूरदर्शन पर दिखाई पड़ सकेगा। प्रारम्भ में दूरदर्शन के प्रसारण की अवधि मात्र साठ मिनट की थी तथा इसके प्रसारण को सप्ताह में दो बार ही देखा जा सकता था। 1982 ई० का वर्ष भारतीय दूरदर्शन का स्वर्णिम वर्ष था। अभी तक दूरदर्शन के कार्यक्रम श्वेत-श्याम रंग के थे। 15 अगस्त, 1982 ई० से रंगीन टी०वी० आरम्भ हुआ और इसके राष्ट्रीय कार्यक्रमों की नींव डाली गयी।

(4) दूरदर्शन का उपयोग—आधुनिक समाज में दूरदर्शन का उपयोग शिक्षा, साहित्य, सूचना, मनोरंजन, आदि विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इससे देश-विदेश के समाचार घर बैठे सुन लेना कोई कम उपलब्धि नहीं है, साथ ही समय और धन दोनों की भी बचत है।

(5) दूरदर्शन का प्रभाव—दूरदर्शन के द्वारा बच्चे, स्त्री और पुरुष सभी अपनी-अपनी रुचि के कार्यक्रम देख सकते हैं। आज दूरदर्शन ने अपने मनोरंजक तथा ज्ञानवर्द्धक कार्यक्रमों के जरिए निश्चित तौर पर हमारे समाज पर गहरी छाप छोड़ी है। दूरदर्शन के कुछ चैनल जैसे-स्टार प्लस, जी० टी०वी०, सोनी, डिस्कवरी आदि आज भी मुख्य आकर्षण का केन्द्र बने हैं।

(6) दूरदर्शन से लाभ तथा हानियाँ

लाभ—(1) विश्व समाचारों की जानकारी, (2) सस्ता और सुलभ मनोरंजन, (3) विश्व-संस्कृतियों के आचार-विचार की जानकारी, (4) व्यावसायिक और शिक्षण सम्बन्धी सूचनाओं की प्राप्ति, (5) पर्यटन का आनन्द, (6) सभी की ज्ञानवृद्धि का साधन, (7) बच्चों के विकास में सहायक, (8) खेलकूद प्रतियोगिताओं का सजीव प्रसारण आदि।

हानियाँ—(1) समय की हानि, (2) स्वास्थ्य की हानि, (3) चरित्र की हानि, (4) बच्चों पर कुप्रभाव आदि।

(7) उपसंहार—केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे दूरदर्शन के प्रसारणों में किसी तरह का अश्लील प्रसारण न होने दें। अश्लील प्रसारण बच्चों के लिए हानिकारक है।

8. कम्प्यूटर और उसकी उपयोगिता

अन्य शीर्षक—• कम्प्यूटर शिक्षा (2017AG,19AC) • कम्प्यूटर : आज की आवश्यकता • आधुनिक शिक्षा में कम्प्यूटर की उपयोगिता

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) कम्प्यूटर क्या है?, (3) कम्प्यूटर और उसके उपयोग-(अ) बैंकिंग के क्षेत्र में, (ब) प्रकाशन के क्षेत्र में, (स) सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, (द) डिजाइनिंग के क्षेत्र में, (य) कला के क्षेत्र में, (र) वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में, (ल) औद्योगिक क्षेत्र में, (व) युद्ध के क्षेत्र में, (4) कम्प्यूटर और मानव-मस्तिष्क, (5) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना—पिछले कई वर्षों से देश में कम्प्यूटरों की चर्चा जोर-शोर से हो रही है। देश को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हमारे देश के अधिकतर उद्योग-धन्धों व संस्थानों में कम्प्यूटर का प्रयोग होने लगा है। कितने ही सरकारी प्रतिष्ठानों में कम्प्यूटर लगाने की भारी होड़ लगी है।

(2) कम्प्यूटर क्या है?—कम्प्यूटर क्या है? इस विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक है। वस्तुतः कम्प्यूटर ऐसा यान्त्रिक मस्तिष्क है, जिसमें विभिन्न गणित सम्बन्धी सूत्रों एवं तथ्यों के संचालन का कार्यक्रम पहले ही समायोजित कर दिया जाता है। इसके आधार पर कम्प्यूटर न्यूनतम समय में गणना कर तथ्यों को प्रस्तुत कर देता है। सर्वाधिक तीव्र, शुद्ध एवं सबसे उपयोगी गणना करनेवाला यन्त्र कम्प्यूटर है। चार्ल्स बेवेज पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरम्भ में पहला कम्प्यूटर बनाया था। यह कम्प्यूटर लम्बी गणनाएँ कर सकता था और उनके परिणामों को मुद्रित कर देता था।

(3) कम्प्यूटर और उसके उपयोग—कम्प्यूटर का व्यापक प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रहा है :

(अ) बैंकिंग के क्षेत्र में–भारतीय बैंकों में खातों के संचालन और हिसाब-किताब रखने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जाने लगा है। अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों ने चुम्बकीय संख्याओंवाली नयी चेक बुक जारी की है। यूरोप के कई देशों में तो ऐसी व्यवस्थाएँ की गयी हैं कि घर के निजी कम्प्यूटर को बैंकों के कम्प्यूटरों के साथ जोड़कर लेन-देन का व्यवहार किया जा सकता है।

(ब) प्रकाशन के क्षेत्र में–समाचार-पत्र और पुस्तकों के प्रकाशन में कम्प्यूटर विशेष योगदान कर रहा है। सबसे पहले एक लेख सम्पादित होकर कुंजी-पटल के माध्यम से कम्प्यूटर में संचित होता है। टंकित मैटर को कम्प्यूटर के पर्दे पर देखा जा सकता है। यदि कहीं त्रुटि है तो उसे संशोधित किया जाता है। अतः प्रकाशन के क्षेत्र में कम्प्यूटर ने एक क्रान्तिकारी कदम रखा है।

(स) सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में–दूरसंचार के क्षेत्र में भी कम्प्यूटरों की भूमिका सराहनीय है। आज 'कम्प्यूटर नेटवर्क' के माध्यम से देश के प्रमुख नगरों को एक-दूसरे से जोड़ने की व्यवस्था भी की जा रही है।

(द) डिजाइनिंग के क्षेत्र में–आजकल कम्प्यूटर ग्राफिक का व्यापक प्रयोग हो रहा है। कम्प्यूटर के माध्यम से भवनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज आदि के डिजाइन तैयार किये जाते हैं। वास्तुशिल्पी अपना डिजाइन कम्प्यूटर के स्क्रीन पर तैयार करते हैं तथा साथ में लगे प्रिण्टर के द्वारा प्रिण्ट भी प्राप्त कर लेते हैं।

(य) कला के क्षेत्र में–कलाकार को अब न तो कैनवास की आवश्यकता है, न रंग की और ब्रुशों की। कम्प्यूटर के सामने बैठा कलाकार अपने नियोजित प्रोग्राम के अनुसार स्क्रीन पर चित्र बनाता है। स्क्रीन पर निर्मित यह चित्र प्रिण्ट की 'कुंजी' दबाते ही प्रिण्टर द्वारा कागज पर अपने उन्हीं वास्तविक रंगों के साथ प्रिण्ट हो जाता है।

(र) वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में–अब कम्प्यूटर ने वैज्ञानिक अनुसन्धान के स्वरूप को भी बदल दिया है। अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कम्प्यूटर ने क्रान्ति उत्पन्न कर दी है।

(ल) औद्योगिक क्षेत्र में–बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों में मशीनों के संचालन का कार्य अब कम्प्यूटर सम्भाल रहे हैं। कम्प्यूटर की सहायता से रोबोट ऐसी मशीनों का संचालन कर रहे हैं जिनका संचालन मानव के लिए बहुत कठिन है।

(व) युद्ध के क्षेत्र में–कम्प्यूटर का आविष्कार एक युद्ध-उपकरण के रूप में ही हुआ था। अमेरिका में पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर का उपयोग एटम बम से सम्बन्धित गणनाओं के लिए हुआ था। अतः युद्ध के क्षेत्र में भी कम्प्यूटर बहुत उपयोगी है।

(4) कम्प्यूटर और मानव-मस्तिष्क–यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि क्या कम्प्यूटर और मानव-मस्तिष्क की तुलना की जा सकती है? इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कम्प्यूटर का निर्माण भी मानव-बुद्धि ने ही किया है। कम्प्यूटर कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बात सोच सकता है।

(5) उपसंहार–भारत जिस गति से कम्प्यूटर युग की ओर बढ़ रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम अपने आप को कम्प्यूटर के हवाले करने के लिए विवश किये जा रहे हैं। यह सही है कि कम्प्यूटर ने जो कुछ भी एकत्र किया है, वह आज के असाधारण बुद्धिजीवियों की देन है लेकिन हम यह प्रश्न पूछने के लिए भी विवश हैं कि जो स्मरण-शक्ति कम्प्यूटरों को दी गयी है उससे बाहर क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हमें कम्प्यूटर पर पूरी तरह आश्रित न होकर अपने अस्तित्व को भी बचाना चाहिए।

9. बेरोजगारी की समस्या (2016CB,20MB)

अन्य शीर्षक–• बढ़ती बेरोजगारी : कारण और निवारण • बेरोजगारी एक अभिशाप (2016CB,20MB) • बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान (2016CC,19AD)

रूपरेखा–(1) प्रस्तावना, (2) बेरोजगारी का अर्थ, (3) बेरोजगारी : एक प्रमुख समस्या, (4) बेरोजगारी : एक अभिशाप, (5) बेरोजगारी के कारण– (अ) जनसंख्या में वृद्धि, (ब) दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली, (स) कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, (द) औद्योगीकरण की मन्द प्रक्रिया, (य) कृषि का पिछड़ापन, (र) कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, (ल) अविकसित सामाजिक दशा, (6) बेरोजगारी की समस्या का समाधान, (7) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना–बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े-लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। लोगों ने अपने परम्परागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिये हैं। सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कितने को नौकरियाँ प्राप्त हो सकती हैं जबकि इनके स्थान जनसंख्या की दृष्टि से सीमित हैं।

(2) बेरोजगारी का अर्थ—बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जबकि कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजूदरी की दरों पर कार्य माँगता हो फिर भी न मिल रहा हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

(3) बेरोजगारी : एक प्रमुख समस्या—भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव-शक्ति का ही ह्रास नहीं होता वरन् देश का आर्थिक ढाँचा भी चरमरा जाता है। बेरोजगारी के कारण अनेक अन्य समस्याओं का भी जन्म होता है।

(4) बेरोजगारी : एक अभिशाप—बेरोजगारी देश व मानव-समाज के लिए एक अभिशाप है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती हैं। इससे एक ओर निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशान्ति फैलती है तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश व अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। बेरोजगारी एक ऐसा विष है जो देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को विषाक्त कर देता है। अतः बेरोजगारी के कारणों की खोज करके उनका निराकरण नितान्त आवश्यक है।

(5) बेरोजगारी के कारण—बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

(अ) जनसंख्या में वृद्धि—देश में जनसंख्या विस्फोट तीव्र गति से हुआ है। देश में प्रतिवर्ष 2.5% की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है जबकि इस दर से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है।

(ब) दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली—हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली दोषपूर्ण है। यह रोजगार प्रदान करनेवाली नहीं है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान तो भरपूर है किन्तु व्यावहारिक ज्ञान शून्य है।

(स) कुटीर उद्योगों की उपेक्षा—हमारे देश में कुटीर उद्योगों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गये और बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि होती गयी।

(द) औद्योगीकरण की मन्द प्रक्रिया—विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगीकरण के लिए प्रशंसनीय कदम उठाये गये हैं, फिर भी समुचित रूप से इसका विकास नहीं हो सका है। अतः बेरोजगार व्यक्तियों के लिए वांछित मात्रा में रोजगार नहीं जुटाये जा सके हैं।

(य) कृषि का पिछड़ापन—हमारे देश की लगभग 59% जनता कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई दशा में है।

(र) कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी—हमारे देश में कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है। अतः उद्योगों के संचालन के लिए विदेश से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। यही कारण है कि देश में कुशल एवं कम प्रशिक्षित व्यक्ति बेकार हो जाते हैं।

(ल) अविकसित सामाजिक दशा—जाति-प्रथा, बाल-विवाह, विधवा-विवाह निषेध एवं सामाजिक असमानताएँ भी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही हैं। विभिन्न अविकसित सामाजिक दशाओं के कारण भी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है।

(6) बेरोजगारी की समस्या का समाधान—(1) जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण, (2) शिक्षा-प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, (3) कुटीर उद्योगों का विकास, (4) औद्योगिक विकास, (5) सहकारी खेती, (6) सहायक उद्योगों का विकास, (7) राष्ट्र-निर्माण के विविध कार्य, (8) सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन, (9) रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार, (10) प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके किया जा सकता है।

(7) उपसंहार—हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है और उसने इस दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या को दूर करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है।

10. आदर्श विद्यार्थी

अन्य शीर्षक— • विद्यार्थी-जीवन • विद्यार्थी और अनुशासन (2016CD)

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) जीवन का स्वर्ण काल। (3) विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य- (क) विद्या-प्राप्ति, (ख) चरित्र-निर्माण, (ग) शारीरिक तथा मानसिक उन्नति। (4) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना–प्राचीन भारतीय इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वजों ने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से बिताने के लिए इसे चार भागों में बाँटा था– ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनकी महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने इसकी आवश्यकता को सर्वोपरि समझते हुए इन्हें 'आश्रम' का नाम दिया था। मानव-जीवन का प्रथम सोपान ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात् विद्यार्थी-जीवन ही है।

(2) जीवन का स्वर्ण काल–'विद्यार्थी-जीवन' मनुष्य का सर्वाधिक श्रेष्ठकाल है। इस समय का सदुपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने का सफल प्रयत्न कर सकता है। इस समय विद्यार्थी पर भोजन-वस्त्रादि की चिन्ता का कोई भार नहीं होता। उसका मन और मस्तिष्क निर्विकार होता है। उसके शरीर और मस्तिष्क की सभी शक्तियाँ विकासोन्मुख होती हैं। इस स्वर्ण काल में उसके लिए केवल एक ही कार्य होता है और वह है– अपनी सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को विद्या के अर्जन की ओर लगाना।

(3) विद्यार्थी-जीवन के उद्देश्य–विद्यार्थी शब्द का अर्थ है– विद्या का अर्थी अर्थात् विद्या को चाहनेवाला, किन्तु उसका एकमात्र उद्देश्य विद्या प्राप्त करना ही नहीं, अपितु विद्यार्थियों को चरित्र-निर्माण, शारीरिक तथा मानसिक उन्नति और सद्गुणों की प्राप्ति की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थी-जीवन के प्रधानतः तीन उद्देश्य हो जाते हैं– (क) विद्याप्राप्ति, (ख) चरित्र-निर्माण, (ग) शारीरिक तथा मानसिक विकास।

(क) विद्याप्राप्ति–विद्या से तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। विद्यार्थी को अपने चारों ओर की प्रकृति की सुरम्य छटा को आँख खोलकर देखना चाहिए। ऐसा करने से उसके ज्ञान में विविधता और उनके अवलोकन में सूक्ष्मदर्शिता आ जाती है। पुस्तकों में वह जिन वर्णनों को पढ़ता है, उन्हें प्रकृति में साकार देखकर उसका मन आनन्द-विभोर हो जाता है और उसके हृदय में स्वभाव से ही दिव्य गुणों का विकास होने लगता है।

विद्या मानव के लिए सर्वोत्तम धन है। अतः विद्या की प्राप्ति में विद्यार्थी को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा त्याग और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए।

(ख) चरित्र-निर्माण–यों तो मानव मात्र के लिए चरित्र-निर्माण की आवश्यकता होती है, किन्तु विद्यार्थी के लिए तो इसकी प्रधान आवश्यकता है। श्रेष्ठ चरित्र के अभाव में विद्या-विभूषित मनुष्य को भी कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता। चरित्र के निर्माण के लिए विद्यार्थी को 'आत्म-संयमी' होना चाहिए। संयम के बिना विद्या को प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। जिसका मन चंचल है, जो पढ़ते-पढ़ते आकाश में वायुयान की आवाज को सुनकर उसे देखने दौड़ पड़ता है, सिनेमा जानेवालों के आह्वान पर किताबों को फेंककर उनके साथ हो लेता है, चाटवाले की घण्टी की आवाज सुन उसे खाने के लिए दौड़ पड़ता है, वह क्या कभी लिख-पढ़ सकता है, कदापि नहीं।

चरित्र की श्रेष्ठता के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहने की अति आवश्यकता है। सत्संगति के बिना चरित्र-निर्माण का होना असम्भव है। दुष्टों की संगति, अच्छे पुरुषों को भी अवनति के गर्त में गिरा देती है। शील, विनय, सदाचार, अनुशासनहीनता, बड़ों का आदर आदि ऐसे गुण हैं, जिनका होना एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी-जीवन ही इन गुणों के विकास का सर्वोत्तम अवसर है।

(ग) शारीरिक तथा मानसिक उन्नति-मस्तिष्क का विकास शरीर के विकास के बिना असम्भव है। व्यायाम तथा आसनों के प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत योग देते हैं। स्वच्छ वायु में प्रातः तथा सायंकाल का भ्रमण जीवन-शक्ति को बढ़ाता है और चित्त को प्रफुल्लित रखता है।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में चरित्र गठन के लिए विद्यार्थी में निम्न पाँच लक्षणों का होना अनिवार्य बताया गया है—

काक चेष्टा वकोध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च।
अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पञ्चलक्षणः॥

(4) उपसंहार–उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विद्यार्थी का जीवन बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है। इस काल में बालक को सदा ही सावधान तथा सचेष्ट रहना पड़ता है। वह चैन की वंशी नहीं बजा पाता। सुख तथा विद्या का बैर है। एक को चाहनेवाले को दूसरे की प्राप्ति नहीं होती। संस्कृत के किसी कवि ने कहा है-

सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्।
सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्॥

यदि भारतीय विद्यार्थी, विद्यार्थी-जीवन की श्रेष्ठता को समझकर उसे आदर्श बनाने की ओर उन्मुख हो जायेंगे तो वह दिन दूर नहीं है, जब वे अपने को सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् का लक्ष्य प्राप्त कर देश की चहुमुखी प्रगति कर सकेंगे।

11. राष्ट्रीय एकता (2020MD)

अन्य शीर्षक–• भारत की एकता • राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र प्रेम • राष्ट्रीय एकता का महत्त्व (2018HF)

रूपरेखा–(1) प्रस्तावना–राष्ट्रीय एकता का परिचय, (2) राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, (3) राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्त्व, (4) राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्त्व, (5) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना–राष्ट्रीय एकता एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह एक भावना है और राष्ट्र का एकीकरण करनेवाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो राष्ट्र के निवासियों में भाईचारा तथा राष्ट्र के प्रति अपनेपन का भाव भरती है और राष्ट्र को संगठित तथा सशक्त बनाती है। राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की एकता आवश्यक नहीं होती और न विविधता बाधक होती है, वरन् राष्ट्रीय एकता विविधता के बीच ही जन्म लेती है, फूलती और फलती है। हमारा देश भारत एक ऐसा ही देश है, जहाँ विविधता में एकता पायी जाती है। अतः राष्ट्रीय एकता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के निवासियों के हृदय की वह पवित्र भावना है जो भूगोल, भाषा, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, सभ्यता और संस्कृति में भिन्नता होते हुए भी उन्हें एकता के सूत्र में बाँधकर देश को संगठित और सुदृढ़ बनाती है।

(2) राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता–प्रायः हम देखते हैं कि नव स्वतन्त्र देशों को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है, वह राष्ट्रीय एकता ही है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र का प्राण है। जब राष्ट्रीय एकता टूटती है तो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। इतिहास इसका प्रमाण है कि जब-जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव हुआ, तब-तब हमें अपमानित होना पड़ा और हमारे देश को गुलामी का जीवन जीना पड़ा। पुनः जब हममें राष्ट्रीय चेतना जागी तो हम एक हुए, जिसके फलस्वरूप हमें आजादी मिली, सम्मान मिला और आज दुनिया में हमारा गौरवपूर्ण स्थान है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की प्राणदायिनी शक्ति है और भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए इसकी आवश्यकता तो स्वयंसिद्ध है।

(3) राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्त्व–हमें स्वतन्त्र हुए लगभग 65 वर्ष बीत गये, किन्तु आज भी हम पूर्ण रूप से राष्ट्रीय एकता के सूत्र में नहीं बँध पाये हैं। हमारे देश में साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद आदि ऐसे तत्त्व हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना में अवरोध पैदा हो रहा है। देश में अनेक सम्प्रदायों के लोग रहते हैं, जो अपने को एक-दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ समझते हैं। वे छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे से लड़ते हैं। कभी-कभी उनकी लड़ाई बहुत उग्र रूप धारण कर जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है। इस प्रकार की साम्प्रदायिक भावना राष्ट्रीय एकता को विघटित करती है। भाषावाद भी राष्ट्रीय एकता को विकसित होने में बाधक होता है, क्योंकि लोग भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा बनाने की माँग करते हैं।

भारत में भौगोलिक भिन्नता के आधार पर अनेक क्षेत्र हैं। अपने-अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठा और दूसरे के क्षेत्र के प्रति घृणा की भावना, क्षेत्रीयता की भावना कहलाती है। अतः विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्षेत्रीयता की भावना को जन्म देती है। क्षेत्रीयता की भावना के साथ जातिवाद भी हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। उच्च जाति के लोगों और हरिजनों के बीच होनेवाले संघर्ष जातिवाद के ही परिणाम हैं। इस प्रकार साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना और जातिवाद हमारी राष्ट्रीय एकता के महान् शत्रु हैं।

(4) राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्त्व–देश की सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। अतः हमें राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्त्वों की ओर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्त्वों में नागरिकता, एक राष्ट्रभाषा, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक समानता आदि मुख्य हैं। इन तत्त्वों से लोगों में विद्वेष की भावना समाप्त होती है और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। महापुरुषों के सन्देशों का पालन भी राष्ट्रीय एकता को पोषित और पुष्ट करता है।

(5) उपसंहार–भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है। अतः इसके विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम छोटी-छोटी बातों को लेकर संघर्ष न करें। इसके लिए हमारी सरकार को राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्त्वों को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। देश के हर नागरिक को अपने हृदय में यह भावना जाग्रत करनी चाहिए कि हम सब पहले भारतीय हैं, इसके बाद पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मद्रासी आदि हैं। इस भावना से ही हम विश्व के अन्य राष्ट्रों में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना सकते हैं।

12. दहेज-प्रथा

अन्य शीर्षक– • दहेज-प्रथा समाज के लिए अभिशाप • दहेज-प्रथा की समस्या

रूपरेखा–(1) प्रस्तावना– दहेज-प्रथा का अर्थ व स्वरूप, (2) दहेज-प्रथा के जन्म के कारण, (3) दहेज-प्रथा की बुराइयाँ, (4) दहेज-प्रथा को रोकने के उपाय, (5) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना–आज हमारा समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित है। उसमें दहेज की समस्या इतनी दूषित हो गयी है कि इसे सामाजिक कोढ़ या कलंक कहा जाता है। अन्य शब्दों में वर्तमान समय में दहेज-प्रथा सामाजिक प्रथा के स्थान पर कुप्रथा के रूप में पल्लवित हो गयी है।

सामान्य रूप से दहेज वह सम्पत्ति है जो वर-पक्ष को विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की जाती है, किन्तु अब यह प्रवृत्ति भारतीय समाज में विवशता के रूप में परिवर्तित हो गयी है। आज इसका रूप उल्टा हो गया है। दहेज की माँग वर पक्ष की ओर से होने लगी है। वर पक्ष दहेज के रूप में अत्यधिक धन, टी0वी0, फ्रिज, स्कूटर, कार आदि की माँग करता है। यदि किसी कन्या का पिता इन वस्तुओं को जुटाने में असमर्थ होता है, तो उसकी कन्या को सुयोग्य वर नहीं मिल पाता और वह किसी अयोग्य वर के साथ बाँध दी जाती है। आज इस कुप्रथा ने सम्पूर्ण भारतीय समाज को अपनी अजगरी भुजाओं में जकड़ लिया है।

(2) दहेज-प्रथा के जन्म के कारण–प्राचीन काल में धनिक और सामन्त लोग अपनी पुत्री की शादी में सोना, चाँदी, हीरे, जवाहरात आदि प्रचुर मात्रा में दिया करते थे। धीरे-धीरे यह प्रथा सम्पूर्ण समाज में फैल गयी। समस्त समाज जिसे ग्रहण कर ले वह दोष भी गुण बन जाता है। फलतः कालान्तर में दहेज सामाजिक विशेषता बन गयी, किन्तु आगे चलकर यह प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त धर्मान्धता और रूढ़िवादिता के कारण कुप्रथा में बदल गयी। हमारा नैतिक पतन भी इस कुप्रथा के प्रचार और प्रसार में बहुत सहायक रहा है। सही शिक्षा के अभाव में भी यह कुप्रथा काफी विकसित हुई है। इसका एक मुख्य कारण भारतीय समाज में नारी को पुरुष की अपेक्षा निम्न स्तर का समझना भी है।

(3) दहेज-प्रथा की बुराइयाँ–इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस प्रथा ने नारी के सम्मान को ठेस पहुँचायी है और उसके विकास को भी अवरुद्ध कर दिया है। इस प्रथा की एक बुराई यह भी है कि यह कुप्रथा बेमेल विवाह को प्रोत्साहन दे रही है। दहेज-प्रथा के कारण लोगों में धनलोलुपता भी पर्याप्त बढ़ रही है। इसी कारण प्रेम और सद्भाव के स्थान पर धन की प्रतिष्ठा होने लगी है। दहेज के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक धन जुटाने के प्रयास में बहुत से लोग ऋण-भार से दबे हुए हैं। इस कारण आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अतः दहेज-प्रथा विभिन्न रूपों में हमारे समाज को आर्थिक, नैतिक, मानसिक और सामाजिक पतन की ओर ले जा रही है।

(4) दहेज-प्रथा को रोकने के उपाय–दहेज-प्रथा को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को प्रयास करना होगा। सरकार को इस प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून का सहारा लेना होगा। यद्यपि सरकार ने दहेज-निरोधक कानून बनाया है, लेकिन उससे कोई सफलता नहीं मिली है। यदि सरकार इस कानून का सच्चाई और कड़ाई के साथ पालन करे, तो कुछ सफलता मिल सकती है। कानून के अतिरिक्त दहेज-प्रथा को दूर करने के लिए जन-सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक संस्थाएँ भी इस दशा में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक चेतना की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, उन्हें स्वेच्छा से बिना दहेज के विवाह करके आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सहशिक्षा भी इस कुप्रथा को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

(5) उपसंहार-दहेज-प्रथा हमारे समाज का कोढ़ बन गयी है। यह प्रथा सिद्ध करती है कि हमें स्वयं को सभ्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस समाज में दुल्हनों को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, अकारण ही उनको अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं, अपितु नितान्त असभ्यों का समाज है। अतः इस प्रथा के उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाना होगा, अन्यथा दहेज का अजगर हमारे समूचे समाज को पूरी तरह निगल जायेगा। इस अभियान का नारा होगा– ''दुल्हन ही दहेज है'', तभी हम इस सामाजिक कोढ़ से मुक्ति पा सकते हैं।

13. पर्यावरण-सुरक्षा (2017CG)

अन्य शीर्षक–• पर्यावरण एवं स्वास्थ्य • जल प्रदूषण और मानव जीवन पर प्रभाव • पर्यावरण संरक्षण, • प्रदूषण : पर्यावरण और मानव जीवन • पर्यावरण प्रदूषण (2017AG)

संसार में अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य ने भी प्रकृति की गोद में जन्म लिया है और प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुएँ उसके चारों ओर घिरी हुई हैं इसीलिए उन्हें 'पर्यावरण' कहा जाता है। मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, जीवाणु आदि पर्यावरण के कारण हैं। इनसे समस्त मानव जाति सर्वदा घिरी हुई है। इनके द्वारा हमारी जीवन-रक्षा भी होती है।

आज का बुद्धिवादी मानव अपने विकास के लिए पर्यावरण या प्राकृतिक सम्पदाओं का विनाश कर रहा है, जिसके कारण सर्वत्र प्रदूषण उत्पन्न हो गया है और प्राकृतिक पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ गया है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं और मनुष्य अनचाहे मृत्यु के मुँह में धंसता चला जा रहा है। फिर भी लोभी मनुष्य प्रकृति का साहचर्य त्याग कर वनों का विनाश करने में संलग्न है जबकि वनों से उसे लकड़ियाँ, औषधि, फल आदि अनेक उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं और प्राकृतिक आपदाओं जैसे– बाढ़, भूस्खलन आदि से उसकी रक्षा होती है।

पृथ्वी पर दिन-प्रतिदिन वायु-प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वनस्पतियों की नस से ऑक्सीजन (प्राणवायु) की कमी होती जा रही है और वायु की मलिनता दूर नहीं हो पा रही है। वृक्ष सूर्य की गर्मी कम करते हैं, वायु की गन्दगी दूर करते हैं, भाप से वातावरण में नमी पैदा करते हैं। प्रतिवर्ष पत्तियों को गिराकर उर्वरक उत्पन्न करते हैं, पृथ्वी के कटाव को रोकते हैं तथा पानी बरसाने में सहायक होते हैं। इनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है, यह भौतिकवादी मानव कल्पना भी नहीं कर पा रहा है।

एक ओर मनुष्य वायु-प्रदूषण को रोकनेवाले वृक्षों का विनाश कर रहा है तो दूसरी ओर प्रदूषण बढ़ानेवाले साधनों की वृद्धि करता जा रहा है। आज बड़ी-बड़ी उद्योगशालाओं और वाहनों से निकले विषाक्त धुएँ, नाना प्रकार के खनिज, रासायनिक द्रव वातावरण को दूषित कर ऑक्सीजन विनष्ट कर रहे हैं। इन सब के प्रभाव से उनके ऐतिहासिक भवन विद्रूप होते जा रहे हैं तथा नाना प्रकार की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। जलवायु और वनस्पतियाँ भी अपनी स्वाभाविक गति से दूर हो रही हैं।

पर्यावरण की हानि से जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है जिससे जनसंख्या की वृद्धि एवं औद्योगीकरण इसके मुख्य कारण हैं। घरों के वाहित मल, कीटनाशी पदार्थ एवं रासायनिक तेलों से नदी, सागर आदि के जल प्रदूषित होते जा रहे हैं जिससे विश्व में महामारियाँ फैल रही हैं और लाखों लोग प्रतिवर्ष मृत्यु के शिकार हो रहे हैं।

शोरगुल से भी पर्यावरण में अनेक दोष पैदा हो रहे हैं। रेलगाड़ी, मोटर, बड़ी-बड़ी मशीनों, रेडियो, लाउडस्पीकरों के भीषण आवाज में विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। अति कोलाहल से बहरापन, मस्तिष्क विकार, रक्तचाप (ब्लडप्रेशर) और हृदय रोग आदि बढ़ते जा रहे हैं।

इन सबसे सुरक्षा पाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। पशु-पक्षी, जीव-जन्तु भी पर्यावरण के सन्तुलन में सहायक होते हैं। सिंह, बाघ आदि मांसभक्षी जानवर हिरनों आदि की वृद्धि को रोकते हैं। अजगर आदि चूहे-खरगोश आदि को खाकर खेती को लाभ पहुँचाते हैं। पक्षी बीजों को बिखेरते हैं। कीड़े-पतिंगे आदि फूलों की प्रजनन-क्रिया में सहायक होते हैं जिससे फल, फूल और बीज पैदा होता है। पशु-पक्षियों के मल से भूमि उपजाऊ हो जाती है जिससे वनस्पतियों का विकास होता है। इस प्रकार पशु-पक्षी भी पर्यावरण को सन्तुलित करते हैं। मनुष्य को इनकी रक्षा करनी चाहिए।

सारांश यह कि आज विश्व भर में पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है और मानव-जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। हर्ष की बात है कि विश्व के अनेक राष्ट्र पर्यावरण सन्तुलन के लिए सचेष्ट हो रहे हैं। भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। 1972 ई० में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन एवं समन्वय समिति' की स्थापना की है जिसके अन्तर्गत गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की योजना है एवं अन्य बहुत-सी योजनाएँ हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए यदि वैदिक रीति से अग्नि हवन किया जाय तो आज के दूषित मानव-मस्तिष्क पर स्वास्थ्यदायी प्रभाव होगा ऐसा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक **वेरी राधनेर** का कहना है। इससे फसल में भी वृद्धि होती है।

इसी तरह जल-स्रोतों को भी स्वच्छ करने से प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। वनों के संरक्षण और परिवर्द्धन द्वारा भी पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। इसके लिए नये वृक्षों का लगाना और हरे पेड़ों को काटने का पूर्ण निषेध होना चाहिए। साथ ही भयानक

विषाक्त परमाणु अस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए जिससे वे वातावरण को स्वच्छ बनायें एवं नरसंहार को रोकने में सहायक हो सकें।

पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या केवल वैज्ञानिकों तक सीमित न होकर नागरिक के लिए भी भयानक है। अतः इसके निवारण के लिए प्रत्येक प्रबुद्ध एवं विवेकी नागरिक को तत्पर एवं सचेष्ट रहना चाहिए, तभी इस विश्वव्यापी समस्या से जूझना सम्भव होगा।

14. जनसंख्या विस्फोट (2019AB)

अन्य शीर्षक– • बढ़ती जनसंख्या • घटते संसाधन • जनसंख्या वृद्धि की समस्या • जनसंख्या नियोजन • बढ़ती आबादी : एक समस्या • जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण (2017AF) • बढ़ती जनसंख्या–घटती सुविधाएँ • भारत में बढ़ती जनसंख्या : एक विकराल समस्या (2016CF) • जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके निराकरण के उपाय (2020ME) • जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप (2020MA)

रूपरेखा–(1) प्रस्तावना, (2) भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, (3) जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपाय, (4) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना–विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि आज से लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व मानव का इस धरा पर प्रादुर्भाव हुआ था। प्रारम्भ से 1830 ई० तक विश्व की कुल जनसंख्या केवल एक अरब थी, किन्तु अगले 100 वर्षों में ही अर्थात् 1930 ई० तक जनसंख्या दुगुनी हो गयी। तात्पर्य यह है कि जितनी जनसंख्या वृद्धि लाखों वर्षों में हुई उतनी वृद्धि इधर मात्र 100 वर्षों में ही हो गयी। जनसंख्या वृद्धि की यह गति और द्रुत हुई और अगली एक अरब की वृद्धि केवल 30 वर्षों में ही हो गयी। इस प्रकार 1960 ई० तक तीन अरब नर-नारी इस धरती पर हो गये और फिर अगले 15 वर्षों में ही अर्थात् 1975 ई० तक जनसंख्या बढ़कर 4 अरब हो गयी। विश्व जनसंख्या में पुनः 1 अरब की वृद्धि होने में केवल 12 वर्ष ही लगे। 2011 ई० के मध्य में सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या बढ़कर 121.04 करोड़ हो गयी थी।

भारत जनसंख्या वृद्धि की इस प्रतियोगिता में काफी तेज है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4 प्रतिशत है, किन्तु यहाँ विश्व की 17.7 प्रतिशत जनसंख्या पायी जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा है। भारत में 1872 ई० में पहली बार जनगणना की गयी थी, किन्तु जनसंख्या का क्रमवार आकलन 1881 ई० से किया जा रहा है। 1881 ई० में भारत की कुल जनसंख्या मात्र 23.7 करोड़ थी, जो 1 मार्च, सन् 1991 ई० को 84.63 करोड़ हो गयी और वर्ष 2011 ई० में 121 करोड़ से अधिक हो गयी। जनसंख्या के आकार के साथ देश की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्यावाले देश में जहाँ जनसंख्या के आकार में निरन्तर एवं तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, यह समस्या जटिलतर होती जा रही है। सामान्यतया जनसंख्या में वृद्धि की दर से काफी अधिक दर से यदि अर्थव्यवस्था में उन्नति नहीं होती है तो देश आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हो जाता है (भारत के सन्दर्भ में यह अक्षरशः सही है) और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के सभी प्रयास, योजनाएँ एवं विनियोग अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या के 'गुणात्मक पहलू' का भी अधःपतन हो जाता है।

(2) भारत में जनसंख्या-वृद्धि के कारण–भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

(क) ऊँची जन्मदर–भारत में जन्मदर ऊँची है। इसका मुख्य कारण भारतीय जलवायु का गर्म होना है जिसके कारण यहाँ के लड़के-लड़कियाँ शीघ्र ही वयस्क हो जाते हैं।

(ख) मृत्यु दर में गिरावट–चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होने तथा महामारीवाले संक्रामक रोगों पर नियन्त्रण हो जाने के कारण मृत्यु दर में तीव्रता से गिरावट आयी है।

(ग) प्रजनन क्षमता का अधिक होना–भारतीय स्त्रियों की प्रजनन क्षमता अधिक है अतः परिवार वृद्धि तीव्र गति से होती है।

(घ) विवाह एक सार्वभौमिक आवश्यकता–भारत में विवाह एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। यहाँ सन्तान उत्पन्न करना एक धार्मिक कर्त्तव्य माना जाता है।

(ङ) निर्धनता–देश की अवनति दशा एवं निर्धनता के कारण भी भारत में जनसंख्या-वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। **एडम स्मिथ** ने कहा है, "दीनता और निर्धनता सन्तानोत्पत्ति के वायुमण्डल के अनुकूल होती है।"

(च) शिक्षा का अभाव–अधिकांश भारतीय अशिक्षित, रूढ़िवादी एवं अन्धविश्वासी हैं। वे सन्तान को 'प्रभु की देन' मानते हैं।

(छ) प्रचलित अन्धविश्वास–वंश चलाने एवं पितृ-विसर्जन हेतु पुत्र की कामना करना तथा अन्य धार्मिक अन्धविश्वास आदि के कारण परिवार में बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक है।

(ज) शरणार्थियों का आगमन–देश की स्वतन्त्रता के बाद पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आनेवाले लाखों-करोड़ों शरणार्थियों के कारण भी देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में बसे भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वे लोग भारत में आकर बस रहे हैं। इन देशों में लंका, मलाया, ब्रिटेन, म्याँमार, कीनिया व कनाडा प्रमुख हैं।

(3) जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपाय–देश में जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए हमें तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है। जनसंख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए–

(क) शिक्षा का विस्तार–समाज में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक होने से जनसंख्या में वृद्धि होती है। अशिक्षित लोग न तो अपने भविष्य के बारे में सोच पाते हैं और न ही देश और संसार की समस्याओं तक पहुँच पाते हैं। शिक्षा के विस्तार से जनसंख्या नियन्त्रण में सहायता मिलती है। शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण की कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जनसंख्या के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित होता है। 1981-91 ई० में भारत में साक्षरता का प्रतिशत 52.1 तथा जनसंख्या वृद्धि 2.11 थी जबकि ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका तथा सोवियत संघ में शिक्षित का प्रतिशत 99 है तथा जनसंख्या वृद्धि दर 0.1, 0.1, 0.8, 0.9 है। इससे सिद्ध होता है शिक्षा के विस्तार से जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में कमी आती है।

(ख) जनसंख्या-शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना–विद्यालयों में जनसंख्या-शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में होनी चाहिए। जनसंख्या-शिक्षा का उद्देश्य परिवार नियोजन का ज्ञान देना ही नहीं है, अपितु यह एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परिवार, समुदाय, राज्य, देश और विश्व में जनसंख्या के विषय में शिक्षा प्रदान करना है।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार–जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार होना आवश्यक है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य दम्पत्ति द्वारा अपने बच्चों की संख्या सीमित रखने तथा दो बच्चों के जन्म के मध्य पर्याप्त समयान्तर रखने से है। अतः सरकार का उत्तरदायित्व है कि परिवार नियोजन का प्रचार करे तथा परिवार नियोजन की सभी सुविधाएँ ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध कराये।

(घ) जनसंख्या को नियन्त्रित करने हेतु विज्ञापन व सन्देशवाहन के साधनों का उपयोग–जनसंख्या वृद्धि के कारणों, परिणामों एवं जनसंख्या को नियन्त्रित करने के उपायों का विज्ञापन एवं प्रचार रेडियो, दूरदर्शन व चलचित्रों के माध्यम से ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से भी जनसंख्या को सीमित करने में सहायता मिलेगी।

(ङ) सीमित दाम्पत्य परिवारों को पुरस्कृत करना–जिन दाम्पत्य परिवारों के परिवार में एक या दो ही बच्चे हैं, ऐसे परिवारों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे अन्य व्यक्तियों को भी सीमित परिवार की प्रेरणा मिलेगी।

(च) जनमानस में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास करना–जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए हमें जनमानस में अनुकूल चेतना का विकास करना होगा। जन-जन में जनसंख्या के प्रति अनुकूल चेतना का विकास होने पर ही हम जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण पाने में सफल हो सकते हैं।

(4) उपसंहार-इस प्रकार पूर्णरूप से इस विषय पर विवेचन करने के पश्चात् स्पष्टतया यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ और भी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियोजन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो खासकर महिला-शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाया जाय और बाल-विवाहों की कठोरता से रोकथाम सुनिश्चित की जाय। इन कार्यों के अतिरिक्त देश के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी नये कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करनी होगी।

15. क्रिकेट

अन्य शीर्षक–• क्रिकेट का आँखों देखा हाल (2019AA) • मेरा प्रिय खेल (2017AE) • किसी मैच का आँखों देखा वर्णन (2016CB, 19AE)

आज के युग में खेल और खिलाड़ियों की कमी नहीं है। लोग इसके पीछे इतने मतवाले हो गये हैं कि उन्हें समय और पैसे का अन्धाधुन्ध अपव्यय नजर नहीं आता। किन्तु क्रिकेट के लिए तो लोग दिवाने होकर घूमते रहते हैं। बच्चे भी हर गली, सड़क पर क्रिकेट खेलते देखे जा सकते हैं।

वैसे विदेशी खेलों में क्रिकेट का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह खेल अब इतना लोकप्रिय हो गया है कि विश्व के चारों ओर इसकी चर्चा है। पहले तो यह केवल मनोरंजन का साधन मात्र था किन्तु डॉ0 ग्रेस ने इसमें संशोधन करके इसको वर्तमान रूप दिया।

सर्वप्रथम यह खेल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में इंग्लैण्ड और आस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ था। इसके पश्चात् यह सारे विश्व में फैल गया। वर्तमान में इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, वेस्टइण्डीज, न्यूजीलैण्ड, भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बाँग्लादेश और श्रीलंका क्रिकेट खेलनेवाले प्रमुख देशों में हैं। आज हमारे देश में तो यह बड़ी उत्सुकता, उत्साह तथा जोश से खेला जाता है। क्रिकेट खेलने के लिए समतल मैदान की आवश्यकता होती है जिसके बीचोबीच 22 गज के अन्तर में 28 इंच ऊँचे डण्डे लगाकर विकेट बनाये जाते हैं। विकेटों के चार फीट की दूरी पर एक विकेट मैन की सीमा होती है, जहाँ खड़ा होकर खिलाड़ी खेलता है, ग्यारह खिलाड़ियों के दो दलों में खिलाने वाली टीम का एक सदस्य पूरी शक्ति से गेंद को फेंकता है और विकेटों का रक्षक बैट्समैन पूर्ण शक्ति से गेंद को बैट से मारता है। गेंद दूर जाने पर वह भागकर दूसरी ओर सीमा पर पहुँच जाय तो एक 'रन' गिना जाता है। इसके विपरीत यदि गेंद विकेटों को छू जाय तो दूसरा खिलाड़ी आता है; इस प्रकार खेल जारी रहता है। यदि गेंद निर्धारित सीमा से बाहर हो जाय तो खेलनेवाले खिलाड़ी को दौड़ना नहीं पड़ता और उसे 'छः रन' मिल जाते हैं। इस प्रकार जिस पक्ष के 'रन' अधिक हो जाते हैं वही पक्ष विजयी हो जाता है।

खेल प्रारम्भ होने पर सफेद कमीज और पैंट पहने हुए दोनों दल के खिलाड़ी हाथों में बल्ला थामे पैरों में विशेष प्रकार का पैड बाँधे हुए मैदान में आते हैं। दल का नायक (कप्तान) प्रत्येक खिलाड़ी को उसकी योग्यता के अनुसार मैदान पर खड़ा करता है। खिलाड़ियों को पूर्ण चतुरता तथा सावधानी से खेलते हुए अधिक संख्या में 'रन' बनाना होता है।

बल्लेबाज और विकेटकीपर दस्ताने इस्तेमाल करते हैं। पेट की रक्षा के लिए वे प्रोटेक्टर पहन लेते हैं। उनके जूतों के तल्ले रबर या स्पाइक के बने होते हैं। बल्ला 24 इंच लम्बा और सवा चार इंच चौड़ा होता है तथा गेंद लाल चमड़े की बनी साढ़े पाँच औंस वजन की होती है। खेल को नियन्त्रित करने के लिए दो अम्पायर (निर्णायक) होते हैं। खेल के लिए निश्चित समय तथा ओवर किये जाते हैं। टेस्ट मैचों में खेल पाँच दिन तक तथा एक दिवसीय मैच प्रायः पाँच घंटे होता है।

भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है किन्तु आज क्रिकेट को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया जा रहा है। 1932 ई0 से भारत ने टेस्ट खेलना शुरू किया है और क्रिकेट-जगत् में अपना स्थान बना लिया है। भारत में कुछ महान् खिलाड़ी उत्पन्न हुए, जिनका नाम क्रिकेट के इतिहास में सदा चमकता रहेगा। कपिलदेव, किरमानी, गावस्कर, अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर आदि वर्तमान समय के कीर्तिमान स्थापित करनेवाले खिलाड़ी हैं।

अब महिलाएँ भी क्रिकेट खेल में उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। उनके लिए 1973 ई0 में भारतीय महिला क्रिकेट संस्था की स्थापना की गयी है। ये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग ले रही हैं। इतना ही नहीं, सारे विश्व के क्रिकेट खेलनेवाले देशों में पुरुष और महिलाएँ इसमें समान रूप से भाग ले रहे हैं।

इस खेल को खेलने के लिए काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह खेल बड़ा ही खर्चीला है। इसके साज-सामान पर भी काफी व्यय होता है, अतः यह साधारण जन के खेलने योग्य नहीं है। वास्तव में इसे अमीरों का खेल कहा जा सकता है। किन्तु अब तो यह विद्यालयों में भी बड़े शौक से खेला जा सकता है।

इतना ही नहीं, आज हर घर, मुहल्ले, नगर आदि में क्रिकेट की धूम मची है। टी०वी०, रेडियो आदि के माध्यम से यह कार्यालयों, रेस्ट्रॉ, होटलों, पान की दुकानों तक में प्रवेश कर गया है और मैच के समय लोग आँख-कान लगाये दिखाई देते हैं। इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य का स्पष्ट प्रमाण है। इस खेल से मनोरंजन के साथ-साथ हमारी नैतिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है।

16. प्रदूषण और उसका प्रभाव (2017AC)

अन्य शीर्षक– • पर्यावरण प्रदूषण की समस्या : निदान (2018AA,AF) • पर्यावरण प्रदूषण (2019AC) • प्रदूषण : कारण एवं निवारण • प्रदूषण : एक अभिशाप • प्रदूषण की समस्या और समाधान

(2016CD,19AA,AC) • प्रदूषण तथा मानव समाज (2017AD) • पर्यावरण प्रदूषण और उसकी सुरक्षा के उपाय (2017AD) • पर्यावरण प्रदूषण : समस्या एवं रोकथाम (2018HA)

रूपरेखा–(1) प्रस्तावना, (2) प्रदूषण से तात्पर्य, (3) प्रदूषण के प्रकार– जल, वायु, ध्वनि, रासायनिक, रेडियोधर्मी प्रदूषण, (4) प्रदूषण रोकने के उपाय, (5) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना–दैवीय गुणों के विकास के लिए आसुरी वृत्तियों के प्रतिरूप खर और दूषण को त्रेता में भगवान् राम ने मारा था, सप्तर्षियों ने डाकू रत्नाकर की हिंसा वृत्ति को मारकर महर्षि वाल्मीकि बनने का मार्ग प्रशस्त किया था। ये सब घटनाएँ मनुष्य के चित्रवृत्ति का प्रदूषण दूर करने की थी, तब भौतिक प्रदूषण नहीं के बराबर था। भगीरथ जो एक अच्छे अभियन्ता भी थे अपने पुरुषार्थ से गंगा को लोक-कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाये थे। गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य है। उसमें कभी विकार नहीं होता। न वह सड़ता है बल्कि अपने औषधीय गुणों के कारण कई असाध्य रोगों के लिए रामबाण है। तभी तो कहा गया है 'औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरिः' अर्थात् जब सब दवाएँ असफल हो जायँ तो गंगा जल एकमात्र औषधि है और नारायण एकमात्र वैद्य हैं। जल ही जीवन है।

(2) प्रदूषण का अर्थ–जीवन के लिए सन्तुलित वातावरण अत्यन्त आवश्यक है– वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में आज सर्वत्र व्याप्त है।

(3) प्रदूषण के प्रकार–

जल प्रदूषण–जल जीवन का पर्याय है (जल ही जीवन है)। बिना जल के जीवन असम्भव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग-धन्धों का कचड़ा, रासायनिक तत्त्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। ये जमीन के अन्दर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं।

वायु प्रदूषण–वायुमण्डल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा सन्तुलित अवस्था में रहकर जीव-जगत् के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग-धन्धों के धुएँ और कचड़े से यह सन्तुलन बिगड़ जाता है। वायुमण्डल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाई-ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है।

ध्वनि प्रदूषण–अनेक प्रकार के वाहनों जैसे– मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, आदि लाउडस्पीकर, बाजे, कारखानों के साइरन और मशीनों से होनेवाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की ये लहरें जीव-धारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है, यहाँ तक कि कभी-कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है।

रासायनिक प्रदूषण–प्रायः कृषक अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टीसाइड्स का अन्धा-धुन्ध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुँचाता है।

रेडियोधर्मी प्रदूषण–परमाणु शक्ति उत्पादन केन्द्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आनेवाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है।

(4) प्रदूषण रोकने के उपाय–प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जैसे– वाहनों से निकलनेवाले धुएँ की जाँच की व्यवस्था करना, नये उद्योगों को लाइसेन्स दिये जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियन्त्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण कार्यशैली है।

(5) उपसंहार–सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आनेवाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे।

17. भ्रष्टाचार और उसे रोकने के उपाय

अन्य शीर्षक–• भ्रष्टाचार : एक राष्ट्रीय समस्या • भ्रष्टाचार समस्या और समाधान • भ्रष्टाचार उन्मूलन • भ्रष्टाचार : कारण और निवारण (2020MC) • भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय • भ्रष्टाचार की समस्या • सामाजिक बुराई : भ्रष्टाचार • भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक है (2017AF)

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) भ्रष्टाचार का अर्थ, (3) भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, (4) भ्रष्टाचार के कारण, (5) भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय, (6) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना—भ्रष्टाचार किसी काल या स्थान से सम्बन्धित नहीं है। इसकी जड़ें समाज में गहराई तक गयी हुई हैं। आजकल भ्रष्टाचार के लिए दो बातें होना आवश्यक है–कोई कर्मचारी गैर-कानूनी रूप से कोई उपहार स्वीकार करता हो तथा द्वितीय यह कि वह कोई विशेष पद पर आसीन हो। भ्रष्टाचार रूपी यह नासूर आज बड़ी तेजी से पनप रहा है।

(2) भ्रष्टाचार का अर्थ-भ्रष्टाचारी व्यक्ति सदैव सेवा और सहयोग की भावना को बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश करता है। देखने में वह भ्रष्ट कार्य से बहुत दूर होता है। 'सम्भ्रान्त' कहे जानेवाले व्यक्ति जो सामाजिक हितों को त्यागकर व्यक्तिगत स्वार्थों को प्रधानता देते हैं, अनुचित लाभों के उपयोग की आशा से समाज में कानून-विरोधी साधनों को अपनाते हैं तो यही सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कहलाता है।

भ्रष्टाचार का अर्थ है–भ्रष्ट आचरण अर्थात् स्तर से गिरा हुआ आचरण। प्रत्येक देश, जाति, धर्म अथवा समाज के कुछ पूर्व निश्चित सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आदर्श व मूल्य होते हैं। इन्हें तोड़ना ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं-रिश्वत, मुनाफाखोरी, मिलावट करना, भाई-भतीजावाद, आदि।

(3) भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार—भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देशव्यापी बन गयी है। जीवन का कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया है। स्वर्गीय विनोबा भावे के शब्दों में तो आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। विभिन्न कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए, परमिट लेने के लिए, विदेश जाने के लिए, व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए, यहाँ तक कि परीक्षा में पास होने के लिए या हत्या करके छूटने के लिए भी आज भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। लोगों का नैतिक चरित्र गिर चुका है। राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर केवल स्वार्थ पूर्ति की जा रही है।

(4) भ्रष्टाचार के कारण—भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :

(1) चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना, (2) शिक्षा का गिरता स्तर, (3) निम्न कोटि का साहित्य, (4) चलचित्र, (5) दूरदर्शन, (6) पाश्चात्य प्रभाव, (7) भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, (8) उच्च जीवन-स्तर की लालसा, (9) राष्ट्रीय चरित्र का अभाव।

(5) भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय—भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं-

(क) उच्च शिक्षा का प्रसार—भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिक्षित वर्ग में है। अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया जाना चाहिए। बालकों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी अवश्य दी जानी चाहिए।

(ख) समाज-कल्याण संस्थाओं की स्थापना—भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज-कल्याण संस्थाएँ सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नगर व गाँव में ये संस्थाएँ स्थापित की जायँ।

(ग) राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाना—भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। मतदान में तो अनेक भ्रष्ट तरीके अपनाये जाते हैं। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं वे चुनाव प्रचार में व्यय की गयी राशि को अनुचित साधनों से वसूलने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार अपने लाभों को देखते हुए लोग दल भी बदल लेते हैं। अतः सरकार द्वारा इस प्रकार के कानून बनाये जायँ कि नेता दल न बदल सकें। प्रत्येक नेता सच्चा, ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ और जनता का हित चाहनेवाला हो।

(घ) प्रशासकीय सुधार—प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरन्त नौकरी से हटाया जाना चाहिए। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए।

(ङ) पुलिस विभाग में सुधार—पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षित व्यक्तियों को पुलिस सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित किया जाय। उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उनका कर्त्तव्य जनता की भलाई के लिए कार्य करना है।

(च) दण्ड व्यवस्था में सुधार—भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आवश्यक है कि दण्ड व्यवस्था में सुधार किया जाय। जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जायँ उनका स्थानान्तरण करने के स्थान पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए अथवा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्तियों के मन में भ्रष्टाचार के प्रति भय उत्पन्न होगा और वे गलत कार्यों से दूर रहेंगे।

(6) उपसंहार—भ्रष्टाचार देश की सबसे गम्भीर समस्या है। देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की रक्षा, प्रगति व राष्ट्रीय मूल्यों को बचाये रखने के लिए इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान आवश्यक है।

18. भारत में आतंकवाद

अन्य शीर्षक–• आतंकवाद एवं देश सुरक्षा • आतंकवाद निवारण

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) आतंकवाद का अर्थ, (3) आतंकवाद के कारण, (4) आतंकवाद के परिणाम, (5) आतंकवाद को रोकने के उपाय, (6) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना—परिवर्तन मानव स्वभाव की चिर-परिचित प्रक्रिया है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद व अलगाववाद की आँधी आयी हुई है। जब भी किसी राष्ट्र में निजी स्वार्थ अधिक पनपता है तो इसी प्रकार की घटनाएँ जन्म लेती हैं। आतंकवाद में अपने हिंसात्मक कारनामों से जनता के अन्दर इतना भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह बौखला उठती है। भारत में कुछ इस्लामिक संगठनों एवं विदेशी आतंकवादियों द्वारा विस्फोटों, हत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है। इन कारनामों को अंजाम देने के लिए आई० सी० सी०, जे० के० एल० एफ०, लश्कर-ए-तोएबा जैसी संस्थाएँ भारत की सुख-शान्ति को खत्म करना चाहती हैं।

(2) आतंकवाद का अर्थ—अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न बाह्य शक्तियाँ जब किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर जनता में अपने भयानक कारनामों के द्वारा भय, असन्तोष तथा असुरक्षा की भावना को फैला देती हैं, तब उस स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं।

(3) आतंकवाद के कारण—(अ) बाह्य शक्तियों के प्रभाव, (ब) शिक्षा का अभाव, (स) उचित पथ प्रदर्शन का अभाव, (द) आजीविका की समस्या, (य) प्रशासनिक अकुशलता, (र) राजनीतिक कुचक्रों का परिणाम आदि।

(4) आतंकवाद के परिणाम—(अ) दंगे-फसाद को बढ़ावा, (ब) सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय, (स) असुरक्षा की भावना का उदय, (द) राष्ट्रीय एकता में बाधक, (य) राष्ट्र की आर्थिक स्थिति असन्तोषजनक।

(5) आतंकवाद को रोकने के उपाय—आतंकवाद से लड़ने का कोई भी नायाब तरीका हमारा देश अभी तक ईजाद नहीं कर पाया है। पिछले कई सालों से देश आतंकवाद की चपेट में है लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार, पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बल, सेना की मदद ले रही है किन्तु आतंकवाद को रोकने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी है। फिर भी हम कुछ उपायों को निम्न रूप से समझा सकते हैं, जैसे-(अ) उचित नैतिक शिक्षा, (ब) बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन, (स) जनता में जागरूकता की भावना पैदा करना, (द) सीमाओं पर कठोर नियन्त्रण, (य) राजनीतिक एकता आदि।

(6) उपसंहार—भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी सकारात्मक नीति का अन्तर्राष्ट्रीय देशों ने स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान पहले बन्द करता है तो भारत शान्तिवार्त्ता के लिए हमेशा तैयार है। उसने कहा है कि किसी भी समस्या का हल परमाणु बम का प्रयोग अथवा युद्ध करने से नहीं होता है।

19. नारी का महत्त्व

अन्य शीर्षक– • नारी का सशक्तीकरण • नारी शिक्षा का महत्त्व

रूपरेखा-(1) प्रस्तावना, (2) समाज में नारी का स्थान–प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, (3) नारी का महत्त्व–पाश्चात्य देशों में, भारत में, (4) नारी जागरण व नारी शिक्षा हेतु प्रयास–संविधान प्रदत्त अधिकार, विभिन्न सरकारी संगठन, गैर सरकारी संस्थाएँ आदि के द्वारा, (5) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना—यह सृष्टि निरन्तर चलती रहे इसके लिए स्रष्टा ने सभी जीवधारियों में नर और मादा बनाये और तद्नुरूप शरीर का गठन किया। दोनों के परस्पर सहयोग से ही जीवन की गाड़ी सरलता और सुगमता से चलती रहती है। दोनों ही गाड़ी के दो समान ऊँचाई के पहिए हैं–कोई कम-ज्यादा नहीं। दोनों के ही कर्त्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र सुनिश्चित हैं और वैसे ही स्वभाव प्रदत्त किये हैं स्रष्टा ने। नारी कोमल, दयालु, संकोची, सेवाव्रती है तो पुरुष कठोर, अधिक परिश्रमी है।

(2) समाज में नारी का स्थान—भारतीय दर्शन, संस्कृति, परम्पराओं में नारी को पुरुषों से भी ऊँचा स्थान दिया गया है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता', नारी देवी है, वह माँ भी है, बहन भी है और पुत्री भी। पर स्त्री को माता कहा गया है। 'मातृवत् परदारेषु' इतने उच्च स्थान पर भारतीय वाङ्मय में नारी का बखान किया गया है जबकि पाश्चात्य देशों में मात्र उसे उपभोग की वस्तु अथवा सुविधा की साझीदार माना गया है।

प्राचीन काल में नारी शिक्षित, विदुषी, कर्त्तव्यपरायणा होती थी। ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म, लोकाचार किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं थी। गार्गी, अपाला, अरुन्धती आदि तो प्रवीणा थी हीं, सावित्री जैसी स्त्री भी थीं जो साक्षात् यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लायी थी। ऋषि आश्रम हो या राजमहल, कंगाल हो या धनवान की कोठी, नारी सर्वत्र ही पूज्य थी।

(3) नारी का महत्त्व—मध्य काल आते-आते नारी का स्थान पुरुषों की स्वार्थपरता, काम-लोलुपता आदि के कारण न केवल गिर गया बल्कि उसके अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा, कार्यक्षेत्र सीमित हो गया, नारी को गन्दे कपड़े की तरह बरता जाने लगा। साहित्यकार भी नारी को दोषों की खान के रूप में देखने लगे थे। अंग्रेजी नाटककार कवि तो यहाँ तक कह गया कि Frailty! Thy name is woman'. ('व्यभिचार, दुर्बलता! तेरा नाम ही औरत है) विदेशियों की काम-लोलुप निगाहों से बचने के लिए पर्दा-प्रथा प्रारम्भ हुई। नारी घर की चारदीवारी में कैद हो गयी। शिक्षा के प्रति भी नारी को निरुत्साहित किया गया।

(4) नारी जागरण व नारी शिक्षा हेतु प्रयास—आधुनिक काल आते-आते जहाँ नारी को पैरों की जूती समझा जाता था, अनेक अत्याचार उन पर होते थे वहाँ अब नारी जागरण, नारी स्वातन्त्र्य का बिगुल बज उठा। स्वामी दयानन्द के आर्य समाज ने नारी शिक्षा का मन्त्र फूँका, राजा राममोहन राय ने सती-प्रथा रुकवाई, महात्मा गांधी ने नारी-उत्थान का नारा दिया, अनेक समाजसेवी व्यक्तियों ने पतित अबलाओं, अपहृताओं और वेश्याओं का उद्धार किया। सरकार ने भी संविधान द्वारा नारी को शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने आदि के समान अधिकार और अवसर प्रदान किये हैं। महिला सुधार हेतु नारी निकेतन खोल दिये हैं। आज की नारी डॉक्टरी, इन्जीनियरी, अध्यापकी, लिपिकी आदि क्षेत्रों में तो लगी ही हैं, पुलिस, रक्षा विभागों आदि में भी उच्च पदस्थ रही हैं। किरण बेदी, बछेन्द्री पाल (पर्वतारोहण में) तथा प्रेमलता अग्रवाल अपना उच्च स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। दहेज-प्रथा को भी समाप्त करने के लिए कानून बन चुका है किन्तु समाज ने उसे अभी पूर्णरूपेण नहीं अपनाया है। अतः आये दिन वधुओं को जलाने, घर से निकाल बाहर करने की घटनाएँ देखने-सुनने को मिलती रहती हैं।

(5) उपसंहार—यद्यपि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा महिला उत्थान के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं और किये जाते रहेंगे तथापि जब तक समाज अधिक जागरूक नहीं होगा और नारियों के प्रति असहिष्णुता का दृष्टिकोण नहीं त्यागेगा तब तक पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी। पुरुषों द्वारा महिलाओं में फूट कराने की कोशिश अब भी सवर्ण, असवर्ण, अगड़े-पिछड़े वर्ग आदि के माध्यम से हो रही है। आज आवश्यकता है कि पुरुष समाज अपने दृष्टिकोण को बदले, नारी को सच्चे हृदय से ऊपर उठाकर समकक्ष लाने का प्रयास करे और उसकी प्रगति में अड़ंगे डालने से बाज आये।

20. वनों का महत्त्व

अन्य शीर्षक–• वृक्ष हमारे जीवन साथी • वृक्ष धरा के आभूषण हैं (2017AF) • वृक्षों का महत्त्व • हमारी वन सम्पदा • वृक्षारोपण • वृक्षों की रक्षा : पर्यावरण सुरक्षा (2020MG) • वृक्ष : मानव के सच्चे हितैषी (2016CD) • वृक्षारोपण का महत्त्व (2017AB,20MC,MA)

रूपरेखा-(1) प्रस्तावना, (2) वनों का आर्थिक महत्त्व–(क) प्रत्यक्ष लाभ–(अ) लकड़ी की प्राप्ति, (ब) कच्चे माल की प्राप्ति, (स) लघु उद्योगों की स्थापना, (द) व्यक्तियों के लिए रोजगार, (य) पशुओं का चारा, (र) राजस्व की प्राप्ति, (ल) विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, (व) आयुर्वेदिक एवं अन्य जड़ी-बूटियों की प्राप्ति। (ख) अप्रत्यक्ष लाभ-(अ) जलवायु पर नियन्त्रण, (ब) पर्यावरण सन्तुलन, (स) वर्षा में सहायक, (द) रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, (य) बाढ़ नियन्त्रण में सहायता, (र) भूमि कटाव पर रोक, (ल) पानी के स्तर में वृद्धि, (3) वनों के विकास के लिए सरकारी प्रयास, (4) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना- **''जीव-जगत् के रक्षक हैं वन, करते दूर प्रदूषण।**
धन-सम्पत्ति स्वास्थ्य दायक है, ये जगती के भूषण।''

हमारा देश प्राचीन काल से वन प्रधान रहा है। वन एक ऐसा गोदाम है जहाँ से हमें भोजन बनाने के लिए ईंधन, फर्नीचर के लिए लकड़ी व कागज के लिए लुग्दी की प्राप्ति होती है। वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। किसी भी देश की आर्थिक विकास एवं उसकी समृद्धि के लिए वन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वन बाढ़ पर नियन्त्रण करके भूमि के कटाव को भी रोकती है।

(2) वनों का आर्थिक महत्त्व-पं0 जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ''एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है।'' भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का विशेष महत्त्व है। वनों के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए **जे0 एस0 कॉलिन्स** ने लिखा है-**''वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं। वे तूफानी वर्षा को दबाते हैं तथा नदियों को अनुशासन में रखते हैं। वे झरनों को बनाये रखते हैं तथा पक्षियों का पोषण करते हैं।''** इस प्रकार वनों से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ लाभों का विवरण इस प्रकार है :

(क) प्रत्यक्ष लाभ—वनों से होनेवाले कुछ प्रत्यक्ष लाभों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

(अ) लकड़ी की प्राप्ति-वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। भारतीय वनों से लगभग 550 प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। इनमें से साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम, आबनूस तथा चन्दन आदि की लकड़ियाँ मुख्य हैं।

(ब) कच्चे माल की प्राप्ति-वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वनों से हमें लाख, चपड़ा, गोंद, शहद, कत्था, छालें, बांस एवं बेंत, जड़ी-बूटियाँ, जानवरों के सींग, खाल इत्यादि प्राप्त होते हैं।

(स) लघु उद्योगों की प्राप्ति-वनों से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भारत में अनेक लघु उद्योग जैसे-टोकरियाँ एवं बेंत बनाना, रस्सी बंटना, बीड़ी बांधना, गोंद तथा शहद एकत्र करना इत्यादि हैं।

(द) व्यक्तियों के लिए रोजगार-ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 7.5 करोड़ व्यक्तियों की जीविका वनों पर आश्रित है।

(य) पशुओं को चारा-पशुओं के लिए बड़ी मात्रा में चारा हमें वनों से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वन पशु-पक्षियों के पोषण भी करते हैं।

(र) राजस्व की प्राप्ति-सरकार को वनों का उपयोग करने से राजस्व तथा नीलामी-रायल्टी के रूप में करोड़ों रुपये की प्राप्ति होती है।

(ल) विदेशी मुद्रा की प्राप्ति—विभिन्न वन्य पदार्थों जैसे लाख, तारपीन का तेल, चन्दन का तेल एवं चन्दन की लकड़ी और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात करके प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

(व) आयुर्वेदिक एवं अन्य जड़ी-बूटियों की प्राप्ति—भारतीय वनों से अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियों की प्राप्ति होती हैं, जिनसे कई प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष लाभ—वनों से हमें अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं, जो इस प्रकार हैं :

(अ) जलवायु पर नियन्त्रण-वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु-प्रवाह को नियन्त्रित करके वन जलवायु को सन्तुलित

बनाये रखते हैं। वन तूफानी हवाओं को रोककर उनका वेग कम करते हैं जिससे उनसे होने वाले विनाश से रक्षा होती है।

(ब) पर्यावरण सन्तुलन—वन कार्बन डाई-ऑक्साइड का शोषण कर अपना भोजन बनाते हैं, जबकि अन्य जीवधारी कार्बन डाई-ऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण में कार्बन डाई-ऑक्साइड की मात्रा बढ़ नहीं पाती और पर्यावरण सन्तुलन बना रहता है।

(स) वर्षा में सहायक—वन वर्षा करने में मदद करते हैं अतः वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं।

(द) रेगिस्तान के प्रसार पर रोक—वन रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। वे तेज आन्धियों को रोककर, वर्षा को आकर्षित करके तथा मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों में बांधकर रेगिस्तानों के प्रसार पर रोक लगाते हैं।

(य) बाढ़ नियन्त्रण में सहायता—वनों से बाढ़ नियन्त्रण में सहायता मिलती है। भूमि का कटाव कम होने से नदियों और तालाबों में मिट्टी का भराव नहीं होता और बाढ़ की सम्भावना कम हो जाती है।

(र) भूमि कटाव पर रोक—वनों की जड़ें भूमि कणों को बांधे रखती हैं जिससे वर्षा का पानी भूमि को नहीं काट पाता है। इससे भूमि कटाव रुकता है।

(ल) पानी के स्तर में वृद्धि—वृक्षों की जड़ों द्वारा रोका गया पानी भूमि में अन्दर चला जाता है, जिससे भूगर्भीय पानी के स्तर में वृद्धि होती है।

(3) वनों के विकास के लिए सरकारी प्रयास—देश की वन-सम्पदा को देखते हुए भारत सरकार ने इसके विकास के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। 1956 ई० में 'अधिक वृक्ष लगाओ आन्दोलन' आरम्भ किया गया जिसे 'वन महोत्सव' का नाम दिया गया। 1965 ई० में सरकार ने 'केन्द्रीय वन आयोग' की स्थापना की। वनों के विकास के लिए देहरादून में 'वन अनुसन्धान संस्थान' स्थापित किया गया है।

वनों की अनियन्त्रित कटाई को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में 'वन निगम' बनाये गये हैं।

(4) उपसंहार—प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के संगी एवं साथी बने रहे हैं। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब वह पूरी तरह से वनों पर ही आश्रित रहता था। उसके द्वारा प्रदत्त फल, फूल, कन्दमूल आदि से ही अपना पेट भरता था। इस प्रकार वन तथा मनुष्य का नाता बहुत पुराना है।

21. मेरा प्रिय कवि : तुलसीदास (2017AB)

अन्य शीर्षक–• मेरा प्रिय कवि (2020MB) • प्रिय कवि का वर्णन • गोस्वामी तुलसीदास (2016CP)

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) जन्म की परिस्थितियाँ, (3) तुलसीदास : एक लोकनायक, (4) तुलसी के राम, (5) तुलसीदास की निष्काम भक्ति-भावना, (6) धर्म-समन्वय की भावना पर बल, (7) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना—मैं यह नहीं कहता कि मैंने बहुत अधिक अध्ययन किया है, तथापि भक्तिकालीन कवियों में कबीर, सूर और तुलसी तथा आधुनिक कवियों में प्रसाद, पन्त और महादेवी के काव्य का अध्ययन अवश्य किया है। इन कवियों का अध्ययन करते समय तुलसी-काव्य की अलौकिकता के कारण मेरा मस्तक उनके सामने सदैव नत होता रहा है।

(2) जन्म की परिस्थितियाँ—तुलसीदास का जन्म 1535 ई० में बाँदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। कुछ लोग एटा जिले के सोरो नामक कस्बे को उनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ था। हिन्दू समाज अशक्त होकर विदेशी चंगुल में फंस गया था। हिन्दू समाज की संस्कृति और सभ्यता पर निरन्तर आघात हो रहे थे। इस युग में मन्दिरों का विध्वंस और ग्रामों व नगरों का विनाश हो रहा था। अच्छे संस्कार समाप्त हो रहे थे। तलवार के बल पर हिन्दुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। इस समय दिग्भ्रमित जनता को ऐसे नाविक की जरूरत थी, जो उनकी जीवन-नौका को संभाले।

गोस्वामी तुलसीदास ने निराशा के अन्धकार में डूबी हुई जनता को सामने भगवान् राम का लोकमंगलकारी स्वरूप प्रस्तुत किया।

(3) तुलसीदास : एक लोकनायक—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है-"लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियाँ, जातियाँ, आचारनिष्ठा और विचार-पद्धतियाँ प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे। 'गीता' ने समन्वय की चेष्टा की और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे।"

(4) तुलसी के राम—तुलसी उन राम के उपासक थे जो सच्चिदानन्द परमब्रह्म थे तथा जिन्होंने भूमि का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था-

जब-जब होई धरम कै हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी॥
तब-तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहिं कृपा-निधि सज्जन पीरा॥

तुलसीदास ने अपने काव्य में सभी देवी-देवताओं की स्तुति की है, लेकिन अन्त में वे यही कहते हैं-

मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहिं रामसिय मानस मोरे॥

निम्न पंक्तियों में भगवान् राम के प्रति उनकी अनन्यता और भी अधिक पुष्ट हुई है-

एक भरोसो एक बल एक आस विस्वास।
एक राम घनस्याम हित चातक तुलसीदास॥

(5) तुलसीदास की निष्काम भक्ति-भावना—सच्ची भक्ति वही है, जिसमें आदान-प्रदान का भाव नहीं होता है। भक्त के लिए भक्ति का आनन्द ही उसका फल है। इस सन्दर्भ में तुलसी का तो यही कथन है-

मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर।
अस विचारि रघुवंस मनि, हरहु विषम भव पीर॥

(6) धर्म-समन्वय की भावना पर बल—तुलसीदास के काव्य में सबसे बड़ी विशेषता धर्म-समन्वय है। उनके काव्य में धर्म-समन्वय के निम्नलिखित रूप दृष्टिगोचर होते हैं : (1) सगुण-निर्गुण का समन्वय, (2) कर्म, ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय, (3) युगधर्म समन्वय, (4) सामाजिक समन्वय, (5) साहित्यिक समन्वय, (6) सम्प्रदायगत समन्वय।

(7) उपसंहार—तुलसी का काव्य उनके व्यक्तित्व के समान ही उच्च आदर्शों को समेटे हुए है। यही कारण है कि तुलसी जितने प्रासंगिक अपने समय में थे उससे भी कहीं अधिक प्रासंगिक आज हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि विश्व की जितनी भाषाओं में 'रामचरितमानस' का अनुवाद हुआ उतना अन्य किसी भी काव्य ग्रन्थ का नहीं।

22. मेरी प्रिय पुस्तक : 'श्रीरामचरितमानस' (2017AA,20MC,ME)

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) ग्रन्थ-परिचय, (3) श्रीरामचरितमानस का वर्ण्य विषय, (4) श्रीरामचरितमानस की विशेषताएँ, (5) श्रीरामचरितमानस का महत्त्व, (6) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना—जिस प्रकार आकाश में चाहे कितने ही तारे क्यों न चमकते हों परन्तु व्यक्ति की आँखें ध्रुव तारे को ही खोजती हैं। इसी प्रकार हिन्दी साहित्य की सैकड़ों पुस्तकों में मुझे गोस्वामी तुलसीदास कृत 'श्रीरामचरितमानस' सबसे अधिक प्रिय है। यह वह ग्रन्थ है जो जीवन के हमें प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में दिशा प्रदान करता है। आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास ने जिस 'श्रीरामचरितमानस' की रचना की, वह आज भी जन-जन में एक लोकप्रिय ग्रन्थ के रूप में अपना अस्तित्व बनाये हुए है।

(2) ग्रन्थ-परिचय—'श्रीरामचरितमानस' में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के पावन चरित्र की झाँकी प्रस्तुत की गयी है। 1631 ई० में इसकी रचना आरम्भ की गयी और 1633 ई० में इसे पूर्णता प्रदान की। इसमें सात काण्ड हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है-बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड। यह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें पाठक को सर्वांगीण विकास के लिए सुसंस्कारित सामग्री मिलती है।

(3) श्रीरामचरितमानस का वर्ण्य विषय—'श्रीरामचरितमानस' की कथा श्री रामचन्द्र जी के जीवन पर आधारित है। इसकी कथा का मूल-स्रोत महर्षि वाल्मीकि की 'संस्कृत रामायण' है। अपने गुरुजी से भी श्री रामचन्द्र जी के चरित्र की कथा तुलसी ने सुनी थी किन्तु तब वे बालक थे-

''मैं पुनिनिज गुरुसन सुनी कथा सु सूकर खेत।
जानि परी नहिं बालपन तब अति रहेउ अचेत।''

तुलसीदास जी ने इसे अपनी कला व प्रतिभा द्वारा मौलिकता प्रदान की है। इसमें रावण पर राम की विजय दिखाते हुए सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना का प्रयास तुलसी ने किया है। इस महाकाव्य में राम के शील, सौन्दर्य, शक्ति और मर्यादा का

चित्रण है।

(4) श्रीरामचरितमानस की विशेषताएँ—'श्रीरामचरितमानस' की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं :

(अ) सदाचार के सूत्र, (ब) वेद और पुराणों का संगम, (स) श्रीरामचरितमानस में विश्वप्रेम के सूत्र, (द) जीवन के आदर्श, (य) नीति, (र) रामराज्य की कल्पना, (ल) समन्वय की भावना, (व) भक्ति भावना, (श) उच्चकोटि का महाकाव्य आदि।

(5) श्रीरामचरितमानस का महत्त्व—रामचरितमानस हिन्दी साहित्याकाश का उज्ज्वलतम नक्षत्र है। शायद ही कोई ग्रन्थ ऐसा हो (गीता को छोड़कर) जिसको मानस जैसा पवित्र मानकर हर हिन्दू घर में न पूजा जाता हो। जहाँ इसका सामाजिक व साहित्यिक महत्त्व है, वहीं धार्मिक महत्त्व भी कम नहीं है। इसकी एक-एक चौपाई सिद्धमन्त्र है। विद्वान् लोग अपने भाषणों में इसकी सूक्तियों का प्रयोग कर उसे प्रभावशाली बनाते हैं। इसकी अनेक सूक्तियाँ सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन में वेद वाक्यों का कार्य करती हैं।

इसकी महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। हिन्दुओं में इसका वही महत्त्व है जो ईसाइयों में 'बाईबिल' तथा मुसलमानों में 'कुरान' का है।

(6) उपसंहार—'श्रीरामचरितमानस' विश्व-साहित्य की अनुपम कृति है। 'श्रीरामचरितमानस' का स्थान हिन्दी-साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व-साहित्य में भी स्मरणीय है। यह आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श मातृ धर्म के साथ-साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देनेवाला ग्रन्थ है। आज भी विश्व के मानव जीवन-निर्माण की सर्वाधिक प्रेरणा इसी ग्रन्थ से प्राप्त करते हैं।

23. 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई' (परोपकार) (2017AA,AF)

अन्य शीर्षक–• परोपकार ही जीवन है • परोपकार का महत्त्व

रूपरेखा-(1) प्रस्तावना (परिभाषा), (2) महत्तम धर्म, (3) परोपकार का क्षेत्र, (4) भारतीयता के अनुकूल तथा उदाहरण, (5) परोपकार से लाभ-(क) आत्मिक शान्ति की प्राप्ति, (ख) आशीर्वाद की प्राप्ति, (ग) यश तथा सम्मान की प्राप्ति, (घ) समाज की उन्नति। (6) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना (परिभाषा)-संसार में विभिन्न प्रकार के मनुष्य पाये जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जो अपने हित की चिन्ता न करके सदा दूसरों के कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसे पुरुष ही परोपकारी कहे जाते हैं और उनके द्वारा दूसरों के लिए किये जानेवाले कार्यों को परोपकार कहा जाता है।

परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पर + उपकार अर्थात् दूसरे के हित का साधन। जो कार्य अपने हित, यश, सम्मान आदि की भावना को छोड़कर सर्वथा दूसरों के हित की इच्छा से किये जाते हैं, वे ही परोपकार की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में परोपकार मनुष्य के हृदय में निवास करनेवाला एक ऐसा दैवी गुण है, जो इसे मनुष्य की कोटि से उठाकर देवताओं की कोटि में रख देता है। इसका जन्म प्रेम तथा दया के संयोग से होता है। यह एक ऐसी भावना है जो विशाल हृदय तथा व्यापक दृष्टिकोण रखनेवाले मनुष्यों के अन्दर रहती है। वे पुरुष जो सदा केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और जिनकी आँखों पर स्वार्थ का चश्मा लगा हुआ है, वे इसका अनुभव नहीं कर सकते।

(2) महत्तम धर्म-परोपकार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जिस मनुष्य में परोपकार की भावना नहीं है, गुप्त जी के शब्दों में वह मनुष्य भी कहलाने योग्य नहीं है—

''वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे''

अपने पेट तो पशु-पक्षी भी भर लेते हैं, पर जो दूसरों का हित करता है, वही मनुष्य कहे जाने का अधिकारी है। परोपकार ही एक ऐसा गुण है जो मनुष्यों से अलग करता है। अतएव परोपकार की प्रशंसा में कहा गया है-

''परहित सरिस धर्म नहिं भाई।''

(3) परोपकार का क्षेत्र-परोपकार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और इसे करने के लिए विभिन्न साधन हैं। विद्वान् पुरुष अपनी विद्या द्वारा अशिक्षित मनुष्यों को शिक्षित करके देश, जाति तथा समाज का परोपकार कर सकते हैं। जो पुरुष शरीर से हृष्ट-पुष्ट हैं, वे अपनी शारीरिक शक्ति से परोपकार कर सकते हैं। वे अपने श्रम से सार्वजनिक (कुओं, धर्मशाला, सड़क, अस्पताल

आदि) के निर्माण कार्य में सहयोग देकर सरलता से परोपकार कर सकते हैं। दलितों, गरीबों और शोषितों पर अत्याचार करनेवाले व्यक्तियों के विरुद्ध खड़े होकर उनकी रक्षा करके अपनी परोपकार की भावना का परिचय दे सकते हैं। धनी पुरुष अपने धन के द्वारा गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि से सहायता करके अथवा विद्यार्थियों को वजीफे, पुस्तकें देकर तथा रोगियों के लिए ओषधि आदि का प्रबन्ध कराकर एवं विद्यालय, अस्पताल आदि का निर्माण कराकर परोपकार कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास उक्त साधनों में से कोई साधन नहीं है, वे भी अपने तन और मन से परोपकार कर सकते हैं।

(4) भारतीयता के अनुकूल तथा उदाहरण—परोपकार की भावना भारतीय संस्कृति तथा भारतीय विचारधारा के सर्वथा अनुकूल है। त्याग तथा दान को सदा ही भारत में प्रधानता दी गयी है। इस त्याग और दान का मूर्त रूप परोपकार है। त्याग और दान जब कभी कार्य रूप में लाये जाते हैं तो वे परोपकार को जन्म देते हैं। भारत का इतिहास इस प्रकार के अनेक महापुरुषों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व तक दे डाला था। महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को देकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। राजा शिवि ने बाज से कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का माँस काट-काटकर दिया था। भगवान् महावीर तथा गांधी जी ने भी परोपकार के लिए अनेक कष्ट सहे थे।

(5) परोपकार से लाभ—(क) आत्मिक शान्ति की प्राप्ति—यद्यपि परोपकारी अपने हित तथा लाभ की दृष्टि से परोपकार नहीं करता, किन्तु इससे भी उसे अनेक लाभ होते हैं। आत्मिक शान्ति इनमें सबसे प्रधान है। परोपकार करनेवाले के मन में यह भावना रहती है कि वह अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर रहा है। इस भावना से उसके मन तथा आत्मा दोनों को शान्ति और सन्तोष मिलते हैं जो लाखों रुपयों को खर्च करके बड़े-बड़े पद तथा सम्मान से भी प्राप्त नहीं होते।

(ख) आशीर्वाद की प्राप्ति—परोपकार करने से दीनों तथा दुःखियों को आनन्द तथा सुख की प्राप्ति होती है। उनकी आत्मा प्रसन्न होकर परोपकार करनेवाले को आशीर्वाद देती है। सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता और परोपकार करनेवाले पुरुष का जीवन सुखी तथा समृद्ध बन जाता है।

(ग) यश तथा सम्मान की प्राप्ति—परोपकार करनेवाले पुरुष का यश राजमहलों से लेकर झोंपड़ियों तक फैल जाता है। उसका सर्वत्र आदर होता है। जनमानस में उसकी गाथा गायी जाती है और कवि तथा लेखक भी उसकी कथा लिखते हैं।

(घ) समाज की उन्नति—परोपकार करने से अनेक व्यक्तियों को लाभ होता है। वे अपनी आपत्तियों को दूर करके सुखी तथा समृद्ध होकर उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। व्यक्तियों की उन्नति तथा समृद्धि से समाज की उन्नति तथा समृद्धि होती है।

परोपकारी व्यक्ति का जीवन आदर्श रूप होता है। समाज के अन्य व्यक्ति भी उसे आदर्श मानकर उसकी पूजा करते हैं। उससे प्रेरणा पाकर अपने जीवन को भी आदर्श तथा श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान् राम तथा महात्मा बुद्ध के जीवन से असंख्य मानवों ने प्रेरणा प्राप्त कर उन्नति की है। इस प्रकार की वैयक्तिक उन्नति परिवर्तित होकर सामाजिक उन्नति बन जाती है।

(6) उपसंहार—आज सारा संसार दुःखी है। मानव समाज की अवनति होती जा रही है। आज एक देश दूसरे देश को, एक समाज दूसरे समाज को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए तुला बैठा है। इन सबका मूल कारण परोपकार की भावना का अभाव है, जिसको हम समझें, ग्रहण करें और तुलसीदास के साथ कहें–

'परहित सरिस धर्म नहिं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।'

24. कुसंग का ज्वर भयानक होता है

अन्य शीर्षक–• जीवन में सदाचार का महत्त्व • संगत ही गुण उपजै • संगत ही गुण जाय • सत्संग महिमा • 'शठ सुधरहिं सत्संगति पाई' (सत्संगति) • सत्संगति • सत्संगति का महत्त्व (2016CF)

रूपरेखा-(1) प्रस्तावना, (2) लाभ-(क) आत्मसंस्कार, (ख) ज्ञान तथा अनुभव की वृद्धि, (ग) सुख की प्राप्ति, (घ) यश तथा सम्मान की प्राप्ति, (ङ) धैर्य प्राप्ति, (च) चरित्र-निर्माण, (3) कुसंगति से हानि, (4) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना-महाकवि तुलसीदास ने सत्संगति का प्रभाव बतलाते हुए कहा है-

'शठ सुधरहिं सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई।'

चौपाई का अर्थ-मूर्ख (धूर्त या दुष्ट) सज्जनों की संगति पाकर सुधर जाता है जिस प्रकार पारस पत्थर छूकर लोहा भी सोना हो जाता है। जब दुष्ट भी सत्संगति के प्रभाव से सर्वश्रेष्ठ महान् बन जाता है, तब साधारण पुरुषों का तो कहना ही क्या है?

सत्संगति दो शब्दों से मिलकर बना है-सत् और संगति। इसमें समास होने के कारण इसका अर्थ है सत् अर्थात् सत्पुरुषों की संगति। जो पुरुष हानि लाभ की चिन्ता न करके दूसरों के हित में लगे रहते हैं वे सत्पुरुष कहे जाते हैं। इन सत्पुरुषों के साथ रहना या इनके चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करना ही सत्संगति कहा जाता है।

(2) लाभ– (क) आत्म-संस्कार-सत्संगति का प्रभाव महान् है। इसके प्रभाव से दुष्ट भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, पापी भी पुण्यात्मा हो जाते हैं, दुराचारी भी सदाचारी हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसके अवगुण दूर हो जाते हैं और वह आनन्द विभोर होकर आदर्शोन्मुख हो जाता है। संत-ऋषियों की संगति से वाल्मीकि आदि कवि बन गये। गांधीजी के प्रभाव से अनेक पुरुष सुधर गये थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति की प्रशंसा में कहा-

''तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक संग।
तूलि न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग।''

(ख) ज्ञान तथा अनुभव की वृद्धि-सज्जन ज्ञान के भण्डार होते हैं। उनकी आत्मा, मन और बुद्धि विशाल होती है। उनके साथ रहनेवाले भी उनके ज्ञान तथा अनुभव से अपने ज्ञान और अनुभव की वृद्धि कर लेते हैं। ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति से जीवनयापन में सुविधा रहती है।

(ग) सुख की प्राप्ति-सत्संगति से मनुष्य दुर्गुणों से दूर रहकर सद्गुणी बन जाता है। सद्गुणों के प्रभाव से जीविका उपार्जन में सुविधा रहती है और उसे सुख की प्राप्ति होती है।

सत्पुरुष सदा ही अपने साथियों के दुःखों को दूर कर सुख देते हैं। अतः सत्संगति करनेवाले को सुख की प्राप्ति होती है।

(घ) यश तथा सम्मान की प्राप्ति-सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य श्रेष्ठ तथा सद्गुणी बन जाता है। श्रेष्ठ तथा सद्गुणी पुरुष का यश सर्वत्र फैल जाता है और सब उसका सम्मान करते हैं।

(ङ) धैर्य की प्राप्ति-आपत्ति के समय सत्पुरुष अपने साथी को धैर्य बँधाते हैं, उसकी सहायता करते हैं और स्वयं साथ रहकर उसकी आपत्ति को दूर करते हैं। इस प्रकार सत्संगति करनेवाले पुरुष के हृदय में आशा और धैर्य का संचार होता है।

(च) चरित्र-निर्माण-सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य का चरित्र आदर्श बन जाता है। किशोरावस्था तक तो चरित्र-निर्माण के लिए सत्संगति की सर्वाधिक आवश्यकता है।

वास्तव में सत्संगति से जितने लाभ हैं, उनका वर्णन करना असम्भव है। संस्कृत के किसी कवि ने कहा है-

''जाड्यं धियो हरित सिञ्चति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति।
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्॥''

सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्यता को सींचती है, मान की उन्नति करती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति फैलाती है।

(3) कुसंगति से हानि-सत्संगति से जितने लाभ हैं कुसंगति से उतनी ही हानियाँ हैं। अच्छे-से-अच्छे पुरुष भी दुष्टों की संगति में रहने से नीच तथा पापी बन जाते हैं। कहा भी है-

''कबिरा संगति साधु की, हरै और की व्याधि।
ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि॥''

दुष्टों की संगति में रहने से सदा कष्ट मिलते हैं। जुआरियों और चोरों के साथ रहनेवाले साधारण पुरुष भी उनके साथ जेल चले जाते हैं। रावण ने सीता को चुराया था किन्तु उसके पास रहनेवाला समुद्र बाँधा गया।

उपसंहार-उक्त कथनों से स्पष्ट है कि मानव-जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए सत्संगति अति आवश्यक है और कुसंगति त्याज्य है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है-

''कुसंगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बँधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन-प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जायेगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देनेवाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरन्तर उन्नति की ओर उठाती जायेगी।'' अतः हमें कुसंग से दूर रहना चाहिए।

25. बाढ़ का आँखों देखा वर्णन (2017AB)

अन्य शीर्षक–• प्राकृतिक आपदा और हमारे कर्त्तव्य • बाढ़ की समस्या, • विनाशकारी बाढ़ की समस्या • बाढ़ का विनाशकारी दृश्य (2018HA)

रूपरेखा–1. प्रस्तावना, 2. वर्षा की प्रतीक्षा, 3. अभूतपूर्व बाढ़, 4. सहायता शिविर, 5. बाढ़ और हमारे कर्त्तव्य, 6. बाढ़

का रोमांचक दृश्य, 7. सरकार द्वारा सहायता कार्य, 8. बाढ़ का प्रकोप कम हुआ, 9. उपसंहार।

1. प्रस्तावना–प्रकृति भी अद्‌भुत खेल दिखाती है। एक ही समय में कहीं अनावृष्टि करके पानी की एक-एक बूंद के लिए लोगों को तरसा देती है तो कहीं अतिवृष्टि करके चारों तरफ पानी ही पानी भरकर अपनी विनाश लीला दिखाने लगती है। नदियाँ किनारों को तोड़कर खेतों और गाँवों की ओर दौड़ पड़ती हैं। हरी-भरी खेती और बसे हुए ग्रामों को बाढ़ का पानी निगल जाता है। ऐसी ही एक बाढ़ का दृश्य अभी तक मेरी आँखों के सामने नाच रहा है। उस दृश्य को याद करने पर 'कामायनी' की निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकृति की उस विकरालता के दर्शन होने लगते हैं–

दिग्दाहों से घूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के,
सघन गगन में भीम प्रकम्पन, झंझा के चलते झटके।

2. वर्षा की प्रतीक्षा–हमारे क्षेत्र में प्रायः जुलाई में खूब वर्षा हो जाती है; किन्तु पता नहीं इस बार क्या हुआ कि जुलाई और अगस्त दोनों महीने बीत गये, परन्तु वर्षा न हुई। बादल आते, लोगों को ललचाते और आकाश में ही कहीं खो जाते। खेत एक-एक बूँद पानी को तरस रहे थे। एक दिन देखते-ही-देखते काले-काले बादल चारों ओर छा गये। उन्होंने बरसना शुरू किया तो बस बरसते ही रहे।

3. अभूतपूर्व बाढ़–कई दिन की तेज वर्षा और झड़ी के कारण सड़कें पानी में डूब गयी थीं और यातायात ठप्प हो गया था। गाँवों में और भी अधिक भयंकर वर्षा हुई, जिसके कारण गंगा का पानी उफान मारने लगा। निकट के गाँवों को पानी का खतरा बढ़ गया। कुछ अदूरदर्शी किसानों ने जब यह देखा कि पानी किनारा लाँघकर उनके खेतों में भरने लगा है, तो उन्होंने अपने खेतों को बचाने के लिए बाँध काट दिये, जिससे बढ़ा हुआ पानी दूसरी तरफ निकल जाय और उनके खेत बच जायँ। उन्हें क्या पता था कि इस प्रकार उफनती गंगा की धारा को काटकर वे भयंकर बाढ़ को निमन्त्रण दे रहे हैं।

आकाशवाणी से निरन्तर समाचार आ रहे थे। मकानों में, दुकानों में, खेतों में–सब जगह पानी भर गया था। कहीं-कहीं मकानों की पहली मंजिल भी पानी में डूब गयी थी। कितने ही मकान खण्डहर हो गये थे। बिजली के खम्भे गिर गये थे, तार टूट गये थे पानी में करेण्ट न फैल जाय, इसलिए अधिकांश स्थानों पर विद्युत सप्लाई भी बन्द कर दी गयी थी।

संचार व्यवस्था पूर्णतः ठप हो गयी थी। सैकड़ों पशु पानी में बह गये थे। अनाज और वस्तुओं के सड़ने के कारण दुर्गन्ध फैलनी आरम्भ हो गयी थी। बड़ा भयंकर दृश्य था। जिन घरों में अभी पानी नहीं पहुँच पाया था, उनके निवासी भी किंकर्त्तव्यविमूढ़ से थे। न उन्हें घर में चैन था और न उनमें घर छोड़ने का साहस ही था।

4. सहायता-शिविर–बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा अनेक सहायता-शिविर बनाये गये थे। आर्य समाज, जैन समाज आदि संस्थाओं की ओर से बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए अपील की गयी थी। लोग बाढ़-पीड़ितों को भोजन, वस्त्र आदि पहुँचाने में उत्साह के साथ लगे थे।

5. बाढ़ और हमारे कर्त्तव्य – बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मैंने भी बाढ़-पीड़ितों की सहायता करना अपना कर्त्तव्य समझा और एक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए एक ट्रक में भोजन, वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर चला। हमारा ट्रक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। अनेक जगहों से सड़क कट गयी थीं। कई जगह खतरा उत्पन्न होने के बाद भी हम आगे बढ़ते रहे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में उपयुक्त स्थान देखकर हमने अपना सहायता शिविर स्थापित किया। आस-पास कई अन्य सहायता शिविर लगे हुए थे। सैकड़ों व्यक्ति अपने बाल-बच्चों और थोड़े बहुत सामान के साथ इधर-उधर बिखरे हुए से दिखाई दे रहे थे।

6. बाढ़ का रोमांचक दृश्य–आगे चलकर हमने जो भयंकर दृश्य देखा, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गये। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, पानी-ही-पानी भरा दिखाई देता था। जहाँ कुछ दिन पहले हरी-भरी खेती लहरा रही थी, वहाँ अब मटमैले पानी का सागर लहरा रहा था। कितने ही शव पानी में बह रहे थे और उखड़े हुए पेड़ों पर बैठे हुए लोग सहायता के लिए पुकार रहे थे। यह अनुमान लगाना बहुत कठिन था कि सड़क कहाँ है, मकान कहाँ हैं, खेत कहाँ हैं? कई जगह तो हमें यह डर हो गया कि हमारी नाव किसी पेड़ की शाखा में न फँस जाय; क्योंकि पानी पेड़ों के ऊपर बह रहा था। लोगों की चीख-पुकार सुनकर हमारा दिल दहल उठता था। कुछ ऊँचे मकानों की छतों पर खड़े हुए व्यक्ति हाथ हिला-हिलाकर हमें अपनी ओर बुला रहे थे। किसी भी क्षण उनका मकान पानी की गोद में समा सकता था।

7. सरकार द्वारा सहायता-कार्य–बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वायु सेना के परिवाहक विमान भी आवश्यक वस्तुएँ गिरा रहे थे। फायर ब्रिगेड का एक दस्ता निचले क्षेत्रों में फँसे हुए लोगों को बचाने के काम में लगा हुआ था। अनेक पम्पिंग सेट लगा दिये गये थे, जिनसे पानी कम किया जा सके। सबसे बड़े खतरे का काम वे सैनिक कर रहे थे जो पानी के बहाव को रोकने के लिए बाँध की दरार में बोरे भरने का कार्य कर रहे थे।

8. बाढ़ का प्रकोप कम हुआ–कई दिन और कई रातों के अथक प्रयास के बाद बाढ़ का प्रकोप कम हुआ। गिरे हुए मकान, उखड़े हुए पेड़, उजड़े हुए खेत, सड़े हुए शव, गड्ढों से भरी सड़कें व्यापक विनाश की सूचना दे रहे थे। बाढ़ के कम होते ही उत्सुक दर्शकों की टोलियाँ आनी आरम्भ हो गयीं। धीरे-धीरे जीवन फिर से लौटा और लोगों ने अपने-अपने मकानों को खोजना आरम्भ किया।

9. उपसंहार–बाढ़ का वह प्रलयकारी दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने प्रतीत हो रहा है। जब कभी उस भयंकर क्षण की याद हो आती है तो मेरा हृदय काँप उठता है। मैं बार-बार सोचता हूँ कि जल तो जीवन है, फिर भी वह लोगों के जीवन को क्यों लेता है? लेकिन इस प्रश्न का कोई उत्तर मैं नहीं खोज पाया।

26. समय का सदुपयोग

अन्य शीर्षक–• **श्रम ही सफलता की कुंजी है (2016CE)** • **सफलता का रहस्य (2016CB)**

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना, (2) सफलता का रहस्य, (3) समय का सदुपयोग, (4) समय से लाभ, (5) समय का शत्रु, (6) उपसंहार।

1. प्रस्तावना–नष्ट हुई सम्पत्ति और खोये हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनवरत श्रम करता है। एक दिन वह आता है, जबकि वह उसे फिर से प्राप्त करके फूला नहीं समाता। मानव खोये हुए स्वास्थ्य को भी बुद्धिमान वैद्यों की सम्मति पर चलकर, पुष्टिकारक औषधियों का सेवन करके तथा संयत जीवन व्यतीत करके एक बार फिर प्राप्त कर लेता है। भूली हुई और खोई हुई प्रतिष्ठा को मनुष्य थोड़े से श्रम से पुनः प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। युगों के भूले-बिछुड़े मिल जाते हैं, परन्तु जीवन के जो क्षण एक बार चले गये फिर इस जीवन में कभी नहीं मिलते। कितने अमूल्य हैं ये क्षण, कितनी तीव्रता है इनकी गति में, जो न आते मालूम पड़ते हैं और न जाते, परन्तु चले जाते हैं।

2. सफलता का रहस्य–समय मनुष्य की न तो प्रतीक्षा करता है और न परवाह। रेलगाड़ी यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं करती, उसमें कोई बैठे या न बैठे, उसे अपने समय पर आना है और चले जाना है। जो लोग भीड़ को चीरते हुए, आलस्य को छोड़कर छलाँग मारते हुए उसमें बैठ जाते हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुँच जाते हैं। ठीक यही बात समय की रेलगाड़ी के साथ है। जीवन में सफलता भी उन्हीं पुरुष-सिंहों को प्राप्त होती है, जो अपने एक क्षण का भी अपव्यय नहीं करते, अपितु अधिक-से-अधिक उसका उपयोग करते हैं। यही कारण है कि संसार का महान् से महान् और कठिन से कठिन कार्य भी उनके लिए सुलभ हो जाता है।

3. समय का सदुपयोग—जीवन की सफलता का रहस्य समय के सदुपयोग में ही निहित है। समय की उपयोगिता साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महान् बना देती है। आज तक जितने भी महान् पुरुष हुए हैं उनके जीवन की सफलत का रहस्य एकमात्र समय के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग ही रहा है। बड़े से बड़े संकटों, भयानक से भयानक संघर्षों में भी वे सदैव विजयी रहे हैं।

4. समय से लाभ—समय का सदुपयोग करने से मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति होती है। जिस काम के लिए जो समय निश्चित हो, उस समय वह काम अवश्य कर लेना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन में उन्नति कर पाता है। विदेशों में समय का मूल्य बहुत समझा जाता है।

देश और समाज के प्रति हमारे कुछ कर्त्तव्य हैं। हमें अपना कुछ समय उनकी सेवा में भी लगाना चाहिए, जिससे देश और समाज की उन्नति हो।

4. समय का शत्रु—आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है। उसके जीवन के अधिकांश क्षण सुस्ती, सोने और वाद-विवाद में ही व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य न तो छात्रावस्था में विद्योपार्जन ही कर सकता है और न युवावस्था में गृहस्थी का भार ही वहन कर सकता है।

6. उपसंहार—हमें अपने दैनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रसेवा, जाति सेवा और समाज सेवा का अवसर भी निकालना चाहिए। स्वार्थ-सिद्धि ही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य नहीं है। इस जीवन में जितने शुभ कार्य हो सकें उतना ही यह जीवन सफल है। मानव-जीवन देश की सम्पत्ति है। अतः देशहित में जो अपना समय व्यतीत करता है, वह धन्य है। मनुष्य का परम कर्त्तव्य है कि वह अपने समय का सदुपयोग करता हुआ अपने समाज, अपने देश और मानव-जाति का कल्याण करे।

27. भारतीय कृषक (2016CE)

अन्य शीर्षक–• भारतीय किसान और उसकी समस्याएँ (2017AE)

रूपरेखा—(1) भारतीय किसान : देश की जान, (2) सरल-सहज जीवन, (3) घोर परिश्रमी, (4) संस्कृति और परम्परा का रक्षक, (5) अभावों की दुनिया, (6) दुरवस्था का कारण, (7) उपसंहार।

(1) भारतीय किसान : देश की जान—किसान देश की आत्मा हैं। वे ही देश की आबादी के अन्नदाता हैं। देश की जनता के रक्त में वे ही प्राण बनकर प्रवाहित हो रहे हैं। **गाँधीजी** ने कहा था—"भारत का हृदय गाँवों में बसता है। गाँवों में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान ही नगरवासियों के अन्नदाता हैं, सृष्टि-पालक हैं।"

(2) सरल-सहज जीवन—भारतीय किसान बनावटीपन से दूर सहज-सरल जीवन जीता है। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में वह धीरज का धनी होता है। उसकी आवश्यकताएँ भी सीमित रहती हैं। वह रूखी-सूखी रोटी खाकर भी कार्य से जी नहीं चुराता, बल्कि सन्तुष्ट और सुखी रहता है। वह गाँवों के प्राकृतिक वातावरण में रहकर सहज स्वभाव से आनन्दित रहता है। स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण के चलते वह स्वस्थ जीवन बिताता है। उसके स्वभाव में कृत्रिमता के स्थान पर सादगी में उत्पन्न सात्त्विकता होती है। वह स्नेही, दयालु और सेवाभावी होता है।

(3) घोर परिश्रमी—भारत का किसान घोर परिश्रमी होता है। वह भीषण गर्मी-सर्दी और मूसलधार वर्षा की परवाह किए बिना कृषिकार्य में जुटा रहता है। खेती ही उसका कर्म-धर्म और ईमान है।

(4) संस्कृति और परम्परा का रक्षक—भारत के किसान पर अभी बाह्य वैज्ञानिक सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा है। वह अब भी अपनी जातीय परम्पराओं का निर्वाह बड़ी प्रसन्नता के साथ करता है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण यदि कहीं किया जा रहा है तो केवल ग्रामवासियों के द्वारा। 'अतिथि देवो भव' आज भी वहीं जीवित है। दया, सहानुभूति, सहायता, करुणा, कर्मण्यता आदि गुण उनमें आज भी जीवित हैं। विभिन्न अवसरों पर अनेक रीति-रिवाज ये अत्यन्त हार्दिकता के साथ निभाते हैं।

(5) अभावों की दुनिया—भारतीय कृषक अभावमय जीवन जीता है। उसका जन्म ही अभावों के बीच होता है। जीवन-भर वह गरमी, सर्दी, वर्षा की कठोर ऋतुओं में भी मरता-खपता रहता है फिर भी दो वक्त की पेट-भर रोटी वह नहीं जुटा पाता। प्रायः वह ऋण में जन्म लेता है और ऋण चुकाते-चुकाते ही संसार से विदा होता है। भारतीय किसान की इसी दारुण दशा का चित्रण महान् कथाकार प्रेमचन्द ने अपनी कहानी 'पूस की रात' में किया है।

(6) दुरवस्था का कारण—भारतीय किसान की दुरवस्था के कई कारण हैं जिनमें निरक्षरता सर्वप्रथम है। शिक्षा के अभाव में वे सत्साहित्य एवं जीवनोपयोगी बातों से दूर रह जाते हैं। कुरीतियाँ और रूढ़ियाँ उन्हें घेरे रहती हैं। अन्धविश्वास के पार वह नहीं निकल पाता। उसका भोलापन भी उसके शोषण के लिए उत्तरदायी है। धरती चीरकर, हल जोतकर, शरीर पर मौसम की मार खाकर भी अन्न उपजाकर सबका पेट भरनेवाला किसान शोषण और अन्याय के कारण भूखों मरता है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चतुर और धूर्त व्यापारी लूट ले जाते हैं। भाग्यवादिता भी उनकी इस पतनावस्था का एक कारण है।

(7) उपसंहार—देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जैसे हमारे जवान जान की परवाह किए बिना डटे रहते हैं वैसे ही देश की भौगोलिक सीमा में रहनेवालों के पेट पालने के लिए किसान अपने खेत पर डटा रहता है। सेना के जवानों को उनकी वीरता के लिए पुरस्कृत किया जाता है पर किसी किसान को अत्यधिक अन्न उपजाने के लिए पुरस्कृत किया गया हो ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है। सेना का जवान 'शहीद' होता है और किसान 'मरता' है। किसानों के महत्त्व को प्रधानमन्त्री **लालबहादुर शास्त्री** ने पहचाना था जिन्होंने **'जय जवान जय किसान'** का नारा दिया। हमारे विचार से किसानों के कार्य की महत्ता देखते हुए उन्हें भी समय-समय पर प्रशंसित-पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यदि उन्हें प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिले तो वे जीवन की कई कमियों को दूर कर लेंगे। किसानों के उत्थान के लिए प्रत्येक भारतीय को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए और सरकार को भी।

जिस प्रकार स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है उसी प्रकार देश को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है तो देश के प्राण किसानों को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाना होगा। किसान सुखी तो देश सुखी।

●●